चतुर्दश माला, खंड 19, अंक 24

मंगलवार, 21 मार्च, 2006
30 फाल्गुन, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.....60.................
Dated.....1 June 2007

(खण्ड 19 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्रतिमा श्रीवास्तव
मुख्य सम्पादक

सरिता नागपाल
वरिष्ठ सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 19, सातवां सत्र, 2006/1927 (शक)]

अंक 24, मंगलवार, 21 मार्च, 2006/30 फाल्गुन, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
सभा पटल पर रखे गए पत्र	1-15
राज्य सभा से संदेश	15
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारतीय संसदीय सहभागिता	
प्रतिवेदन	15
प्राक्कलन समिति	
(एक) की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन	16
(दो) विवरण	16
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
बारहवां और तेरहवां प्रतिवेदन	17
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति	
आठवां प्रतिवेदन	17
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 98वें से 101वां प्रतिवेदन	17
(दो) साक्ष्य	18
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
(एक) स्कोर्पीन पनडुब्बी परियोजना	
श्री शरद पवार	18
(दो) खाद्यान्नों को अन्यत्र भेजे जाने के बारे में संसद सदस्यों सर्वश्री असादूद्दीन ओवेसी और निखिल कुमार द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. 123 के संबंध में दिनांक 27.2.2006 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण	23
अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006	24
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) टी.वी. चैनलों द्वारा स्टिंग ऑपरेशन के प्रसारण के बारे में	24-25

विषय		कॉलम
(दो)	देश में 21 मार्च, 2006 को वन दिवस मनाए जाने और वन (संरक्षण) अधिनियम तथा वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम का सख्ती से कार्यान्वयन किए जाने के बारे में .	42

नियम 377 के अधीन मामले

(एक)	गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 और 8 क्रमशः काडोदारा-चाररास्ता और कामरेज-चाररास्ता पर उपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता डा. तुषार अमरसिंह चौधरी	58
(दो)	राज्य में पर्यटन के विकास हेतु कर्नाटक सरकार के लम्बित प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता श्री इकबाल अहमद सरडगी	59
(तीन)	तमिलनाडु के बोडीनयाकनुर में रेलवे बुकिंग केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता श्री जे.एम. आरून रशीद	59
(चार)	राजस्थान के अलवर जिले में कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता डा. करण सिंह यादव	60
(पांच)	संवृद्धि और विकास हेतु देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोके जाने की आवश्यकता श्री एन.एस.वी. चित्तन	60
(छह)	आंध्र प्रदेश सरकार के लम्बित पेयजल प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता श्री रायापति सांबासिवा राव	61
(सात)	उत्तरांचल के पिथौरागढ़ जिले में ''सैनिक आवास निर्माण योजना'' के अंतर्गत मकानों के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता श्री बची सिंह रावत ''बचदा''	61
(आठ)	18 दिसम्बर को संत गुरू घासी दास जी की वर्षगांठ को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता श्री पुन्नू लाल मोहले	62

विषय		कॉलम
(नौ)	उड़ीसा में उत्पादित कोयला तथा अन्य खनिज पदार्थों पर देय रायल्टी में संशोधन किये जाने की आवश्यकता	
	श्री अनंत नायक	62
(दस)	छात्रावासों में बालिकाओं को भोजन मुहैया कराने में रत स्वयंसेवी संगठनों को शीघ्र ही धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री भंवर सिंह डांगावास	63
(ग्यारह)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सेलवन के उपभोक्ताओं की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
	मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवनचन्द्र खंडूडी	63
(बारह)	तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में सर्वसुविधा युक्त ई.एस.आई. अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री ए.वी. बेल्लारमिन	64
(तेरह)	उत्तर प्रदेश के सैदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जखनियां बाजार में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री तूफानी सरोज	65
(चौदह)	बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम कृपाल यादव	65
(पंद्रह)	तमिलनाडु के पिछड़े जिलों में औद्योगिक इकाइयां खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री डी. वेणुगोपाल	66
(सोलह)	उत्तर प्रदेश के उन्नाव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जर्जर सड़कों का सर्वेक्षण कराने तथा उन्नाव-रायबरेली रोड पर लोन नदी पर एक सेतु बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री ब्रजेश पाठक	66
(सत्रह)	उड़ीसा में नृहसिंहनाथ और हरिशंकर मंदिरों के बीच रस्सी से बनी सीढ़ी की सुविधा समेत नृहसिंहनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रसन्न आचार्य	67

विषय कॉलम

(अठारह) तमिलनाडु के लब्ध प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी एम.सी. वीराबाहु की स्मृति में स्मारक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. अप्पादुरई 68

(उन्नीस) कामगारों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से झारखंड में सिंदरी फर्टिलाइजर वर्क्स और हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री टेक लाल महतो 68

(बीस) न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण हेतु पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.सी. थामस 69

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड विधेयक, 2006

विचार करने के लिए प्रस्ताव

प्रो. रासा सिंह रावत 69

श्री के.एस. राव 73

डा. सुजान चक्रवर्ती 78

श्री ब्रजेश पाठक 81

श्री काशीराम राणा 84

श्री एल. राजगोपाल 86

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" 88

श्री प्रबोध पण्डा 91

श्री किरेन रिजीजू 93

श्री मधुसूदन मिस्त्री 94

श्री पी.सी. थामस 98

प्रो. एम. रामदास 100

श्री विक्रम केशरी देव 103

श्री भर्तृहरि महताब 105

श्री आलोक कुमार मेहता 107

विषय कॉलम

श्री किन्जरपु येरननायडु 109

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी 112

श्री तूफानी सरोज 113

डा. के.एस. मनोज 114

श्री वरकला राधाकृष्णन. 115

श्री संतोष गंगवार 118

श्री मुरली देवरा 119

खंड 2 से 63 और 1 131

पारित करने के लिए प्रस्ताव 131

नियम 193 के अधीन चर्चा

जम्मू-कश्मीर में शांति को बढ़ावा देने के लिए 25.2.2006 को प्रधान मंत्री, विभिन्न राजनीतिक दलों और कश्मीरी नेताओं के बीच हुए गोलमेज सम्मेलन के निष्कर्ष के बारे में

चौधरी लाल सिंह 131

श्री अविनाश राय खन्ना 142

मोहम्मद सलीम 148

श्री शैलेन्द्र कुमार 155

श्री रघुनाथ झा 157

श्री मदन लाल शर्मा 160

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन .
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 21 मार्च, 2006/30 फाल्गुन 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी टी०वी० पर एक स्टिंग ऑपरेशन आ रहा है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे कुछ कार्य पूरे करने हैं। सबसे पहले सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे। उसके बाद, मैं आपको बोलने का अवसर देने की पूरी कोशिश करूंगा।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : मैं, श्री रामविलास पासवान की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4034/06]

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी०आर० किन्डिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न हैंडिक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न हैंडिक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4035/06]

(ख) (एक) नेशनल शिड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल शिड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4036/06]

(3) उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के वर्ष 2006-2007 के निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4037/06]

(4) उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के वर्ष 2006-2007 के परिणाम बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4038/06]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वर्ष 2006-2007 के परिणाम बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4039/06]

(2) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वर्ष 2005-2006 के निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4040/06]

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा० रघुवंश प्रसाद सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के वर्ष 2006-2007 के परिणाम बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4041/06]

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : मैं न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 2005 (खंड I और II) संबंधी भारत के विधि आयोग के 195वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-जनवरी, 2006 सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4042/06]

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी०आर० किन्डिया) : महोदय, मैं श्री मणिशंकर अय्यर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरम्बदूर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरम्बदूर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4043/06]

(3) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के वर्ष 2006-2007 के परिणाम बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4044/06]

(4) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के वर्ष 2006-2007 के निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4045/06]

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वर्ष 2006-2007 के परिणाम बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4046/06]

[हिन्दी]

कोयला मंत्री (श्री शिबु सोरेन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कोयला मंत्रालय के वर्ष 2006-2007 के परिणाम बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4047/06]

(2) कोयला मंत्रालय के वर्ष 2005-2006 के निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4048/06]

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्ष 2006-2007 के परिणाम बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4049/06]

(2) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के वर्ष 2006-2007 के परिणाम बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4050/06]

(3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्ष 2006-2007 के परिणाम बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4051/06]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का 55वां वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) प्रतिवेदन के अध्याय 10 में उल्लिखित मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को अस्वीकार किए जाने के कारण बताने वाला ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4052/06]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) भारतीय वन सेवा (काडर संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2004, जो 11 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 412 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2004, जो 11 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 413 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2004, जो 18 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 431 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2004, जो 18 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 432 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (काडर संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2005, जो 17 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 592(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2005, जो 17 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 593(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4053/06]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : महोदय, मैं, श्री विजय हान्डिक की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रुगढ़ के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रुगढ़ का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षित की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4054/06]

(3) (एक) कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4055/06]

[श्री सुरेश पचौरी]

(5) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के वर्ष 2006-2007 के निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4056/06]

(6) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के वर्ष 2006-2007 के परिणाम बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4057/06]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :–

(1) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ बायोलाजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4058/06]

(3) (एक) इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4059/06]

(5) दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद (नए दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, नए या उच्चतर अध्ययन अथवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करना और दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता बढ़ाना) विनियम, 2006 जो 12 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-22-2005 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4060/06]

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : मैं श्री के०एच० मुनियप्पा की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 1804(अ) जो 23 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5क (चांदीखोल–पारादीप खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अधिग्रहण किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4061/06]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) पश्चिम बंगाल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पश्चिम बंगाल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4062/06]

(ख) (एक) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमैन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 1984-1985 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमैन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 1984-1985 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4063/06]

(ग) (एक) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमैन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 1985-1986 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमैन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 1985-1986 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4064/06]

(घ) (एक) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमैन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमैन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4065/06]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मद संख्या 15, श्री मो० अली अशरफ फातमी।

मो० सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा पत्र सभा पटल पर रखे जाने की अनुमति दिए जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

[हिन्दी]

आइटम नम्बर 15 के 7वें बिन्दु को यदि आप देखेंगे तो इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में दिया गया है। यह उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट है। यहां मंत्री जी रिपोर्ट ले करने के लिए आते हैं। चाहे वह एनुअल रिपोर्ट हो या ऑडिटेड रिपोर्ट हो। लेकिन मैं यह पहली बार देख रहा हूं कि अगर देर होती है तो डिले के लिए रीजन देते हैं। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं कि मंत्री जी आ रहे हैं कि रिपोर्ट ले नहीं कर सकते।

[अनुवाद]

क्या आप उन्हें सभा पटल पर रखने देंगे? महोदय, कृपया मद 15(7) देखें। इसमें कहा गया है कि :

"लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर. . . वार्षिक प्रतिवेदन नहीं रखे जाने का कारण बताने के विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।"

[हिन्दी]

यह किस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला चल रहा है। यह मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं। इस पर सरकार को कोई निर्णय तो लेना पड़ेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। कृपया बैठ जाइए। अब मद संख्या 15 श्री मो० अली अशरफ फातमी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4066/06]

(3) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी]

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4067/06]

(5) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4068/06]

(7) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष के समाप्त होने के बाद नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 4069/06]

(8) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4070/06]

(10) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4071/06]

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्य) भर्ती नियम, 2006 जो दिनांक 3 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 44(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्य) भर्ती नियम, 2006 जो दिनांक 3 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 45(अ) में प्रकाशित हुए, थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4072/06]

(2) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2004 जो 23 अक्तूबर, 2004 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या पेंशन 01/2004 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4073/06]

(4) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2006 का संख्यांक 1)—मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार के लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4074/06]

(दो) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2006 का संख्यांक 2)—मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संव्यवहार लेखापरीक्षा टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4075/06]

(तीन) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2006 का संख्यांक 3)—मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्वायत्तशासी निकाय।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 4076/06]

(चार) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2006 का संख्यांक 4)—मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए थल सेना और आयुध निर्माणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 4077/06]

(पांच) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2006 का संख्यांक 5)—मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वायु सेना और नौसेना।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 4078/06]

(5) संघ सरकार-वर्ष 2004-2005 के लिए वित्त लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4079/06]

(6) संघ सरकार-वर्ष 2004-2005 के लिए विनियोग लेखाओं (सिविल) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4080/06]

(7) संघ सरकार-वर्ष 2004-2005 के लिए विनियोग लेखाओं (डाक सेवाएं) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4081/06]

(8) संघ सरकार-वर्ष 2004-2005 के लिए विनियोग लेखाओं (रक्षा सेवाएं) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4082/06]

[हिन्दी]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत यंत्र निगम लिमिटेड तथा उसकी सहायक कम्पनियों के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत यंत्र निगम लिमिटेड तथा उसकी सहायक कम्पनियों का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपरोक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4083/06]

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) : मैं, श्री आनंद शर्मा की ओर से विदेशी मंत्रालय के वर्ष 2006-2007 के परिणाम बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4084/06]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : मैं, श्री दिनशा जे० पटेल की ओर से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वर्ष 2006-2007 के निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4085/06]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

[डा० अखिलेश दास]

(1) इस्पात मंत्रालय के वर्ष 2006-2007 के परिणाम बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4086/06]

(2) इस्पात मंत्रालय के वर्ष 2005-2006 के निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4087/06]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : मैं न्याय बोर्ड के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष के समाप्त होने के बाद नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4088/06]

पूर्वाह्न 11.07 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2006 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 17 मार्च, 2006 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

पूर्वाह्न 11.07½ बजे

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारतीय संसदीय सहभागिता

प्रतिवेदन

[अनुवाद]

महासचिव : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं :–

(एक) सितम्बर, 2005 में न्यूयार्क में संसदों के अध्यक्षों के दूसरे विश्व सम्मेलन में भारतीय संसदीय सहभागिता संबंधी प्रतिवेदन; तथा

(दो) अक्टूबर, 2005 में जिनेवा में अंतरसंसदीय संघ की 113वीं सभा में भारतीय संसदीय सहभागिता संबंधी प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

प्राक्कलन समिति

(एक) की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सी० कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :–

(एक) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग – बैंकिंग प्रभाग) – 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक – गैर-निष्पादनकारी आस्तियां' के बारे में प्राक्कलन समिति (14वीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।

(दो) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) – 'लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट)' के बारे में प्राक्कलन समिति (14वीं लोक सभा) के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही।

पूर्वाह्न 11.08½ बजे

(दो) विवरण

[अनुवाद]

श्री सी० कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : मैं वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग-बैंकिंग प्रभाग)–'आंचलिक ग्रामीण बैंक' के बारे में प्राक्कलन समिति (14वीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

बारहवां और तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :–

(1) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड-किशनपुर मोगा ट्रांसमीशन प्रणाली के निर्माण में अतिरिक्त व्यय-433.81 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (14वीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 12वां प्रतिवेदन; और

(2) एयरपोर्ट आथोरिटी आफ इंडिया-मुद्रा विनिमय पटलों का परिचालन करने के लिए लाइसेंस सौंपने में विलंब के कारण राजस्व की हानि के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (14वीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.09½ बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

आठवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006)' के बारे में समिति के पांचवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2005-06) के आठवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

(एक) 98वें से 101वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रविन्दर नाइक धारावत (वारंगल) : मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं : –

(एक) 'रेलवे संरक्षा आयोग का कार्यकरण' के बारे में समिति के 83वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 98वां प्रतिवेदन;

(दो) नावधिकरण विधेयक, 2005 के बारे में 99वां प्रतिवेदन;

(तीन) अंतर्देशीय जलयान (संशोधन) विधेयक, 2005 के बारे में 100वां प्रतिवेदन; और

(चार) सड़क से वहन विधेयक, 2005 के बारे में 101वां प्रतिवेदन।

(दो) साक्ष्य

[अनुवाद]

श्री रविन्दर नाइक धारावत (वारंगल) : मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(एक) नावधिकरण विधेयक, 2005;

(दो) अंतर्देशीय जलयान (संशोधन) विधेयक, 2005; और

(तीन) सड़क से वहन विधेयक, 2005।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) स्कोर्पीन पनडुब्बी परियोजना

[अनुवाद]

***रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं स्वप्रेरित वक्तव्य देता हूं। कुछ समाचार पत्रों में कुछ रिपोर्टें छपी हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि फ्रांस के साथ हुए 16,000 करोड़ रुपए के स्कोर्पीन समझौते में बिचौलिए शामिल थे और कमीशन दिया गया था और फ्रांसीसी फर्मों के साथ पहले से बातचीत द्वारा तय की गई धनराशि से 4,500 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान किया गया। पत्रिका को 14 फरवरी, 2006 को समुचित प्रत्युत्तर भेजे गए थे। ''पनडुब्बियों की खरीद'' विषय पर राज्य सभा में 8.3.2006 को अंतारांकित प्रश्न संख्या 1689 का उत्तर दिया गया था।

लोक सभा और राज्य सभा में विपक्ष के नेताओं और एक पूर्व रक्षा मंत्री ने 20 मार्च, 2006 को इन आरोपों को दोहराया।

---

*ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 4089/06

[श्री प्रणब मुखर्जी]

इस मामले की सच्चाई इन आरोपों के विपरीत है।

फ्रांसीसी फर्मों के साथ स्कोर्पीन परियोजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए की कोई संविदा अथवा संविदाओं पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। इस परियोजना के लिए दो फ्रांसीसी फर्मों अर्थात् मैसर्स आर्मारिस और एम०बी०डी०ए० के साथ हस्ताक्षर की गई दो संविदाओं की कुल लागत 7,197 करोड़ रुपए है।

सरकार ने पहले से बातचीत द्वारा तय की गई धनराशि से 4,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का भुगतान नहीं किया। इसके विपरीत, मौजूदा सरकार ने सत्ता में आने के पश्चात् इस परियोजना की पुन: जांच की हालांकि सभी वार्ताएं 2002 में पूरी की जा चुकी थीं तथा वित्त मंत्रालय ने इस परियोजना को 2003 में अनुमति प्रदान कर दी थी। मौजूदा सरकार ने इस संबंध में वार्ताएं की तथा दो फ्रांसीसी फर्मों के साथ संविदा में 2002 की बातचीत द्वारा तय स्थिति में से 313 करोड़ रुपए की कमी करने में सफलता पाई। इसके अतिरिक्त, फ्रांसीसी फर्मों के साथ सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य बनाया गया तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा पहली बार किए जाने वाले दो सत्यनिष्ठा समझौतों पर संविदाओं के साथ ही हस्ताक्षर किए गए।

वार्ताओं के परिणामस्वरूप, सरकार कई दीर्घकालिक रियायतें हासिल करने में भी सक्षम हुई थी। इसमें आर्मारिस संविदा के निर्धारित अंश का समायोजन करके तथा एम०बी०डी०ए० संविदा में वृद्धि पर ऊपरी सीमा लगाकर वृद्धि फार्मूले में संशोधन किया गया जिससे भारतीय पक्ष को लाभ हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मझगांव डॉक लिमिटेड के लाभ की गणना करने के लिए विनिमय दर परिवर्तन पर भी ऊपरी सीमा लगाई गई थी।

दो फ्रांसीसी फर्मों के साथ संविदा के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ पनडुब्बियों के स्वदेशी विनिर्माण हेतु 5888 करोड़ रुपए की केवल एक अन्य संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित संविदा के मूल्य को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना के लिए मंजूर की गई 18,798 करोड़ रुपए की राशि में से स्कोर्पीन परियोजना के लिए हस्ताक्षरित सभी संविदाओं का कुल मूल्य 13,085 करोड़ रुपए है। मंजूर की गई राशि में से बची 5713 करोड़ रुपए की शेष राशि में से 3553 करोड़ रुपए करों की अदायगी में खर्च किए जाने के लिए और 2,160 करोड़ रुपए उन वस्तुओं को अर्जित करने पर खर्च किए जाने के लिए हैं जिनके लिए परियोजना अवधि के दौरान प्रारंभिक उपाय ही किए गए थे। इस शीर्ष के तहत मदों के लिए किसी संविदा या संविदाओं पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। भारत और फ्रांस के बीच इस आशय के एक तकनीकी करार पर भी हस्ताक्षर किए गए थे कि इस परियोजना को फ्रांस की सरकार का सहयोग अनवरत मिलना सुनिश्चित हो।

परियोजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा समझौतों में इसके किसी उपबंध का उल्लंघन करने के मामले में कठोर शास्तियों को शामिल किया गया है। इन सुरक्षा उपायों में संविदा को रद्द किया जाना, यूरोपीयन इन्टर बैंक ऑफर्ड रेट या यूरीबोर से 2% से अधिक के ब्याज की दर पर सभी पेशगियों की वसूली किया जाना, इस तरह की वसूलियां करने के लिए किसी अन्य संविदा के तहत खरीदार को बकाया राशि की अदायगी न किया जाना, परिनिर्धारित नुकसानी लगाया जाना और किसी बिचौलिए अथवा एजेंट को अदा की गई सारी धनराशि की वसूली करना भी शामिल है। इसके अलावा, फ्रांस की सरकार ने यह भी सूचित किया है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सौदों में विदेशी सरकारी कर्मचारियों को घूस न दिए जाने के बारे में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ०ई०सी०डी०) समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं और फ्रांस के कानून भी भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए और कठोर बनाए गए हैं।

फ्रांसीसी कंपनी जिस पर कथित बिचौलिए को दलाली का भुगतान करने का आरोप लगाया गया है ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि जर्नल में प्रकाशित सभी ई-मेल जाली और काल्पनिक हैं। भारत में फ्रांसीसी दूतावास ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति में लेख को निंदात्मक बताया है तथा यह नोट किया है कि फ्रांसीसी कंपनी जर्नल के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा रही है। ये खबर है कि अब फ्रांसीसी कंपनी ने सर्वप्रथम आरोप लगाने वाले जर्नल के खिलाफ 24 फरवरी, 2006 को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर कर दिया गया है। न्यायालय ने 27 फरवरी, 2006 को जब इस मामले की सुनवाई की तो यह भी बताया जाता है कि उसने कंपनी द्वारा प्रस्तुत वाद के संबंध में जर्नल को अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन का समय दिया है।

कुछ समाचार-पत्रों ने स्कोर्पीन परियोजना और सुरक्षा के उल्लंघन जोकि नौसेना मुख्यालय में नौसेना संक्रिया निदेशालय में हुआ था, के बीच भी संपर्क स्थापित करने का जिक्र किया है। सुरक्षा के उल्लंघन के मामले पर मई, 2005 में वायुसेना मुख्यालय द्वारा आयोजित जांच अदालत के दौरान यह प्रमाणित किया गया था कि एक पूर्व नौसेना अधिकारी लेफ्टि० (सेवानिवृत्त) कुलभूषण पराशर के पास से एक पैनड्राइव बरामद की ई थी जिसमें नौसेना संक्रिया निदेशालय से संबद्ध कुछ वर्गीकृत सूचना थी। इस मामले की पूरी जांच करने के लिए एक जांच बोर्ड गठित किया गया था। बोर्ड ने यह प्रमाणित किया कि जो सूचना अनधिकृत व्यक्तियों को लीक की गई है वह मुख्यत: वाणिज्यिक महत्व की है। तथापि, लीक हुई सूचना स्कोर्पीन परियोजना से संबंधित नहीं है।

बोर्ड ने कैप्टन कश्यप कुमार, कमांडर विनोद कुमार झा और कमांडर विजयेन्द्र राणा नामक तीन नौसेना अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें कुछ सेवानिवृत्त अफसरों और सिविलियनों का भी शामिल होना बताया गया है। नौसेना की विनियमावली के विनियम 216 भाग-II (सांविधिक) के साथ पठित नौसेना अधिनियम 1957 की धारा 15 में प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26 अक्तूबर, 2005 को नौसेना ने नौसेना जांच बोर्ड द्वारा गंभीर रूप से अभ्यारोपित तीन नौसेना अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्त किए गए अधिकारियों में से एक अधिकारी, कैप्टन कश्यप कुमार ने नवंबर, 2005 में उन्हें सेवा से बर्खास्त किए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है।

18 फरवरी, 2006 को रक्षा मंत्रालय ने नौसेना मुख्यालय में नौसेना संक्रिया निदेशालय से सूचना लीक होने से संबंधित मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को आगामी जांच करने और सूचना लीक करने में संलिप्त सिविलियनों और सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ-साथ बर्खास्त किए गए अफसरों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाहियां दायर करने के लिए भेज दिया है।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल) : महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। यह उचित मंच नहीं है।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, जब भी लोक सभा में कोई वक्तव्य दिया जाता है तो उस समय प्रश्न पूछने या चर्चा करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई सदस्य चर्चा कराना चाहता है तो वह इसकी सूचना दे सकता है और उसका स्वागत होगा। अन्यथा, यहां इसकी अनुमति नहीं है *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल) : क्या सरकार को कोई आपत्ति है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह उचित मंच नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, वह चर्चा कराने के लिए नोटिस दे सकते हैं। वह चर्चा कराने हेतु नोटिस देने के लिए स्वतंत्र हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

जैसा कि आपको मालूम ही है, लोक सभा में मंत्री के वक्तव्य पर क्लैरीफिकेशन पूछने की परम्परा नहीं है। इसलिए यदि माननीय सदस्य इस पर बहस चाहते हैं, तो हम बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए पहले वे विधिवत् अध्यक्ष महोदय को नोटिस दें। *(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज एक टी०वी० चैनल पर एक मंत्री के बारे में स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जा रहा है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : संतोष गंगवार जी, अभी जीरो ऑवर शुरू नहीं हुआ है। जब जीरो ऑवर शुरू हो, तब आप इस मामले पर बोलना।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप 'शून्य काल' के दौरान इस मुद्दे को उठा सकते हैं, अभी नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। हमें अन्य मदों को लेना है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक महिला का नाम बताया गया है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : शैलेन्द्र कुमार जी, मैंने अभी कहा कि शून्य काल में ऐसे मामलों को उठाया जाए। अभी शून्य-काल प्रारंभ नहीं हुआ है। आप कृपया बैठिए।

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। हमें इस विषय पर एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करना चाहिए *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हमें मद संख्या 31 पर विचार करना चाहिए। डा० अखिलेश प्रसाद सिंह।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, किसी को भी मस्तिष्क ज्वर से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। सदस्य यदि नोटिस देते हैं तो हम इस

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

पर चर्चा कराने के लिए तैयार होंगे। मैं समझ सकता हूं कि महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू है लेकिन सदन में कोई मस्तिष्क ज्वर नहीं फैला है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें से कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 31 पर विचार करेंगे। डा० अखिलेश प्रसाद सिंह।

पूर्वाह्न 11.20 बजे

(दो) खाद्यान्नों को अन्यत्र भेजे जाने के बारे में तारांकित प्रश्न सं० 123 के संबंध में दिनांक 27.2.2006 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[अनुवाद]

"कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : खाद्यान्नों को अन्यत्र भेजा जाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 123 के संबंध में 27 फरवरी, 2006 को दिए गए उत्तर में अनजाने में टंकण संबंधी कुछ अशुद्धियां हो गई थीं।

संबंधित प्रश्न के भाग (ज) में निर्दिष्ट परिशिष्ट में जनवरी-दिसम्बर 2004 की अवधि के लिए वक्तव्य में क्रम संख्या 1 कॉलम 3 और क्रम सं० 9 कॉलम 4 तथा जनवरी-दिसम्बर 2005 की अवधि के लिए वक्तव्य में क्रम संख्या 1 कॉलम 3 में दिए गए शब्दों और आंकड़ों को निम्नलिखित संशोधित रूप में पढ़ा जाए :

जनवरी-दिसम्बर 2004 की अवधि का विवरण

क्रम सं० 1	कॉ० 3	35,81,500 रुपये के स्थान पर 35,815 रुपये पढ़ें
क्रम सं० 9	कॉ० 4	32,76,537.94 रुपये के स्थान पर 3,76,537.94 रुपये पढ़ें

जनवरी-दिसम्बर 2005 की अवधि का विवरण

क्रम सं० 1	कॉ० 3	56,797 लाख रुपये के स्थान पर 56,797 पढ़ें

संसद सत्र के दौरान काम अधिक होने तथा विभाग का ध्यान इस त्रुटि की ओर देर से जाने के कारण दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण निर्धारित अवधि में सभा पटल पर नहीं रखा जा सका।

पूर्वाह्न 11.23 बजे

अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : श्री शरद पवार की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० अखिलेश प्रसाद सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

पूर्वाह्न 11.25 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) टी०वी० चैनलों द्वारा स्टिंग ऑपरेशन के प्रसारण के बारे में

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 'शून्य काल' की कार्यवाही शुरू करेंगे।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 4090/06

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 21 मार्च, 2006 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप अगली कार्यवाही शुरू करें, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज एक टी०वी० चैनल पर एक प्रकरण आ रहा है जिसमें एक माननीय मंत्री के बारे में स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जा रहा है। यह बहुत ही गम्भीर बात है क्योंकि सांसदों की प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस चैनल पर सरकार तुरन्त कोई कार्रवाई करे और वक्तव्य दे।

महोदय, इससे पहले जो कुछ हुआ है, उससे समाज में हमारे बारे में जो राय दी जा रही है, वह ठीक नहीं है और हमारी प्रतिष्ठा काफी गिरी है। जब से मंत्री के बारे में स्टिंग ऑपरेशन टी०वी० चैनल पर दिखाया जा रहा है तब से अब तक टी०वी० चैनल के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री के संबंध में जो कुछ टी०वी० पर आया है, यदि वह सत्य है, तो उसके बारे में कार्रवाई की जाए। अगर असत्य है तो इस सब पर विचार किया जाये और भविष्य में अगर ऐसा स्टिंग आपरेशन होता है तो बिना आपकी अनुमति के अगर प्रकाशित होता है तो यह बहुत बड़ा अपराध है। माननीय मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि उनको भी इस बात की सफाई का मौका दिया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : संतोष गंगवार जी ने जो बात उठाई है, इसमें कोई पार्टी का मसला नहीं है। इस पर पूरे सदन की गरिमा, पूरे देश की गरिमा निर्भर करती है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि हमारे टी०वी० चैनल्स में जल्दी टी०आर०पी० बढ़ाने के नाम पर, सनसनी फैलाने के नाम पर कभी-कभी बेबुनियाद चीजों को लेकर भी कुछ काम हो रहा है। 2-3 चीजें मैंने इसके बारे में देखीं, खासकर कल जो हुआ, इसके बारे में चैनल को शो कॉज़ करने और उनको तथ्य निकालने के बाद आज दोपहर के बाद मैं कदम उठाऊंगा और इसके बाद मैं यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि जो सच है, पत्रकार लिखें, जो सच है, वह दिखायें, लेकिन बिजनेस के धन्धे में एक पैसा किसी को देकर घर के अन्दर जाकर दो पैसे की खबर लाओ, तुमको चार पैसा मिलेगा, यह सारा धन्धा बन्द करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, वह कदम मैं उठाऊंगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोनाप्पन नम्बाडन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, मैं दृष्टिहीन, बधिर और मूक व्यक्तियों तथा 50 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षमता वाले विकलांग व्यक्तियों को रेलगाड़ियों में 100 प्रतिशत यात्रा रियायत अनुदान संबंधी मामले की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के साथ मार्गरक्षी के रूप में यात्रा करते हैं उन्हें भी ऐसी रियायतें प्रदान की जानी चाहिए।

इसी प्रकार, सभी वरिष्ठ नागरिकों को 75 प्रतिशत तक यात्रा रियायत प्रदान की जानी चाहिए और इसके अलावा 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को एक सहायक या मार्गरक्षी को साथ लेकर 75 प्रतिशत यात्रा रियायत के साथ यात्रा करने की अनुमति भी दी जानी चाहिए।

सभी लोगों के लिए यह संभव नहीं है कि वे अपने संबंधियों के पार्थिव शरीर को कार्यस्थल से अपने गृहनगर तक हवाई जहाज से ले जाने का खर्च वहन कर सकें। पार्थिव शरीर को रेलगाड़ियों में कम से कम दो व्यक्तियों के साथ निःशुल्क ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। पददलित वर्गों और आर्थिक रूप से गरीब तबकों के गरीब रोगियों को दी जा रही रियायत को बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उपर्युक्त रियायतों को शीघ्र प्रदान करना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आपने दो मुद्दों के संबंध में नोटिस दिया है पर आपको सिर्फ एक मुद्दा उठाने की अनुमति है। यह आप पर निर्भर है।

[हिन्दी]

कि कौन सा मैटर उठाना है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कम समय में दो बातें हम बोल देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, एक इश्यू उठाइये।

श्री बसुदेव आचार्य : कम समय में उठाएंगे, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे।

[अनुवाद]

महोदय, कल भारतीय रिजर्व बैंक के मामले में पूंजी परिवर्तनीयता के संबंध में मामला उठाया गया था क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। यह कुछ नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक का महत्व कम से कम करने की कोशिश थी। लेकिन सबसे अनिष्ट-सूचक बात वह है जोकि आज भारतीय रिजर्व बैंक के मामले में हो रहा है। नौकरियों की आउटसोर्सिंग और भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्षेत्र का तेजी से सिकुड़ना जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक का अपने कार्यकलापों के उन सभी क्षेत्रों से स्वयं को खींच लेने का खतरा पैदा हो गया है जिसका राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा इससे कर्मचारियों की संख्या पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

[श्री वसुदेव आचार्य]

समूह 'ग' कर्मचारियों की संख्या में पहले से ही भारी कटौती की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य समूह 'ग' श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कम करना है। इसके पीछे गुप्त एजेंडा है भारतीय रिजर्व बैंक में मजदूर संघ की गतिविधियों को नियंत्रित करना।

कुछ वर्ष पहले राजग सरकार के शासन के दौरान जब भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा सफलतापूर्वक हड़ताल की गयी थी तो तत्कालीन वित्त मंत्री ने बयान दिया था कि भारतीय रिजर्व बैंक जैसी संवेदनशील संस्था में मजदूर संघ की गतिविधियों की अनुमति देना घातक होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की कुल संख्या जो वर्ष 1990 में 36,000 थी, घटकर अब 20,000 रह गई है। वर्ष 2003 में 4500 कर्मचारियों की कटौती और की गयी थी। श्रेणी 'तीन' के कर्मचारियों की संख्या में तीव्र गति से की जा रही कटौती का उद्देश्य मजदूर संघ की गतिविधियों को नियंत्रित करना है। इतने बड़े यह घातक और अनिष्ट-सूचक हैं।

मेरा सरकार से आग्रह है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक के महत्व को उसके कर्मचारियों की संख्या में कटौती करके कम न करे और इस महत्वपूर्ण संस्था के कार्यकलापों को कम नहीं किया जाना चाहिए।

महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए आप कल नोटिस दें। एक नोटिस के द्वारा दो मुद्दे उठाना उचित नहीं है।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, श्रम मंत्रालय ने जारी किया है ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए कल नोटिस दे सकते हैं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो० महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, उनकी जो बात रिकार्ड में आ गयी है, उसका क्या होगा? ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब फैसला हो गया है कि वे एक ही इश्यू पर बोलेंगे, तो उसके बाद उनकी कोई भी बात रिकार्ड में नहीं गयी है।

(व्यवधान)

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान पंजाब के उन जिलों की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसने पिछले चार-पांच सालों से समय से और अच्छी वर्षा न होने के कारण सूखे जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। पंजाब के बहुत से ऐसे जिले हैं जहां डीप ट्यूबवैल लगाने की जरूरत है। लेकिन वहां के लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वे ट्यूबवैल लगा पायें। पानी का प्रबंध न होने के कारण वहां आज सूखे जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है।

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान किसानों की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। वर्ष 1992 से पहले लोगों ने बिजली के कनैक्शन लेने के लिए एप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक उनको ट्यूबवैल लगाने के लिए बिजली के कनैक्शन नहीं मिले हैं। आज जमीन पानी के लिए तरस रही हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कंडी क्षेत्र के होशियारपुर, आनंदपुर और रोपड़ जिलों में एक स्पेशल गिरदावरी करने का आदेश दिया जाये। इसके साथ-साथ मैं केन्द्र सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपनी एक टीम वहां भेजे क्योंकि जब हम बार-बार पंजाब के बारे में क्वैश्चन पूछते हैं तो यही जवाब आता है कि पंजाब से उनको फीड बैक नहीं मिला। इसलिए केन्द्र सरकार अपनी एक टीम वहां भेजे जिससे वे देख सके कि वहां किसानों की क्या हालत है और वह क्यों सूसाइड कर रहा है?

मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार अपनी टीम पंजाब भेजकर सारी स्थिति का जायजा ले और स्पेशल गिरदावरी का आदेश दिया जाये।

[अनुवाद]

श्री एल० राजगोपाल (विजयवाड़ा) : महोदय, मुझे महत्वपूर्ण मुद्दा, विशेषकर महिलाओं संबंधी मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। निजी और लघु वित्तीय कंपनियों द्वारा स्व-सहायता समूहों का बड़े पैमाने पर शोषण होता है। ऐसा विभिन्न जिलों, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, प्रकाश में आया है परंतु ऐसा देश के अन्य भागों में भी हो रहा है।

ऐसी संस्थाएं जो लघु वित्तीय कंपनियों के नाम से अस्तित्व में आयी हैं बैंकों से ऋण सुविधा प्राप्त कर रही हैं। बैंक इन कंपनियों को 12 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दे रहे हैं और ये कंपनियां संवेदनशील स्व-सहायता समूहों को विशेषकर महिलाओं को 36 प्रतिशत से 60 प्रतिशत की अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण दे रही हैं।

इस संबंध में मैंने बैंकरों से व्यक्तिगत तौर पर बात-चीत की है और मैंने उनसे पूछा कि वे स्व-सहायता समूहों को सीधे ऋण प्रदान करने के बजाय ऐसे बिचौलियों को ऋण क्यों दे रहे हैं। अकेले आंध्र प्रदेश में ही सरकार स्व-सहायता समूहों को सीधे तौर पर 1500 करोड़ रुपये और ऐसे बिचौलियों के माध्यम से 3500 करोड़ रुपये दे रही है। इसका अर्थ यह है कि नियमित बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से किया गया वित्तपोषण इन लघु वित्तीय कंपनियों के माध्यम से वास्तव में किये गये वित्तपोषण का सिर्फ एक तिहाई है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, असहाय महिलाएं जिनमें से ज्यादातर ग्रामीण अशिक्षित और शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाली हैं, अत्यंत जरूरत के समय इन कंपनियों से रुपये उधार लेती हैं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करती हैं। ये कंपनियां उन महिलाओं से ऋण की वसूली बलपूर्वक कर रही है। सिर्फ यहीं हृदयविदारक बात नहीं है बल्कि इसके कारण महिलाओं द्वारा आत्महत्या करने के कई मामले भी प्रकाश में आए हैं। केवल आंध्र प्रदेश में ऐसे 100 मामले प्रकाश में आए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी मांग क्या है?

श्री एल० राजगोपाल : महोदय, मैंने इस मुद्दे को एक वर्ष पूर्व उठाया था। मैंने सरकार से गुजारिश की थी कि वह बैंकों पर प्रतिबंध लगाए ताकि वे ऐसी लघु वित्तीय कंपनियों को ऋण प्रदान न करें और भारतीय रिजर्व बैंक को भी इस संबंध में कठोर दिशानिर्देश जारी करने चाहिए कि ऐसे कार्य को प्राथमिकता ऋण के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए *(व्यवधान)* ऐसी घटनाएं देश के अन्य भागों में भी हो रही हैं। मैं पूरे देश को इससे अवगत कराना चाहता हूं और चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो० महादेवराव शिवनकर : उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिण पूर्व रेलवे पर नागपुर डिवीजन में आमगांव एक रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन को बेहतर बनाने का कार्य और नयी रेलवे लाइन डालने का कार्य रेलवे की भूमि में गत वर्ष से चल रहा है। 23.10.2005 को तहसीलदार, आमगांव ने मिट्टी का काम बंद करने का आदेश दिया और रॉयल्टी जमा करने के लिए कहा तथा 57,000 रुपये की रॉयल्टी पर 3,42,000 रुपये का दंड भरने को कहा। रेलवे विभाग नागपुर के उच्च न्यायालय में गया, कोर्ट ने स्टे भी दे दिया और 6 माह काम बंद रहा। फिर से काम चालू किया गया मगर फिर तहसीलदार आमगांव, महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी ने रॉयल्टी के लिए रेलवे की जगह पर खड़े एक निजी ट्रक को दिनांक 20.03.2006 को जब्त कर लिया। महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी और नागपुर मंडल के रेलवे अधिकारियों के झगड़े के कारण 60 रोज काम बंद रहा। 60 रोज पूर्व अगर यह काम पूरा हो गया होता तो कम से कम 60 रैक्स वहां प्राप्त हो सकते थे और 4 करोड़ 80 लाख रुपये रेलवे को मिलते। वहां जो कांट्रैक्टर था, उसने प्रति रोज 10,000 रुपये का नुकसान भी मांगा है। इस प्रकार महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी एवं रेलवे के अधिकारियों के कारण रेलवे को भारी प्रमाण में नुकसान हो रहा है। इसीलिए मैं रेलवे विभाग से विशेषकर माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस झगड़े के संबंध में तुरंत पहल करें अन्यथा यह घटना महाराष्ट्र में हो गई है लेकिन इसके कारण विकास के सारे काम अवरुद्ध हो जाएंगे। दोनों जगह केन्द्र और महाराष्ट्र में एक ही पार्टी की सरकार है मगर यह सरकार किस प्रकार से दोनों राज्य में चल रही है और कैसे झगड़े हो रहे हैं, इसका यह एक नमूना है। इसलिए रेलवे विभाग से मेरी प्रार्थना है कि इसमें तुरन्त दखल दे और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए।

डा० करण सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, यूं तो हर लेवल रेलवे क्रॉसिंग और रेलवे फाटक से जनता को असुविधा होती है, लेकिन मेरे लोकसभा क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी रेलवे की दिल्ली-जयपुर-रिवाड़ी बड़ी लाइन पर स्थित खैरथल कस्बे में रेलवे फाटक के कारण यातायात की भारी अव्यवस्था रहती है। खैरथल कैस्बा एक बहुत बड़ी कृषि मंडी है, जहां काफी संख्या में ट्रक और ट्रैक्टर्स का आवागमन होता रहता है। रेलवे फाटक के बार-बार बन्द होने से मीलों लम्बा जाम लग जाता है। खैरथल की जनता की लम्बे समय से यह मांग रही है कि इस रेलवे फाटक से करीब 300 मीटर आगे जाकर एक अण्डर ब्रिज का निर्माण किया जाए जिससे कम से कम हल्के चौपहिया-दुपहिया वाहन एवं पैदल यात्री जा सकें। खैरथल के विकास मंच की मांग पर रेल प्रशासन ने इस कार्य हेतु लगभग 37 लाख रुपए का एक इस्टीमेट बनाकर जनता के पास भेजा है। खैरथल विकास मंच एक स्वयंसेवी संस्था है और इसके पास इतनी बड़ी राशि जमा कराने का कोई साधन नहीं है। अत: मैं माननीय रेलमंत्री से प्रार्थना करूंगा कि क्षेत्रीय लोगों की कठिनाई को देखते हुए, खैरथल में एक अण्डर ब्रिज का निर्माण किए जाने की स्वीकृति देने की कृपा करें।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भूतल परिवहन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि चार साल पहले बर से लेकर बाड़मेर तक और बर से जोधपुर होते हुए जैसलमेर तक के लिए नेशनल हाइवे संख्या 112 एवं नेशनल हाइवे संख्या 114 स्वीकृत हुए थे। यह स्वीकृति मिले अब तक चार साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वहां पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। ये दोनों नेशनल हाइवे सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जहां पर हमेशा देश की सेना की गाड़ियों का आवागमन होता रहता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों सड़कों का कार्य तुरन्त शुरू कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सेन्ट्रल रोड फण्ड से पैसा दिए जाने के लिए राजस्थान सरकार

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री जसवंत सिंह बिश्नोई]

की ओर से प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास आए हुए हैं, लेकिन अभी तक वे प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुए हैं। इसलिए मैं भूतल परिवहन मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि राजस्थान की सड़कों के लिए सेन्ट्रल रोड फण्ड से पैसा दिए जाने की स्वीकृति प्रदान करें।

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, पूरे देश में आज अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सभी श्रेणी के लाखों-करोड़ों पद अभी तक भरे नहीं गए हैं। लगभग 20 वर्षों से पूरे देश में इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, यह एक शर्मनाक बात है। सरकार कहती है कि वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की हितैषी है। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो पद रिक्त पड़े हुए हैं, उनकी भर्ती के लिए एक विशेष अभियान या योजना चलाई जाए। कई बार इस तरह का अभियान या योजना चलाने का कार्यक्रम रखा जाता है, लेकिन वह विशेष अभियान केवल कागजी अभियान बनकर रह जाता है। कुछ पदों की भर्ती की जाती है, कुछ पदों के लिए यह कह दिया जाता है कि आवेदन नहीं आते हैं, यह कहकर टाल-मटोल की जाती है। कुछ जगहों पर उनसे जो आवेदन मांगे जाते हैं और ज्ञापन निकलता है, उसकी सूचना उन्हें नहीं मिल पाती है। इस तरह की तमाम रोड़े अटकाए जाते हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि भारत के समस्त श्रेणियों के पदों को विशेष अभियान चलाकर भरा जाए और उसमें सहभागी न बनने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए जुर्माने और सजा का प्रावधान किया जाए जिससे वे अपनी मर्यादा एवं अनुशासन में रहकर कार्य करें। इस मैं यह मांग करता हूं कि एक समयबद्ध कार्यक्रम चलाकर इसी वर्ष सभी रिक्त पदों की भर्ती की जाए।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका) : महोदय, मैं स्वयं को इसके साथ एसोसिएट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वर्मा जी को भी इनके साथ एशोसिएट कर दीजिए।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने को इससे एसोसिएट करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, बंगाल केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। रसायनों और उर्वरकों के व्यवसाय के अलावा यह भेषज क्षेत्र और कुछ गृह उत्पादों का व्यवसाय भी करती है। कुछ समय से यह कुप्रबंधन के कारण रुग्ण हो गया है। इसका मामला बी०आई०एफ०आर० का सौंप दिया गया था और इसे नया पैकेज मिला जिसका अंततोगत्वा परिणाम 2004 में अधिसूचित पुनरुद्धार पैकेज के रूप में हुआ।

इसे बी०आर०पी०एस०ई० को सौंपे जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद भी इस पर जोर दिया गया था कि ऐसा किया जाना चाहिए हालांकि मंत्रालय के विचार से बी०आई०एफ०आर० द्वारा अनुमोदित अंतिम पैकेज के बाद इसकी आवश्यकता नहीं थी। काफी समय से यह लंबित रहा है। 4 जनवरी, 2004 को अधिसूचित पुनरुद्धार पैकेज को हरी झंडी दे दी गयी। इस संबंध में हमने मंत्रालय और सभी संबंधित निकायों के मामले को जल्दी निबटाने का अनुरोध किया है। संघों, श्री बसुदेव आचार्य मैंने और कई अन्य सदस्यों ने उनसे मुलाकात की। आश्वासन दिया गया कि इसे जल्दी निबटाया जा रहा है। लेकिन कैबिनेट अनुमोदन के लिए कैबिनेट नोट परिचालित किए जाने के बाद अभी तक यह वहीं पड़ा है। इसी दौरान, वहां कुप्रबंधन हो गया है। संपत्ति को गिरवी रखा जा रहा है और कुशल पेशेवर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित किया जा रहा है। अव्यवस्था उत्पन्न की जा रही है।

ऐसी स्थिति में मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि सरकार शीघ्र हस्तक्षेप करे, कुप्रबंधन को रोके और कैबिनेट अनुमोदन द्वारा मामले को जल्दी निबटाए ताकि सरकारी क्षेत्र की ऐसी गौरवशाली कंपनी का समुचित रूप से पुनरुद्धार किया जा सके। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, श्री रूपचंद पाल ने अभी-अभी जो कुछ भी कहा है उससे मैं खुद को संबद्ध करता हूं *(व्यवधान)*

मो० सलीम (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : महोदय, मैं भी श्री रूपचंद पाल द्वारा उठाए गए मामले से खुद को संबद्ध करता हूं *(व्यवधान)*

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, मैं भी श्री रूपचंद पाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से खुद को संबद्ध करता हूं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैं आप सभी को मौका देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपनी बात संक्षेप में रखें, ताकि मैं सभी को बोलने का मौका दें सकूं। मैं समझता हूं कि आप सब मेरे साथ सहयोग करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : उपाध्यक्ष जी, मेरा नाम शैलेन्द्र कुमार है, न कि शैलेन्द्रा कुमार।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : आईएम सॉरी, सर।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास जो पेपर है, उसमें आपके नाम के स्पैलिंग शैलेन्द्रा कुमार हैं, तो मैं क्या करूं। वैसे भी आपके नाम की स्पैलिंग मैंने कम नहीं की है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे लोक महत्व के प्रश्न पर कहने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पूरे देश में 650 शहरों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु जवाहर लाल नेहरू शहरी पुनरुद्धार योजना के तहत राज्यों के ढांचागत निर्माण के सम्बन्ध में पहले चरण में मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों को लिया गया है। इन राज्यों के जिन शहरों को इस योजना के तहत चुना गया है। उनमें भोपाल, राजकोट, अहमदाबाद, हैदराबाद और नागपुर प्रमुख हैं। मेरा इसमें कोई विरोध नहीं है कि इन शहरों में पुलों का, फ्लाईओवर्स का निर्माण, रेलवे लाइन पर पुलों का निर्माण, सफाई का, रोड्स निर्माण का, सीवरेज की व्यवस्था करने और अतिक्रमण हटाने जैसे कार्मों को इस योजना के तहत करना चाहिए। मैं इन राज्यों और इन शहरों का विरोध नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक ही बात दुहरा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं उसी पर आ रहा हूं, लेकिन थोड़ी भूमिका तो बनाने दें, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा। मैंने इसीलिए इनका जिक्र किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो ठीक है, लेकिन रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। मेरे पास करीब 60 सदस्यों की सूची है। अगर ऐसा करेंगे तो सबको मौका नहीं मिलेगा इसलिए मैं इस चीज को अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैंने कल भी निवेदन किया था। उत्तर प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है और आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है। लेकिन वहां का विकास नहीं हो रहा है। पहले चरण में अगर उत्तर प्रदेश को भी शामिल किया जाता तो जो ''कवाल टाउंस'' हैं, जैसे कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ आदि टाउंस हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में इंटरप्ट न करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : पहले फेज में उत्तर प्रदेश के ''कवाल टाउन्स'' जिनका मैंने अभी नाम लिया है, अगर वहां पर विकास के कार्य हों तो मेरे ख्याल से देश के नक्शे पर दिखाई पड़ेगा कि जवाहर लाल नेहरू पुनरुद्धार योजना लागू हो रही है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर शहरी विकास मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे यहां सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जापान इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड द्वारा सुलेम सराय और जीटी रोड पर मुंडेरा में किया गया है, जिसके बगल में एयरपोर्ट भी है और तमाम वी०आई०पी० लोगों का वहां आवागमन लगा रहता है। मैं मांग करता हूं कि कम से कम चार राज्यों के 20 प्रस्तावों में उत्तर प्रदेश के जो ''कवास टाउन्स'' हैं, उनको पहले फेज में लिया जाए।

श्री गणेश सिंह (सतना) : उपाध्यक्ष जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर पहले भी इस सदन में चर्चा हुई है लेकिन लगातार केन्द्र सरकार की उपेक्षा के चलते मुझे पुनः उस बात को यहां कहना पड़ रहा है। अन्य राज्यों में जब प्राकृतिक आपदा आती है तो केन्द्रीय सरकार मदद करती हैं लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 15-20 दिनों से प्राकृतिक आपदा के चलते जिस तरह से किसानों का नुकसान हुआ है, उस पर केन्द्रीय सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं उस विषय को यहां पर रखना चाहता हूं।

मार्च के प्रथम पखवाड़े में मध्य प्रदेश में हुई भीषण ओलावृष्टि तथा तेज बारिश ने प्रदेश के 44 जिलों को तबाह कर दिया है जिससे किसानों की फसल तथा जनधन की भारी हानि हुई है। प्रथम दो सर्वे रिपोर्टों में 672 करोड़ रुपये का नुकसान आंका गया है और पूरी रिपोर्ट आने पर एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की हानि का अनुमान है।

राज्य शासन ने आर०बी०सी० एक्ट में सुधार कर पहले जो मदद दी जाती थी उसको दुगना प्रावधान करके किसानों को युद्ध स्तर पर सहायता पहुंचाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। अब किसानों को 500 से लेकर 20 हजार रुपये तक प्रति हैक्टेयर मदद दी जा सकेगी।

हम सभी सदस्यों ने इसी सदन में प्रधान मंत्री जी से मांग की थी कि जिस तरह से प्राकृतिक आपदा के समय अन्य राज्यों को केन्द्र सरकार मदद पहुंचाती है उसी तरह मध्य प्रदेश के किसानों को भी मदद पहुंचाई जाये। हमने मांग की थी कि केंद्रीय अध्ययन दल भेजा जाये तथा राज्य को एक हजार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता तत्काल दी जाये। लेकिन दुर्भाग्य है कि केन्द्र सरकार ने अभी तक न तो अध्ययन दल वहां भेजा है और न ही किसी तरह की आर्थिक सहायता ही दी है जबकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ओला पीड़ित किसानों के खेत-खेत जाकर किसानों पर आई प्राकृतिक विपत्ति में उनको मदद पहुंचा रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री जी को राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें राष्ट्रीय फसल बीमा योजना में अभी तक जो इकाई तय की है इसमें संशोधन कर इकाई किसानों के खेत को बना दिया जाए मेरी मांग है कि जो प्रस्ताव राज्य सरकार ने दिया है उसे केन्द्र सरकार स्वीकार करे और ऐसी प्राकृतिक आपदा में फसल बीमा का लाभ इसी वर्ष किसानों को मिले, ऐसी व्यवस्था की जाए।

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा) : उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे संसदीय क्षेत्र इटावा में एक कालेश्वर मंदिर है और बड़ी संख्या में दर्शनार्थी उस मंदिर में आते हैं और वहां एक पंचनंद स्थान भी है जहां पांच नदियों का संगम है। साथ ही ब्रह्माणी मंदिर है जो बहुत पुराना है और साथ ही चम्बल का क्षेत्र लगा हुआ है। वहां पिलुआ महाराज जी का भी मंदिर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनती करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार तो वहां सहायता कर रही है केन्द्र सरकार भी इन स्थानों के लिए तथा चम्बल क्षेत्र के लिए एक पैकेज देने का काम करे जिससे इनका विकास हो सके और इन स्थानों को पर्यटन-स्थल घोषित करें।

[अनुवाद]

श्री मधु गोड यास्खी (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवकों के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

यह युवक कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा आयोजित हर ब्लॉक को कवर करने वाला बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसका वास्तव में अर्थ है कि यह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग को कवर करता है। उस प्रकार यह पूरे भारत को कवर करता है क्योंकि करीब 5000 राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक देश के सभी जिलों में कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में सबसे बड़ी समस्या है इसकी दशा। राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने के लिए अन्य जातियों, पिछड़ी जातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक है और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए यह बारहवीं है। इसके अतिरिक्त, इन स्वयंसेवकों को दिया जा रहा पारिश्रमिक केवल 1000 रुपये है जिसमें से 700 रु० निश्चित वृत्ति है और 300 रु० यात्रा खर्च के लिए है। उल्लेखनीय बात यह है कि ये स्वयंसेवक युवक क्लब सदस्यों को प्रेरित करने के लिए जिलों और गांवों की यात्रा करते हैं। वे राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम का निर्माण करने में और विभिन्न अन्य कार्यकलापों में युवकों को दिशानिर्देश देते हैं जो रचनात्मक कार्यक्रमों में स्वयं को संगठित करने के लिए युवकों को प्रेरित करेंगे।

इसलिए, महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय युवक कार्यक्रम मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे वर्तमान शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्तर को बारहवीं या एस०एस०सी० करने के लिए कदम उठाएं और पारिश्रमिक को 1000 रु० से बढ़ाकर 2000 रु० करें। निजामाबाद जिले में मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है कि वहां युवक संगठन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। स्वयंसेवक राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक के रूप में काम करने के लिए अधिक प्रभावशाली और प्रतिबद्ध युवा को इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली कार्य करते हैं। इसलिए पारिश्रमिक राशि बढ़ायी जानी चाहिए ताकि इसमें कम से कम उनके मूलभूत खर्च को पूरा किया जा सके।

इसलिए एक बार फिर आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे पारिश्रमिक को 1000 रु० से बढ़ाकर 2000 रु० करने के मुद्दे पर विचार करें ताकि और अधिक प्रतिबद्ध युवा इस कार्यक्रम में भाग लें और इससे युवा को मदद मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अधिक आवश्यक है।

श्री जे०एम० आरून रशीद (पेरियाकुलम) : मैं इससे खुद को संबद्ध करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : झा जी बोल रहे हैं, कृपया आप उनकी बात तो सुनिए, ताकि किसी और के बोलने में वे बाधा न डालें।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब वे बिहार गए थे और बिहार की गरीबी, बेबसी और लाचारी को देखकर उन्होंने घोषणा की थी कि बिहार के इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए स्पेशल पैकेज बिहार राज्य को दिया जाएगा। मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार जब सत्ता में आयी, तो स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा दिए गए वायदे को इसने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल किया, लेकिन इस सरकार को सत्ता में आए हुए दो वर्ष हो गए, अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की गयी है, इस दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ाया गया है। *(व्यवधान)* इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि जो वायदा आपके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया और प्रधानमंत्री के रूप में आपके मंत्रिमंडल ने किया, उस वायदे को आप पूरा कीजिए। आप इस मामले में पहल कीजिए। यदि आप सिर्फ इस तरह से वायदे करेंगे और जनता को इससे लाभ नहीं मिलेगा, तो लोगों के मन में आप के प्रति दूसरी तरह की भावना पैदा होगी।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : मैं भी रघुनाथ झा जी की बात से अपने आपको संबद्ध करता हूं।

श्री अलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछड़े हुए बिहार के बारे में कई बार सदन में मामला उठ चुका है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक विशेष योजना की तरफ आकृष्ट कराना चाहूंगा। योजना आयोग ने बिहार के चार जिलों – समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर को एक विशेष योजना के तहत क्रमशः मसाला, आम, मखाना और लीची की फसल उत्पादन, प्रशिक्षण एवं मूल्य सवंर्धन इकाइयों को लगाने हेतु 134 करोड़ रुपये दिए थे। नाबार्ड द्वारा तीन वर्षों में इस योजना को पूरा किया जाना

था। लगभग पौने दो वर्ष पूरे हो गए और इस क्षेत्र में बहुत मंथर गति से कार्य चल रहा है। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस राशि को वापस किए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। यदि ऐसा हुआ, तो बिहार और खासतौर से बाढ़ प्रभावित मिथिलांचल के साथ, वहां के गरीब किसानों और बेरोजगार नवयुवकों के साथ बहुत अन्याय होगा, क्योंकि उनके सपने इस योजना के साथ जुड़े हुए थे। अतः मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि नाबार्ड द्वारा या किसी अन्य एफिशियन्ट एजेंसी द्वारा इस कार्य को समय सीमा के अन्दर, जनहित को दृष्टि में रखते हुए, लागू करा कर पूरा कराया जाए ताकि बाढ़ प्रभावित और अति पिछड़े इलाकों में विकास की ज्योति प्रज्जवलित हो सके और बेरोजगार नौजवानों को विकास करने का मौका मिल सके।

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अहम मसले की तरह सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारा देश लोकतांत्रिक मूल्यों का देश है। उत्तर देश प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग है। मैं उत्तर प्रदेश में कल की घटना की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कल दिन में पांच बजे एक्स०एम०एल०ए० चौधरी मलकान सिंह की आपराधिक तत्वों ने तीन गाड़ियां भर कर दिन-दहाड़े हत्या कर दी जिससे पूरे जनपद में भय व्याप्त हो गया है। और एम०एल०एज० और एम०पीज में भी डर व्याप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज आ गया है। कल-परसों श्री कृष्णा राय की हत्या हुई। कल मेरठ में ब्लॉक प्रमुख की हत्या हुई। कल एक एम०एल०ए० की हत्या हुई। उत्तर प्रदेश के हर जनपद में हत्या का कहर बहुत बढ़ गया है। मेरे बगल में राजेश मिश्रा जी बैठे हैं। उनकी हत्या होते-होते बच गई। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : चौधरी बिजेन्द्र सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : चौधरी विजेन्द्र सिंह जी की स्पीच के अलावा कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

चौधरी विजेन्द्र सिंह : आप सुनने की क्षमता रखें। मेरी बात सुनिए। *(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में दिन-दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। राजेश मिश्रा जी इस सदन के सदस्य हैं। उनकी हत्या होते-होते बची। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? दिन दहाड़े पुलिस के दारोगा और सिपहारियों की हत्याएं हो रही हैं लेकिन सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या डिमांड करना चाहते हैं?

चौधरी विजेन्द्र सिंह : केन्द्र सरकार इस बारे में गवर्नर से रिपोर्ट मंगाएं और राज्य सरकार की तानाशाही के खिलाफ कार्रवाई करके, उसे बर्खास्त करने की कोशिश करें। *(व्यवधान)* राज्य सरकार पूरे पैसे का दुरुपयोग कर रही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मानवेन्द्र जी बहुत सीरियस मैटर उठाने वाले हैं।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो मानीय संसद सदस्य ने अपने विचार रखे, उनसे अपने आप को जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको जो कहना है, वह कहिए।

डा० राजेश मिश्रा (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बात चौधरी विजेन्द्र सिंह जी ने रखी है, उससे हमें भी संबद्ध कर लिया जाए।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में आजादी के 59 साल के बाद भी पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। ग्रामीण अंचलों में अंचलों में आज भी महिलाएं तीन से चार किलोमीटर दूर से पानी सिर पर रख कर लाती हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने वर्ष 1984 में, जब मैं भी संसद सदस्य था, इस सदन में इस समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से पेयजल योजना को प्रारम्भ किया था, किन्तु पेयजल आपूर्ति हेतु उत्तरदायी जल निगम की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। यह संस्था जल निगम के नाम से जानी जाती है लेकिन इसके पास अपने कर्मचारियों को समय पर, नियमित रूप से देने के लिए वेतन भी नहीं है। इस विभाग द्वारा तीन या चार ग्रामों को पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की टंकियां बनायी गई

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[कुंवर मानवेन्द्र सिंह]

थीं। किन्तु आज विभाग द्वारा संचालित 90 प्रतिशत टंकियां क्षतिग्रस्त अथवा अनुपयोगी हैं जिनसे पूर्ति नहीं की जार रही है। *(व्यवधान)* आपको क्या बुरा लग रहा है क्या आपके यहां पानी की व्यवस्था हो गई है? *(व्यवधान)* केन्द्र सरकार वहां पैसा दे रही है। वहां पैसा नहीं लग रहा है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सौ करोड़ रुपया भेजा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर मानवेन्द्र सिंह, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर मानवेन्द्र सिंह के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : वहां 90 प्रतिशत पानी की टंकियां क्षतिग्रस्त तथा अनुपयोगी हैं जिनसे पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है। भीषण गर्मी में यह समस्या और भी विकराल रूप धारण कर लेगी। मेरे जनपद में प्रतिवर्ष करोड़ों तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं। इस समस्या के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री ने भी इस समस्या पर अपनी चिंता प्रकट की थी और यू०पी०ए० सरकार की अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया जी *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी मांग क्या है?

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : इस समस्या के निदान के लिए बार-बार हमारी पार्टी में यह मामला उठता रहा है। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार को सौ करोड़ रुपए दिया गया है *(व्यवधान)* दिया गया है यह माननीय मंत्री जी ने बताया है। *(व्यवधान)* मैंने जनपद की पेयजल की समस्या के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के जल निगम, निदेशक को अनेक पत्र लिखे गए परंतु कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि जनपद मथुरा और उत्तर प्रदेश के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल की मूलभूत आवश्यकताओं हेतु उत्तर प्रदेश सकरार को उचित प्रभावी निदेश प्रदान करें। मैं आपके माध्यम से इस गंभीर समस्या के त्वरित समाधान हेतु केन्द्र सरकार से अतिरिक्त सहायता राशि दिए जाने की मांग करता हूं। *(व्यवधान)* सौ करोड़ का क्या हुआ? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

[हिन्दी]

अभी 60 मैम्बर्स और बोलने वाले हैं। अगर आप इसी तरह से लैक्चर करते रहेंगे तो मेरे लिए सबको एकॉमोडेट करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए दूसरा तरीका यह है कि बाकी जो मैम्बर रह गए हैं उन्हें छ: बजे के बाद बोलने का मौका दिया जाएगा। आप पहले मेरी बात सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि एक बजे से पहले आपको बुलाया जाए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं दे सकूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हम लैक्चर भी करें और इसके साथ दूसरों पर अटैक भी करें, यह मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं सब को अभी समय दे सकूं। अगर आप दो मिनट में बोल सकते हैं तब तो मैं आपको समय दे सकता हूं, नहीं तो छ: बजे जीरो ऑवर लेंगे, मैं अभी दूसरा बिजनेस ले लेता हूं।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : ठीक है, दो मिनट का समय ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दूसरों पर अटैक कम करें और अपने काम की बात कहें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको समय मिलेगा।

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मध्य प्रदेश के रतलाम नगर में कम्पनीज़ एक्ट के तहत जयंत विटामिन्स नाम की कंपनी बनाई गई थी जो सोर्बिट्रेट और विटामिन सी बनाती थी। उस कंपनी द्वारा गलत काम करके दूसरी बोगस कंपनी, रुविज़ कंपनी बनाई गई है और उस कंपनी के शेयर बाजार में डाले गए हैं। वहां के कर्मचारियों को बाधित किया गया है कि तुम भी शेयर लो और कर्मचारियों ने भी शेयर लिए। कंपनी ने हेराफेरी करके करोड़ों रुपये ठग लिए और बाद में उस कंपनी का कारोबार बंद कर दिया गया। जिसके कारण प्रदेश के उस स्थान के सैकड़ों कर्मचारी आज आजीविका से वंचित हैं। सरकार से मेरा आग्रह है कि जो कम्पनी, कम्पनी एकट के तहत गठित थी और सिजे हेराफेरी करके अपने कर्मचारियों को शेयर्स लेने

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

के लिए आध्य किया तथा कर्मचारियों द्वारा न्यायालय में शिकायत करने पर असत्य शपथ पत्र दिया गया। उसके खिलाफ जो भी कठोर कदम उठाये जा सकते हों, वह सरकार उठाए तथा कर्मचारियों का जो पैसा शेयर्स में लगा था, उन्हें वह वापस दिलाया जाए। इसके अलावा आदि इस कंपनी के रिवाइवल के लिए कोई प्रबंध हो सकता है तो वह सरकार करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुन: निवेदन करूंगा कि इस कंपनी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर (वडोदरा) : महोदय, मेरा निवेदन टूटने के लिए भारत आ रहे जहाजों पर आयात शुल्क में कमी करने से संबंधित है। राज्य सरकारों के लिए मुख्य मुद्दा यह है कि टूटने के लिए आनेवाले जहाजों पर आयात शुल्क 5% है जबकि ईस्पात कतरन और धातु कतरन पर आयात शुल्क शून्य प्रतिशत है। इससे जहाज टूटन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है क्योंकि जहाज के कच्चे माल से बने उत्पाद का उत्पादन मूल्य उस हद तक बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप वह उत्पाद कम प्रतिस्पर्द्धात्मक हो जाता है।

गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री ने इस संबंध में 8.12.2004 को माननीय वित्त मंत्री को एक विस्तृत पत्र लिखा था। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से गुजारिश करता हूं कि वह इस मुद्दे की समीक्षा करें और टूटने के लिए भारत आनेवाले जहाजों पर आयात शुल्क कम करे।

[हिन्दी]

श्री कृष्णा मुरारी मोघे (खरगौन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान मध्य प्रदेश की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पूर्ण क्षेत्रफल का 31 प्रतिशत वन क्षेत्र है। किन्तु यह आंकड़ा जो वनभूमि दर्शाता है, वास्तव में उसके ऊपर जंगल नहीं है। इस पर निवास करने वाले 22 प्रतिशत लोग हमारे आदिवासी भाई हैं, जिनके सामने आजीविका का प्रश्न खड़ा हो गया है। इस जंगल के कटने के कारण मालवा और निमाड़ जिसके बारे में कहा जाता था - पग-पग रोटी, डग-डग नीर, आज वह भयंकर सूखे की चपेट में हैं। वन विभाग के माध्यम से वहां का वनीकरण बहुत कारगर साबित हुआ है, ऐसा कहीं देखने में नहीं आता। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इन वनों को लगाने के लिए यदि जनभागीदारी से कोई प्रोजैक्ट बनता है और जिसमें न्यूनतम मजदूरी 59 रुपये प्रति व्यक्ति दी जाती है, यदि उसमें 35 रुपये उसे नकद दिये जाएं और बाकी उसकी राशि में वनीकरण के अंदर शेयर मनी बच जाए तो निश्चित रूप से ...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी मांग क्या है?

[हिन्दी]

श्री कृष्णा मुरारी मोघे : मेरी डिमांड यह है कि जनभागीदारी के आधार मध्य प्रदेश में वनों की प्रोजैक्ट सैन्ट्रल और स्टेट गवर्नमैन्ट को बननी चाहिए और उसमें विशेष रूप से इन आदिवासियों का शेयर निश्चित किया जाना चाहिए। इससे उसका रक्षण भी होगा और जो पर्यावरण का संकट खड़ा हो रहा है, उससे भी निजात मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गणेश सिंह जी का नाम इस मामले से एसोसिएट कर दें।

अपराह्न 12.15 बजे

(दो) देश में 21 मार्च, 2006 को वन दिवस मनाए जाने और वन (संरक्षण) अधिनियम तथा वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम का सख्ती से कार्यान्वयन किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, आज हम पूरे देश में वन दिवस मना रहे हैं। दुर्भाग्यवश माननीय मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह महत्वपूर्ण इस कारण नहीं हो जाता है कि यह दिवस पूरे देश में मनाया जाना है बल्कि यह तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब कि हम उन पर्यावरणीय परिस्थितियों पर विचार करते हैं जिनका सामना हम कर रहे हैं।

सरकार की मौलिक नीति है कि भूमि का एक तिहाई भाग वन भूमि के रूप में रखा जाये। वर्तमान् स्थिति क्या है? अतिक्रमण करना आज आम बात हो गयी है। लोग वन भूमि का अतिक्रमण कर रहे हैं। वे लंबे समय तक वहां टिके रहते हैं। तत्पश्चात् वे इस तरफ ध्यान दिलाएंगे कि हमने सुधार किए हैं और बड़ा आबंटन उनके पक्ष में किया जाएगा। पूरे भारत में ऐसा ही हो रहा है। इसका कुल परिणाम यह है कि वन भूमि क्षीण और कम होती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप हम घोर पर्यावरणीय संकट का सामना करते हैं। इससे पूरी मानव जाति पर प्रभाव पड़ेगा। न केवल मानव जाति बल्कि जानवरों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हमने वन अधिनियम में संशोधन किया है। हमने 'बाघ' को राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। इसका क्या परिणाम हुआ? बाघ

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

ब्रह्मांड में ही लुप्त होते जा रहे हैं। प्रति दिन बाघों को अन्धाधुंध मारा जा रहा है। कोई भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में नहीं सोचता। और कोई भी वन (संरक्षण) अधिनियम के प्रति गंभीर नहीं है। इसका कुल परिणाम यह है कि हम हमेशा वन भूमि का अतिक्रमण करते हैं और कोई परवाह नहीं करता। वनों की कटाई हो रही है परन्तु वृक्षारोपण नहीं किया जाता। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है; आपका और मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, हमारी पीढ़ियां ब्रह्मांड से विलुप्त हो जाएंगी। *(व्यवधान)* यदि ऐसा ही होता रहा तो हमारे उत्तराधिकारी, हमारी भावी पीढ़ी का अस्तित्व ब्रह्मांड में नहीं रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी मांग क्या है? आप अपनी मांग रखिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : प्रतिदिन लोग वन भूमि पर अधिकार जमाते जा रहे हैं। वन भूमि का अतिक्रमण हो रहा है और कोई भी इसे हटाने की कोशिश नहीं करता। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि क्या वह वन अधिनियम को लागू करने और ब्रह्मांड की यथास्थिति बनाए रखने के प्रति गंभीर है। उन्हें अवश्य ही कुछ करना चाहिए ताकि ये अतिक्रमण हटाए जा सकें। बाघों और अन्य दुर्लभ प्रजातियों को अन्धाधुंध मारने पर रोक लगनी चाहिए। वन अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। केवल मंत्री का फोटो अखबारों में प्रकाशित करना और प्रचारित करना ही पर्याप्त नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : मैं भी माननीय सदस्य की बात से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : मैं भी माननीय सदस्य की बात से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : मैं भी माननीय सदस्य की बात से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : मैं भी माननीय सदस्य की बात से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोगों को नाम संबद्ध कर दिया जाएगा।

श्री रायापति सांबासिवा राव।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : महोदय, मैं उस वक्तव्य का विरोध करता हूं *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं पूरे देश का जिक्र कर रहा था। मैं किसी व्यक्ति को दोष नहीं दे रहा हूं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री रायापति सांबासिवा राव का वक्तव्य ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार एक विधान लायी थी किन्तु इस सभा ने उस विधान को पारित न करके उसकी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच कराये जाने को तरजीह दी। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा उस पर अपना प्रतिवेदन दिया जाना अभी शेष है और उसके बाद ही इस पर समुचित निर्णय लिया जा सकता है और चर्चा की जा सकती है। मैं समझता हूं कि सभी विचारों को संयुक्त संसदीय समिति द्वारा सुना जाएगा। संप्रग सरकार की मंशा किसी भी आदिवासी को वन से बाहर निकालने की नहीं है। यही संप्रग सरकार की नीति है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री राव का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हम न तो न्यायपालिका की सक्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं और न ही उसकी शक्तियों को कम करने की हमारी कोई मंशा है। *(व्यवधान)* महोदय, सत्ता में आने के बाद संप्रग सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम और विधान द्वारा प्रारंभ में ही सुस्पष्ट कर दिया था कि हम आदिवासियों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। मंत्रियों के समूह ने इसकी जांच की थी। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। उसे सभा में पेश किया गया था और इसे संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया था। समिति का निष्कर्ष शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि आदिवासियों के हितों की पूर्ण रूप से रक्षा की जाए *(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रायापति सांबासिवा राव बोलेंगे। श्री रायापति सांबासिवा राव के निवेदन को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाइये।

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर) : **"महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान कपास उत्पादकों की दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जिन्हें अपनी कपास की बिक्री के संबंध में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।**

महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि साथ-साथ भाषान्तरण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमने काफी पहले तेलुगु भाषान्तरकार की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया था। महोदय, आप प्रत्येक भाषा के लिए भाषान्तरकार की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आप तेलुगु के लिए भाषान्तरकार क्यों नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। यह बहुत गलत बात है। सभी भाषाओं के लिए आप भाषान्तरण सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नियमानुसार, आपको नोटिस देना होगा।

श्री रायापति सांबासिवा राव : महोदय, मैंने नोटिस भी दिया है *(व्यवधान)*। यदि आप चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी में बोलूं तो मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूं। लेकिन भविष्य में मैं तेलुगू में बोलना चाहता हूं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अब अंग्रेजी में बोल सकते हैं।

श्री रायापति सांबासिवा राव : महोदय, जब आप सभी क्षेत्रीय भाषाओं पर ध्यान दे रहे हैं तो तेलुगू भाषा को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? *(व्यवधान)*

श्री के०एस० राव (एलूरू) : महोदय, हम लोग इसके लिए बराबर कहते रहे हैं लेकिन कोई भी तेलुगू भाषान्तरकार के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। यह तेलुगू की दयनीय स्थिति है। *(व्यवधान)* महोदय, हमने कई बार इसके लिए अनुरोध किया है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए। तेलुगू भाषांतरकार की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

श्री रायापति सांबासिवा राव : इसमें कितना समय लगेगा? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जितना शीघ्र संभव हो सके, हम तेलुगू भाषान्तरकार की व्यवस्था कर लेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रायापति सांबासिवा राव, इस समय भाषान्तरण की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं अपको अनुरोध करता हूं कि आज अंग्रेजी में बोलिए। तेलुगू भाषान्तरकार की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

श्री रायापति सांबासिवा राव : महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान कपास उत्पादनों की दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जो अपनी कपास की बिक्री के संबंध में काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। भारत में करीब 2,90,00,000 गट्ठर कपास का उत्पादन होता है। जहां तक कपास की आवश्यकता की बात है, पूरे भारत में कपास के 2,40,00,000 गट्ठर की आवश्यकता होती है। पिछले वर्ष भारत में कपास के 45,00,000 गट्ठर अधिशेष थे। कल तक, भारतीय कपास निगम ने आंध्र प्रदेश से भी कपास के अनेक गट्ठर खरीदे। अभी भी आंध्र प्रदेश में कपास के लगभग 15,00,000 गट्ठर बचे हुए हैं।

महोदय, प्रत्येक सरकार किसानों की बात करती रही है और कहती है कि किसान देश के आधार स्तंभ हैं लेकिन जहां तक किसानों के उत्पाद के विक्रय की बात है, कोई भी किसानों के हित पर ध्यान नहीं दे रहा है।

महोदय, जहां तक कपास की बात है, भारतीय कपास निगम ने लगभग 2000 रु० से 2400 रु० प्रति क्विंटल की दर से कपास खरीदी है। अब भारतीय कपास निगम ने इसकी खरीद बंद कर दी है और इसका मूल्य घटकर 1000 रु० या 1500 रु० हो गया है। मैं माननीय मंत्री से हस्तक्षेप करने और यह देखने का अनुरोध करता हूं कि आंध्र प्रदेश से कपास के कम से कम पांच लाख गट्ठर खरीदे जाएं। अब कपास उत्पादक बी०टी० बीज अपना रहे हैं। जहां तक बी०टी० बीज की बात है उससे कम गुणवत्ता की कपास का उत्पादन हो रहा है।

पांच प्रतिशत कम गुणवत्ता वाली कपास को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं बेचा जा सकता। लेकिन जहां तक बी०टी० कपास बीज का संबंध है हम पांच-छह प्रतिशत से अधिक कम गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त कर रहे हैं। इसी कारण हमारे कपास निर्यातक इस प्रकार की कपास का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति के कारण मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे निर्देश

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**मूलत: तेलगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री रायापति सांबासिवा राव]

दें और यह देखें कि आंध्र प्रदेश से कम से कम कपास के पांच लाख गट्ठर खरीदे जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुधाकर रेड्डी का नाम भी संबद्ध है। चौधरी लाल सिंह।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहता हूं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा) : उपाध्यक्ष महोदय ने मेरा नाम पुकारा है।

चौधरी लाल सिंह : क्या आपने मेरा नाम नहीं सुना है? आपका नम्बर बाद में आएगा। पहले मुझे बोलना है।

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : मेरा नाम पुकारा गया था

(व्यवधान)

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : श्री सुधाकर रेड्डी जी दो चैनल एक साथ नहीं चल सकते। चैनल अलग-अलग चलने चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय ने मेरा नाम पुकारा है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने आपका नाम नहीं पुकारा बल्कि मैंने कहा कि जहां तक आपके मसले का संबंध है मैंने आपको उनके साथ संबद्ध होने की अनुमति दी है।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : नहीं, मैं स्वयं को उनके साथ संबद्ध नहीं कर रहा हूं। मेरे कुछ अलग तरह के मुद्दे हैं जिनका समाधान उन्होंने नहीं किया। इसलिए, मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसे बाद में देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : मैं इससे संबद्ध नहीं हो रहा हूं। मेरे पास उसी विषय पर अलग प्रकार के समाधान हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : तब, इसके लिए मैं आपको बाद में समय दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

चौधरी लाल सिंह।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने दो साल पहले सरकार के सामने यह मसला रखा था। कांग्रेस की चेयरपरसन श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमारा जो मसला अपग्रेडेशन आफ मेडिकल कालेज, जम्मू का है, उसे एम्स के पैटर्न पर बनाने के लिए एमाउंट सैंक्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री डॉ० अंबुमणि ने बहुत ने भी इस विषय में काफी काम किया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

चौधरी लाल सिंह : महोदय, 53 लाख लोग इससे संबंधित हैं और इस काम के लिए पर्याप्त पैसा देने की जरूरत है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि उपकरण खरीदने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अधिक धनराशि की जरूरत है। इस कार्य के लिए सैल्फ सफिशियेंट एमाउंट दिया जाए। इस काम से आपके पंजाब के गुरदासपुर और हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इसके साथ जुड़ता है। इन सबको इस इंस्टीट्यूट का फायदा मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी डिमांड क्या है?

चौधरी लाल सिंह : हमारे इलाके के लोग दिल्ली के इस्टीट्यूट्स में जाते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर इस काम को स्पीडअप किया जाए और इस काम के लिए पर्याप्त धनराशि दी जाए, जिससे कि यह काम जल्द पूरा किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री बंसगोपाल चौधरी (आसनसोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दुस्तान केबल्स् फैक्ट्री का उल्लेख करना चाहूंगा। यह कारखाना आसनसोल के निकट स्थित है और यह सरकारी क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है। यह पिछले तीन या चार वर्षों से अत्यधिक संकट का सामना कर रहा है। वस्तुतः, हमने भारी उद्योग विभाग और दूरसंचार विभाग से कुछ कदम उठाने की मांग की थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको केवल एक मिनट बोलने की अनुमति दे सकता हूं।

श्री बंसगोपाल चौधरी : दरअसल, आई०आई०टी०, खड़गपुर और टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा पुनरुद्धार पैकेज प्रस्तुत किया गया था।

महोदय, मेरा मंत्रालय से आग्रह है कि पुनरुद्धार पैकेज देने और उन श्रमिकों को वेतन देने जिन्हें अभी तक वेतन नहीं दिया गया है, के संबंध में उचित कार्रवाई की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री सुधाकर रेड्डी, आप केवल एक मिनट बोल सकते हैं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : महोदय, हालांकि मैं कपास के संकट के प्रश्न पर श्री सांबासिवा राव द्वारा व्यक्त की गयी समस्या से सहमत हूं, परंतु मेरे पास अलग तरह का हल है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको केवल एक मिनट का समय दिया गया है। यद्यपि आप अलग-अलग प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं फिर भी मैं आपको केवल एक मिनट दे सकता हूं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : हां, महोदय मैं केवल डेढ़ मिनट लूंगा।

आंध्र प्रदेश में कपास उत्पादक गहरे संकट में हैं क्योंकि मैसर्स भारतीय कपास निगम ने पिछले दो सप्ताह से कपास खरीदना बंद कर दिया है। अनुमान है कि कपास के 18 से 20 लाख गट्ठर किसानों के पास बिना बिके पड़े हैं। पिछले महीने कपास का मूल्य 2500 रु० था परंतु अब यह गिरकर 1300 रु० रह गया है। मैसर्स भारतीय कपास निगम द्वारा कपास खरीदने से इन्कार करने का फायदा निजी व्यवसायियों द्वारा उठाया गया जो बहुत ही कम दाम पर कपास खरीद रहे हैं। तथाकथित बी०टी० काटन बीज से निम्न कोटि की कपास का उत्पादन होता है जिसे न तो निर्यात किया जा सकता है और न ही देश में बेचा जा सकता है।

कहा गया है कि पिछले वर्ष की फसल से उत्पादित कपास का 4.5 मिलियन गट्ठर देश में अधिक स्टॉक में है। इस वर्ष समझा जाता है कि देश में आंतरिक मांग की पूर्ति के बाद 5 मिलियन गट्ठर और बच जाएगा। कपास संकट इतना गंभीर है कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में तीन सौ से अधिक व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली है। आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में भी किसानों ने आत्महत्या की है। इसलिए इस समय बहुत जरूरी है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले और कपास उत्पादकों की समस्या का समाधान करने के लिए व्यापक योजना तैयार करे। मेरा सुझाव है कि मैसर्स भारतीय कपास निगम को बाजार में प्रवेश करना चाहिए और उसे 2000 रु० प्रति गट्ठर या इससे अधिक कीमत पर किसानों से कपास की खरीद करनी चाहिए।

उन्हें कपास के निर्यात की संभावना तलाश करनी चाहिए। उन्हें देश में निम्न कोटि के कपास बीज को नियंत्रित करना या उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और लंबी अवधि में किसानों को उच्च कोटि के कपास बीज की आपूर्ति करनी चाहिए। उन्हें बाहर से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन्हें स्थानीय कपास की खरीद के लिए मैसर्स भारतीय वस्त्र निगम की मिलों और सहकारी कताई मिलों को राजसहायता भी देनी चाहिए। मेरा विश्वास है कि इससे कपास क्षेत्र में गंभीर संकट को कम करने में मदद मिलेगी।

अंत में, नाफेड को मिर्च खरीदने के लिए वारंगल, गुंटूर और भद्राचलम में क्रय केन्द्र खोलना चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : गिरधारी लाल भार्गव जी, आप अपनी बात सिर्फ एक मिनट में समाप्त करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मेरे साथ बहुत अन्याय है। मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा हूं। मेरी बात आप सुन लीजिए।

महोदय, राजस्थान में गत कई वर्षों से मिट्टी के तेल का कोटा 7742 (सात हजार सात सौ बयालीस हजार) किलोलीटर कम कर दिया है। इसके लिए राजस्थान के खाद्य मंत्री जी, दो बार पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री मणि शंकर अय्यर जी और माननीया मुख्य मंत्री, राजस्थान, बहिन वसुन्धरा जी, कई बार संबंधित मंत्रियों से मिल चुकी हैं। यह मिट्टी का तेल कच्ची कॉलोनियों व झुग्गी बस्तियों में भोजन बनाने के लिए स्टोव तथा प्रकाश के लिए चिमनी व लालटेन में काम में आता है। शहर के निवासियों को भी बिजली कटौती के कारण मिट्टी का तेल काम में आता है। राज्य सरकार ने मिट्टी के तेल की आपूर्ति अनुपात के हिसाब से शहर व गांवों में कम कर दी है जबकि गांवों में व गरीब कच्ची बस्तियों में इसकी सप्लाई बढ़ाया जाना अत्यावश्यक है।

महोदय, गैस सिलेंडर, घरेलू उपयोग व कॉमर्श्यल उपयोग में आता है। इन दोनों की कीमतों में भारी अंतर है। शादी विवाह और सामाजिक उत्सवों के अवसर पर कॉमर्श्यल सिलेंडर लेना अनिवार्य कर रखा है जबकि इन अवसरों पर घरेलू उपयोग के सिलेंडर के रेट पर सप्लाई की जानी चाहिए। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस प्रतिबन्ध को हटाया जाना चाहिए और विवाह तथा सामाजिक कार्यों के अवसर पर कॉमर्श्यल की बजाय सिलेंडर घरेलू उपयोग दर पर सप्लाई किए जाने चाहिए। गांवों व शहरों में प्रति कार्डधारी 5-5 लीटर का कोटा है जबकि कम तेल के कारण 3.8 लीटर तेल ही दिया जा रहा है।

महोदय, मेरी केन्द्र सरकार से सिर्फ दो ही मांग हैं, एक-केन्द्र सरकार राजस्थान के मिट्टी के तेल के कोटे में जो कटौती की गई

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

है, उसे बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर और बढ़ाए तथा दो-घरेलू उपयोग के गैस सिलेंडरों को सामाजिक उत्सव एवं विवाह आदि के समय प्रयोग पर जो पाबन्दी लगा रखी है, उसे हटाया जाए और इन सामाजिक उत्सव, विवाह व धार्मिक अवसरों पर कॉमर्शयल सिलेंडर देने का जो नियम है, उसे समाप्त किया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास 40 सदस्यों की सूची है जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, मैं न केवल उड़ीसा बल्कि पूरे देश से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

कालाहांडी-बोलनगीर-कोरापुट (के०बी०के०) जिले देश के सबसे अल्पविकसित जिले हैं जिन्हें सरकार से विशेष सहायता और समर्थन की आवश्यकता है। तद्नुसार नब्बे के दशक के प्रारंभ में दीर्घावधि की कार्य योजना तैयार की गयी थी और इसके लिए निधियों का आबंटन किया गया था लेकिन बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई। बाद में इस योजनावधि के लिए के०बी०के० जिलों में संशोधित दीर्घावधि कार्य योजना लागू की गयी थी। 1995-96 और 1997-98 के बीच कार्यक्रम के प्रारंभ होने के प्रारंभिक तीन वर्षों में 389.21 करोड़ रुपये की जरूरत की तुलना में केवल 20.49 करोड़ रुपये का केन्द्रीय आबंटन किया गया था। इसका परिणाम परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मंद प्रगति के रूप में सामने आया।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि संशोधित दीर्घावधि कार्य योजना के प्रमुख उद्देश्यों को हासिल करने और के०बी०के० जिलों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इस कार्यक्रम का विस्तार एक और योजना अवधि तक लिया जाए *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय माननीय सदस्य, श्री भर्तृहरि महताब ने सदन में उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और मेरी कांस्टीट्यूएंसी से भी संबंधित है। इसलिए, मैं अपने को उनसे एसोसिएट करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हां।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, मैं पूरे सदन और माननीय ऊर्जा मंत्री का ध्यान डी०वी०सी० मैथान में सफाईवाला और ड्राइवरों जैसे अस्थायी श्रमिकों का पैनल बनाने और समावेशन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, मैंने श्रमिक संघ के साथ जी०ओ०एम०डी०-II में कार्यरत इन अस्थायी श्रमिकों का पैनल बनाने और उनके समावेशन के संबंध में 22 जून, 2005 को मुख्य अभियंता से मुलाकात की थी।

बड़ी संख्या में अस्थायी श्रमिक डी०वी०सी० मैथान के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत जी०ओ०एम०डी०-II में कार्य करते रहे हैं। वे अपने जायज अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। यद्यपि पद खाली पड़े हैं यह वे समावेशन के लिए अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इसलिए, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री से गुजारिश करता हूं कि वे इन ड्राइवरों और सफाई कर्मचारियों का समावेशन करें ताकि वे समस्याग्रस्त न रहें।

उपाध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता हैं श्री शिशुपाल एन० पटले पर वे केवल एक मिनट बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री शिशुपाल पटले (भण्डारा) : महोदय, मैं पैट्रोलियम एवं गैस मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश के कुछ राज्यों में, जैसे कि महाराष्ट्र के विदर्भ में गैस सिलैण्डरों की काफी कमियां पाई गई हैं। पिछले 10 महीने से विदर्भ में तुमसर तहसील, भण्डारा और गोंदिया जिले में गैस सिलैण्डरों की परेशानी है। जैसे तुमसर में 22 हजार कंज्यूमर्स को गैस सिलैण्डर देने की आवश्यकता है, लेकिन वहां पिछले 10 महीने से 6-6.5 हजार गैस सिलैण्डर की पहुंच रहे हैं। इसके कारण वहां के ग्राहकों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मैं मंत्री महोदय से विनती करता हूं और उनसे मांग भी करता हूं कि गैस सिलैण्डरों की कमी के क्या कारण हैं? यह कमी होने के पीछे मेरी जानकारी के हिसाब से प्राइवेट लोगों को ज्यादा गैस सिलैण्डर बेचे जा रहे हैं, इसलिए इसकी जांच हो और तुमसर, भंडारा और गोंदिया के लोगों को गैस सिलैण्डर की पूर्ति करने के संबंध में मंत्री महोदय आवश्यक कार्रवाई करें।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, कच्चा नारियल पानी बहुत मीठा लगता है और अब हम लोग इसका आनन्द हवाई जहाजों में भी लेते हैं क्योंकि यह वहां उपलब्ध होता है। इसे पूरे भारत में लोकप्रिय क्यों नहीं किया जाता? यदि भारत में करोड़ों लोग इसके आदी हो जायें, तो मैं समझता हूं कि नारियल उत्पादकों को बचाया जा सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये नारियल उत्पादक अब बहुत परेशानी में हैं। नारियल का प्रत्येक इंच महत्व रखता है

और यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यह बहुत स्वादिष्ट होता है और यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक होता है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी मांग कीजिए।

श्री पी०सी० थामस : महोदय, नारियल, काली मिर्च, इलायची, वैनिला और ऐसी सभी नकदी फसल उपजाने वाले किसान बहुत ही परेशानी का सामना कर रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहें हैं क्योंकि उन्हें इनकी अच्छी कीमत नहीं मिल पा रही है। सरकार इन वस्तुओं को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए क्यों नहीं कुछ कर रही है?

मसाला बोर्ड द्वारा जारी किए गए विज्ञान में लिखा था "एलम ओरू शीलम आकू"। यह मलयालम में था, जिसका अर्थ है : "इलायची का उपयोग आदत में शामिल करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी मांग क्या है?

श्री पी०सी० थामस : महोदय, ऐसा ही विज्ञापन जारी किया गया था, और इलायची को लोकप्रिय बनाने के लिए लोगों पर इसका काफी प्रभाव पड़ा था। इन सारी वस्तुओं को क्यों नहीं लोकप्रिय बनाया जाए और इन सभी वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार सृजित किया जाए?

मैं भारत सरकार से इन वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने का आग्रह करता हूं। बजट में तो बड़ी रकम दिखायी जाती है पर निचले स्तर पर कुछ भी नहीं पहुंच रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थामस, यह केवल आम बात को दोहरा रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री पी०सी० थामस : महोदय, कृपया एक मिनट और समय दें। सरकार को इन वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिए पहल करनी चाहिए। इससे कई मुश्किलों का सामना कर रहे किसानों को भी मदद मिलेगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार को इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थामस, आप बात को केवल दोहरा रहे हैं। अगले वक्ता हैं श्री राम कृपाल यादव। मैं आपको बोलने के लिए सिर्फ एक मिनट का समय दे सकूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और पूरे सदन का एक अत्यन्त गंभीर मामले की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रो० मुमताज अंसारी इसी सदन के सदस्य रहे थे, जो अब सदस्य नहीं हैं, पूर्व सांसद हैं। उनका घर तो पटना में है, लेकिन वे सर्विस प्रोफेसर रांची, झारखण्ड में करते थे। दो वर्ष हुए, वे अपने घर से दफ्तर की तरफ कालेज ज्वाइन करने के लिए गये? लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं है। इससे उनका पूरा परिवार परेशान है, अभी तक उनका कहीं भी पता नहीं है। अगर कोई घटना घटी होती तो आपके माध्यम से कोई खबर हुई होती। वे पैंशन उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, क्या है या नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। उनका पूरा परिवार परेशान है।

मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रो० मुमताज अंसारी, पूर्व सांसद को यथाशीघ्र कार्रवाई करके निकाला जाये और इस मामले को गम्भीरता से लेकर सी०बी०आई० को दे दिया जाये। सभी माननीय सांसदों और पूर्व सांसदों के आप कस्टोडियन हैं। मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप सरकार को विशेष रूप से निर्देशित करे, ताकि इसमें पहल करके प्रो० मुमताज अंसारी का सरकार पता करें कि वे कहां हैं, नहीं तो इस पूरे मामले को सी०बी०आई० के सुपुर्द कर दिया जाये, ताकि उनका मामला सामने आ सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अगले वक्ता हैं श्री चंद्रकांत खैरे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : यहां माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, वे सूचना ग्रहण करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसका मामला आ गया, आपका पाइंट आ गया।

श्री राम कृपाल यादव : ये सचूना मंत्री भी हैं, मगर सूचना से क्या मतलब है, संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से आप इसको दिखवाइये कि पूर्व सांसद दो वर्ष से कहां लापता हैं। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव, कृपया बैठ जाइए। आपके द्वारा कही गयी बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल की जा चुकी है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : आप सांसदों के कस्टोडियन हैं, पूर्व सांसदों के कस्टोडियन हैं, इसको हल्के ढंग से नहीं लिया जाये, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यन्त ही गम्भीर मामला है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सीताराम सिंह का नाम एसोसिएट कर दें।

श्री राम कृपाल यादव : एक पूर्व सांसद नहीं हैं, दो साल से उनका पता नहीं है, उनकी हत्या कर दी गई, क्या हो गया, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि मैं सरकार को बचाव देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र का नांदेड़, रेलवे के साऊथ सैंट्रल जोन में आता है। वहां के लोग काफी समय से मांग कर रहे हैं और सभी सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि मराठी स्पीकिंग नांदेड़ में धर्माबाद और मुदखेड़ को जोड़कर इस क्षेत्र को साऊथ सैंट्रल से हटा कर सैंट्रल जोन में डाला जाए। मैं यह डिमांड कई बार कर चुका हूं। पूर्व रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस बारे में एक प्रस्ताव भी लाने वाले थे, लेकिन कुछ मुश्किलों की वजह से ऐसा नहीं हो सका। अत: मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी तथा सदन में बैठे रेल राज्य मंत्रियों से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे नांदेड़ डीविजन को साऊथ सैंट्रल से हटा कर सैंट्रल जोन में डाला जाए, जिससे कि मराठी स्पीकिंग जनता को सुविधा हो सके। इस तरह का एक प्रस्ताव वहां की जेड०आर०यू०सी०सी० कमेटी ने भी रेलवे बोर्ड को भेजा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप लालू जी से उनके चैम्बर में जाकर अलग से मिल लीजिएगा।

डा० रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, खुजराहो स्थित टीकमगढ़ और छतरपुर जिले में भीषण ओलावृष्टि हुई है, जिसमें टीकमगढ़ के लगभग 250 और छतरपुरा के 150 गांव ओलावृष्टि की चपेट में आए हैं। इसके पहले भी बाढ़ के कारण सौ-सवा सौ गांव ध्वस्त हो गए थे। इसके बाद तुषार के कारण अरहर, मसूर और चने की फसल नष्ट हो गई। वहां की हालत बहुत खराब है। वहां सूखे की स्थिति है। टीकमगढ़ की छह तहसीलें सूखा ग्रस्त हो गई हैं। वहां पेयजल की समस्या पैदा हो गई है। वहां लोगों के रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है। राज्य सरकार पूरी ताकत के साथ मदद कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां एक केंद्रीय दल भेज कर सर्वेक्षण कराया जाए तथा विशेष पैकेज देकर किसानों की मदद की जाए। वहां की स्थिति को संभाला जाए। वहां के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। वहां रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। केवल रोजगार की गारंटी देने से कुछ होने वाला नहीं है। इसके अलावा भी पैकेज देने की आवश्यकता है।

श्री संतोष गंगवार : आज सचूना के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। देश के छह लाख गांवों में डाकघर ही सूचना के आदान-प्रदान का मुख्य आधार है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों की स्थिति बहुत खराब है। यह भी जानकारी में आया है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर बंद किए जा रहे हैं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहां के कई गांवों में स्थित बहुत से डाकघरों को बंद किया जा रहा है। ऐसे ही सिंधौली एक बहुत बड़ा गांव है। कई बार लिखने के बाद भी वहां पर डाकघर नहीं खोला जा रहा है। इसके अलावा शहरों में बनने वाले नए क्षेत्रों में भी डाकघर की उचित व्यवस्था नहीं है, न ही सही स्थानों पर डाकघर खोले जा रहे हैं।

महोदय, मेरी मांग है कि गांवों में डाकघरों की उचित व्यवस्था की जाए तथा सही स्थानों पर डाकघर खोले जाएं। सरकार द्वारा इस तरफ समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरी मांग है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की डाक व्यवस्था को सुधारने के लिए समुचित कदम उठाए।

[अनुवाद]

श्री तापिर गाव (अरूणाचल पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा मंत्री और एक निजी कंपनी तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के बीच सांठगांठ का खुलासा करना चाहूंगा *(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : महोदय, यह राज्य का मसला है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तापिर गाव के अलावा किसी की भी बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री तापिर गाव : महोदय, राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के तहत भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम अरुणाचल प्रदेश से 39,000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन करेगा। सात परियोजनाओं पर जांच चल रही है और इसके लिए एन०एच०पी०सी० द्वारा सर्वेक्षण कराया जा रहा है। लेकिन ऊर्जा मंत्रालय ने एन०एच०पी०सी० की जांच परियोजनाओं को ऐसी निजी ऊर्जा कंपनियों को सौंपने की अनुमति राज्य सरकार को दे दी है जिनका जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी मांग क्या है?

श्री तापिर गाव : यदि इन निजी कंपनियों जिनके नाम हैं, रिलायंस एनर्जी, जे०पी० कंस्ट्रक्शन ग्रुप और डी०एस० कंस्ट्रक्शन को जल विद्युत उत्पादन करने की अनुमति दे दी जाती है तो भविष्य में असम और अरुणाचल प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। असम और अरुणाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हो जाएंगे। ऐसा खतरा कौन मोल लेगा? इसलिए, मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि जब पूर्वोत्तर राज्यों के लिए खतरा उत्पन्न होने की आशंका है तो ऐसी स्थिति में इन निजी कंपनियों को यह काम करने की अनुमति न दे। माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन्हें उनके कार्यालय में मिलने की अनुमति नहीं दी है। मैं निजी कंपनियों, ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच सांठगांठ को बेनकाब कर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। रावी व्यास जल बंटवारे में राजस्थान के जल का हिस्सा 8.6 एम०ए०एफ० निर्धारित किया गया था। लेकिन आज बी०बी०एम० राजस्थान को मात्र 8 एम०ए०एफ० जल आवंटन कर रहा है। शेष 06 एम०ए०एफ० के लिए राजस्थान सरकार संघर्ष कर रही है। यह मुद्दा यहां पहले भी कई बार उठा है। मेरा आपसे निवेदन है कि शेष बचा हुआ हिस्सा यानी 06 एम०ए०एफ० राजस्थान सरकार को दिया जाये। इसका सबसे अधिक नुकसान चुरू जिलों को हो रहा है। चुरू जिले में 1 लाख 20 हजार हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई होनी थी, लेकिन जल न मिलने से सारे कार्य रोक दिये गये हैं। यदि वहां पानी नहीं मिलता तो मात्र 20 हजार हैक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई हो सकेगी, क्योंकि एक लाख हैक्टेयर भूमि का हिस्सा पानी न होने के कारण काट दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, कल एक और नई बात हुई है। पंजाब सरकार ने इंदिरा गांधी नहर में सात दिन के लिए पानी देने से मना कर दिया है। उसका कारण उन्होंने यह बताया है कि पौंग डैम का जल स्तर 1301 फीट से कम होने की वजह से ऐसा किया गया है। हमारा कहना है कि पहले भी जल स्तर 1301 फीट से कम था लेकिन तब पानी दिया गया था। मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान के किसानों के व्यापक हित को देखते हुए उनकी खड़ी फसलों के लिए अविलंब पौंग डैम के स्तर को 1301 फीट से पूर्व की भांति कम करते हुए पूरा पानी दिया जाये। इसका बंटवारा आज से छः महीने पहले हुआ था। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्वाइंट पूरा हो गया है।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.47½ बजे

(इस समय श्री सुभाष महरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 1.45 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.48 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 1.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.49 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.49 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्रीमती कृष्णा तीरथ पीठासीन हुईं]

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नियम 377 के अधीन आज के लिए सूचीबद्ध मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाये।

(एक) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 और 8 क्रमशः काडोदरा-चाररास्ता और कामरेज-चाररास्ता पर उपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता

डा० तुषार अमरसिंह (मांडवी) : मैं सरकार का ध्यान गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्रमशः 6 और 8 पर काडोदरा-चाररास्ता

---

*सभा पटल पर रखे माने गये।

[डा० तुषार अमरसिंह]

और कामरेज-चाररास्ता पर उपरिपुल बनाए जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कामरेज-चाररास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित है जो सूरत शहर को जोड़ता है। इस राजमार्ग पर हमेशा ही ट्रैफिक की भीड़-भाड़ रहती है। कोडोदरा-चाररास्ता ऐसा स्थान है जहां रा०रा० सं० 8 रा०रा० सं० 6 को काटता है। चूंकि दोनों राजमार्ग काडोदरा में मिलते हैं वहां इस सड़क पर हमेशा काफी भीड़ रहती है। रा०रा० सं० 6 एक तरफ तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र 25 मांडवी को जोड़ती है तो दूसरी तरफ सूरत शहर को।

इन राजमार्गों पर काफी भीड़ होने के कारण उपरोक्त दो स्थानों पर हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। यदि कोडोदरा और कामरेज पर उपरिपुल बनाए जाएं तो इससे इस क्षेत्र के लाखों लोगों की समस्या दूर हो जाएगी जो इन राजमार्गों पर ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करते हैं।

महोदय, मैं सरकार से गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 और 8 पर काडोदरा-चाररास्ता और कामरेज-चाररास्ता पर उपरिपुल बनवाने की गुजारिश करता हूं।

(दो) राज्य में पर्यटन के विकास हेतु कर्नाटक सरकार के लंबित प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : कर्नाटक राज्य सरकार ने पर्यटन सर्किट विकास योजना के अंतर्गत 800 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर गुलबर्गा, बीजापुर, बीदर, पट्टाडाकाल के विकास के संबंध में 24 अगस्त, 2004 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

चूंकि वह प्रस्ताव केन्द्रीय पर्यटन मंत्री, भारत सरकार के पास अभी भी लंबित पड़ा है, इसलिए मैं सरकार से इन प्रस्तावों पर अविलंब विचार करने और इसके लिए आवश्यक निधि जारी करने की गुजारिश करता हूं।

(तीन) तमिलनाडु के बोडीनयाकनुर में रेलवे बुकिंग केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री जे०एम० आरून रशीद (पेरियाकुलम) : बोडीनयाकनुर मेरे पेरियाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नीलामी केन्द्र है जहां इलायची सहित मसालों की नीलामी होती है। मसालों के छोटे व्यापारी और उत्पादक इस केन्द्र से अपनी वस्तुओं को भेजने में काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। जब ये लोग अपनी वस्तुएं कोयम्बटूर के रास्ते अन्य स्थानों पर भेजते हैं तो उन्हें भारी लारी शुल्क और कर सहित अन्य चुंगी शुल्कों का भुगतान करना पड़ता है। अपनी वस्तुओं के लाने-ले-जाने में इतने भारी खर्चों से बचने के लिए ये लोग अपनी वस्तुओं की बुकिंग के लिए बोडीनयाकनुर में स्थानीय रेलवे बुकिंग केन्द्र खोले जाने की मांग करते रहे हैं। इस संबंध में मैंने माननीय रेल मंत्री से बात की थी लेकिन रेलवे ने बोडीनयाकनुर में बुकिंग केन्द्र खोलने के लिए अब तक कोई भी कदम नहीं उठाया है।

इस संबंध में उत्पादकों और व्यापारियों को हो रही वास्तविक समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए मैं रेल मंत्री से वहां पर तत्काल बुकिंग केन्द्र खोले जाने का आदेश देने का अनुरोध करता हूं। इससे न सिर्फ उनकी उचित और वास्तविक समस्याएं दूर होंगी बल्कि रेलवे के लिए यह लाभदायक कार्य साबित होगा।

(चार) राजस्थान के अलवर जिले में कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ० करण सिंह यादव (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अलवर, भरतपुर जिले के हरियाणा से लगे सीमावर्ती क्षेत्र में बसे मेव (मुर्सलम) समाज के लोग सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से अति पिछड़े हैं। मेवात के नाम से जाने वाले इस क्षेत्र में बालिका शिक्षा तो नगन्य है। अलवर जिले के मेव बाहुल्य, तिजारा, किशनगढ़, रामगढ़ व लक्ष्मणगढ़ तहसीलों में एक-एक कस्तूरबा, बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाने हेतु माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं।

(पांच) संवृद्धि और विकास हेतु देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोके जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन०एस०वी० चित्तन (डिंडीगुल) : महोदय, 2035 तक भारत की जनसंख्या 1.46 बिलियन हो जाएगी जो चीन से भी ज्यादा है। स्पष्टत: हमारी सभी परिवार कल्याण संबंधी नीतियां और जनसंख्या नियंत्रण के अन्य तरीके कोई आकारात्मक परिणाम देने में विफल हुए हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या के अच्छे जीवन-यापन के लिए हमारे संसाधन अपर्याप्त हैं। हमारे पास न तो उच्च वृद्धि दर उत्पन्न करने के लिए आवश्यक पूंजी है और न ही कम पूंजी उत्पादन अनुपात है। इसका परिणाम है कि यहां भारी संख्या में अकुशल और कुपोषित कार्य बल है जो हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा भार है। भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या गंभीर चिन्ता का विषय है क्योंकि यह वृद्धि और विकास के सभी लाभ को बेअसर कर देता है। इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए और हमारी जनसंख्या को स्थिर करने के लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए। यदि हम अब भी कुछ नहीं करते हैं तो हमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आकांक्षा

छोड़ देनी पड़ सकती है। मैं सरकार से एक बच्चे वाले लोगों को शैक्षिक संस्थानों और नौकरी में पदोन्नति देने में प्राथमिकता देने की गुजारिश करता हूं।

(छह) आंध्र प्रदेश सरकार के लंबित पेयजल प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर) : आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से आंध्र प्रदेश को 68 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के 'सब मिशन' कार्यक्रम और मंजूरी को पुन: प्रवर्तित करने की गुजारिश की है।

राज्य में 15,000 एन०एस०एस० बस्तियों में से लगभग 12,000 को भारत सरकार के 'सब मिशन' कार्यक्रम की सहायता और नाबार्ड से ऋण लेकर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया है। शेष 2,682 बस्तियों के लोग अभी भी फ्लोराइड और खारेपन की समस्या से ग्रस्त हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने इन सभी 2,682 बस्तियों को 685 करोड़ रुपये खर्च कर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने संबंधी परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। भारत सरकार इन सभी 2,682 बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 'सब मिशन' कार्यक्रम का पुन:प्रवर्तन कर सकती है और परियोजना स्वीकृत कर सकती है। परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार के पेय जलापूर्ति विभाग में है।

चूंकि यह प्रस्ताव लंबे समय से लंबित पड़ा है इसलिए मैं सरकार से इसे शीघ्र मंजूरी देने की गुजारिश करता हूं।

(सात) उत्तरांचल के पिथौरागढ़ जिले में "सैनिक आवास निर्माण योजना" के अन्तर्गत मकानों के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बच्चदा' (अल्मोड़ा) : वर्ष 2003-04 में रक्षा मंत्रालय द्वारा देश में सैनिकों के लिए आवास योजना बनायी गयी थी। इस योजना में उत्तरांचल देश के सीमांत जिले पिथौरागढ़; में सैनिक आवास हेतु रुपये 114 करोड़ (एक सौ चौदह करोड़) की स्वीकृति दी गयी थी। इस योजना हेतु पिथौरागढ़ में भूमि का चयन करने के साथ-साथ विस्तृत आगणन बनाने का कार्य राईटस नामक संस्था को सौंपा गया था। परन्तु उपरोक्त योजना में कोई प्रगति न होने के कारण क्षेत्र की जनता में रोष व्याप्त है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि पिथौरागढ़ जिले के लिए सैनिक आवास निर्माण योजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाये।

(आठ) 18 दिसम्बर को संत गुरू घासी दास जी की वर्षगांठ को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के संत बाबा गुरू घासीदास जी का जन्म 18 दिसम्बर, 1756 में ग्राम गिरौदपुरी, तह० बलौदा, जिला रायपुर में हुआ। उनकी माताजी का नाम श्रीमती अमरौतिन तथा पिता का नाम बाबा मंहगुदास था। संतबाबा जी की पत्नी माता सपुरा की मृत्यु हो जाने के कारण उनके निधन से दुखी होकर संतबाबा संतुरू घासी गिरौदपुरी के जंगल में जाकर छाता पहाड़ के ऊपर चढ़कर वहां से कूदे, जिसकी ऊंचाई लगभग 200 फुट थी। उसके बाद कुछ नहीं होने पर वहीं पर संतजी गुरूघासी दास ध्यान में बैठ गये थे। 6 माह तक तपस्या किए। उन्हें सतनाम रूपी ज्ञान तथा अमृत का प्याला प्राप्त हुआ। जिसे पाकर बाबा जी गांव की ओर आये जहां माता सपुरी जी को, जिन्हें 6 माह पूर्व मरघट में दफना दिया गया था, उसे निकलवा कर जिन्दा कर दिया। अनेक प्रकार के समाज कल्याण के कार्य किए एवं मृतक बछिया को जिन्दा किया।

उक्त संत के अनुयायी पूरे भारतवर्ष में 9.50 लाख की संख्या में फैले हुए हैं। उनकी भावना को देखते हुए 18 दिसम्बर को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अवकाश घोषित किया गया है। अत: पूरे देश में 18 दिसम्बर को बाबा गुरू घासी दास जी जयन्ती पर्व के उपलक्ष्य में केन्द्र सरकार सार्वजनिक छुट्टी घोषित करे।

(नौ) उड़ीसा में उत्पादित कोयला तथा अन्य खनिज पदार्थों पर देय रायल्टी में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनन्त नायक (क्योंझर) : उड़ीसा सरकार को कोयला पर रॉयल्टी दर में संशोधन करने में केन्द्रीय सरकार द्वारा की गयी अत्यधिक देरी के कारण राजस्व की हानि हो रही है। नियमों के मुताबिक संशोधन प्रत्येक तीन वर्षों में किया जाना चाहिए था। रॉयल्टी दर को 11.10.19994 को पहली बार संशोधित किया गया था। अगला संशोधन 11.10.1997 को किया जाना चाहिए था। जबकि यह आठ वर्ष बाद 16.8.2002 को संशोधित किया गया था।

मुख्य खनिज पदार्थों के संबंध में संशोधन 12.9.2000 को किया गया था और अगला संशोधन 12.9.2003 को होना था पर यह अब तक भी नहीं किया गया है। इस प्रकार रॉयल्टी दर में देर से संशोधन होने के कारण राजस्व हानि करीब 750 करोड़ रुपये है। स्थिति के मुताबिक रॉयल्टी के संशोधन में देरी के कारण इसकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए थी। लेकिन भारत सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की।

[श्री अनन्त नायक]

इसे मद्देनजर रखते हुए मैं मांग करता हूं कि उड़ीसा और अन्य राज्यों में उत्पादित कोयले और अन्य प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन किया जाये। संशोधन में देर की वजह से हुई राजस्व हानि की समुचित क्षतिपूर्ति बिना और समय जाया किए की जानी चाहिए।

(दस) छात्रावासों में बालिकाओं को भोजन मुहैया कराने में रत स्वयंसेवी संगठनों को शीघ्र ही धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भंवर सिंह डांगावास (नागौर) : महोदया, पूरे राष्ट्र में महिला शिक्षा का अनुपात पुरुष शिक्षा के अनुपात में बहुत कम है। मैं यह भी मानता हूं कि राज्य सरकारें व केन्द्र सरकारें महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए छात्राओं को भिन्न-भिन्न तरीकों से आर्थिक सहायता दे रही हैं। जैसे मुफ्त, पठन सामग्री, छात्रावासों की व्यवस्था ही नहीं परन्तु निःशुल्क भोजन व्यवस्था इत्यादि दिया जा रहा है। इनमें से कुछ राज्य सरकारें व कुछ भारत सरकार देती हैं।

महोदया जी, आपके माध्यम से मा० मानव संसाधन मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारत में कई निजी शिक्षण संस्थायें हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका/महिला शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। यद्यपि मानव संसाधन मंत्रालय छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं को छात्रावास में भोजन व्यवस्था में सहयोज देते हैं परन्तु इसमें बहुत विलम्ब होता है और कार्य पद्धति के कारण अधिकतर प्रतिवेदन स्वीकार ही नहीं होते हैं।

यदि ऐसी राशि राज्य सरकारों को आबंटन कर दी जाये तो संस्थाओं को स्वीकृत करने में आसानी होगी। यदि ऐसा नहीं करें तो शिक्षा सत्र के प्रारंभ होने के तीन माह में स्वीकृति कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। जुलाई माह में जबकि शिक्षण सत्र प्रारंभ होता है, संस्थाओं में प्रतिवेदन आ जाने चाहिए व दो माह में मानव संसाधन मंत्रालय की ,राशि संस्थाओं को आबंटित हो जानी चाहिए।

मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार मेरी प्रार्थना पर विचार करके मुझे निर्णय से सूचित करेंगे।

(ग्यारह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सेलवन के उपभोक्ताओं की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल) : महोदया, भारत संचार निगम लिमिटेड की सैल वन द्वारा दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपनी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। जबकि यह क्षेत्र पूर्णतया भारत संचार निगम लिमिटेड के क्षेत्र में है। दिल्ली से बाहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को रोमिंग से ही सुविधा मिलती है क्योंकि इन क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड के सिगनल्स नहीं मिलते हैं और जो सिगनल्स इस प्रकार के मोबाइल धारकों को प्राप्त होते हैं वह डाल्फिन से प्राप्त होते हैं जो कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की है। इस प्रकार सैल वन धारकों को बिना कारण रोमिंग का चार्ज देना पड़ता है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इस स्थिति को तुरंत सुधारने की व्यवस्था करें जिससे सैल वन धारकों को अनुचित आर्थिक हानि न उठनी पड़े।

(बारह) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में सर्वसुविधा युक्त ई०एस०आई० अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए०वी० वेल्लारमिन (नागरकोइल) : तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों अर्थात् कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन में 20 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल हैं। ये अस्पताल पूर्वाह्न तथा 4 बजे अपराह्न से 6.30 बजे अपराह्न तक ही खुले रहते हैं। इन अस्पतालों के इतने कम समय तक खुले रहने से, इन जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कार्यरत श्रमिकों की चिकित्सा आवश्यकतायें पूरी नहीं हो पाती हैं। और तो और ये अस्पताल बहिरंग रोगी उपचार और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए हैं। गंभीर मामले सरकारी अस्पतालों को भेज दिए जाते हैं जहां बहुत कम बेड इनके लिए उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति के कारण रोगग्रस्त श्रमिक अक्सर धक्के खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उनके पास निजी नर्सिंग होम में बहुत ज्यादा खर्चे पर इलाज कराने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। इस प्रकार असुरक्षित श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाता है।

इस योजना के अन्तर्गत आने वाले श्रमिकों की संख्या कन्याकुमारी जिले में अपेक्षाकृत अधिक है। यदि कन्याकुमारी जिले में विशेषकर नागरकोइल में सर्व सुविधासंपन्न कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल स्थापित कर दिया जाए तो उपर्युक्त तीन जिलों विशेषकर कन्याकुमारी जिले के श्रमिकों को इस योजना के अंतर्गत इलाज कराने में सुविधा होगी। नागरकोइल में अस्पताल की स्थापना के लिए ढांचागत सुविधा कोट्टार के सरकारी मुख्यालय अस्पताल में आसानी से उपलब्ध है जोकि खाली है क्योंकि अस्पताल को नजदीकी स्थल असारीपट्टिनम में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के प्रांगण में स्थानांतरित कर दिया गया था।

मैं केन्द्र सरकार से इस मामले पर तमिलनाडु सरकार से विचार-विमर्श करने का अनुरोध करता हूं।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के सैदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जखनिया बाजार में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री तुफ़ानी सरोज (सैदपुर) : महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान अपने चुनाव क्षेत्र सैदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जखनियां बाजार के व्यापारियों, कर्मचारियों-अधिकारियों और अन्य लोगों की समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जखनियां केवल कस्बा ही नहीं है बल्कि जखनियां उस क्षेत्र का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन भी है। वहीं तहसील मुख्यालय और ब्लाक मुख्यालय भी है। वहां कई डिग्री कॉलेज हैं। कई इंटर कॉलेज और हाई स्कूल भी हैं। यहां बाजार, रेलवे स्टेशन, ब्लाक मुख्यालय, तहसील मुख्यालय तथा रेलवे स्टेशन होने के कारण सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या भी अच्छी-खासी है। यहीं पर एस०डी०एम० का कार्यालय और न्यायालय भी है। पर यहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई शाखा नहीं होने के कारण अधिकारियों, कर्मचारियों व व्यापारियों सहित आम लोगों को बैंक ड्राफ्ट बनवाने, पैसा जमा करने व निकालने और व्यापारिक लेन-देन करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस क्षेत्र के लोग लंबे अर्से से जखनियां में स्टेट बैंक आफ इंडिया की एक शाखा स्थापित करने की मांग करते आ रहे हैं।

अत: आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि लोगों की जरूरत को देखते हुए जखनियां बाजार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा स्थापित करने के लिए वह तत्काल कदम उठायें।

(चौदह) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदया, बिहार में एन०एच०ए०आई० को करीब 890 कि०मी० राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरा करने की स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है, किन्तु अभी तक वहां सड़क निर्माण का कार्य ठीक ढंग से प्रारंभ नहीं हुआ है। कारण है कि कोई कांट्रेक्टर नहीं मिल रहा है। बिहार वैसे ही पिछड़ा प्रदेश है। वहां सड़क एवं अन्य आधारभूत संरचनायें नहीं के बराबर है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर टेंडर की शर्तों में छूट देने की आवश्यकता है तो सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए जिससे कि वहां कांट्रेक्टर्स को सड़क निर्माण के कार्य के लिए आकर्षित किया जा सके।

मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि बिहार के अति दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां सड़क निर्माण के कार्य में तेजी लाने के लिए अविलम्ब कदम उठायें।

(पन्द्रह) तमिलनाडु के पिछड़े जिलों में औद्योगिक इकाइयां खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी० वैपुगोपाल (तिरुपत्तूर) : महोदया, मैं तमिलनाडु के सूखाग्रस्त जिलों में बढ़ती आवश्यकता पर जोर देना चाहता हूं। मैं संघ सरकार से विशेष आर्थिक क्षेत्र या विशेष कृषि विकास कार्यक्रमों के लिए सूखाग्रस्त जिलों की पहचान करने जैसे रोजगारोन्मुखी योजनाओं और आर्थिक विकास संबंधी उपायों को लागू करते समय देश के सभी पिछड़े जिलों में एक समान विकास सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के इर्द-गिर्द तिरुवन्नामलाई, तिरुपत्तूर और वेल्लोर में उन पारंपरिक श्रमिकों की उपलब्धता से औद्योगिकी कार्यकलाप की संभावना है जो अब तक चर्मशोधन इकाइयों में रोजगाररत थे। हाल ही में केन्द्र सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में 100 से ज्यादा विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना को हरी झंडी दी है। पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक वृद्धि और आर्थिक विकास तेज करने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे क्षेत्र देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े स्थानों में संयुक्त क्षेत्र में शुरू किए जाएं। मैं ग्रामीण विकास, कृषि तथा वाणिज्य और औद्योगिकी विकास मंत्रालयों के साथ-साथ वित्त मंत्रालय से औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में कृषकों औरश्रमिकों को आधुनिक प्रौद्योगिकीय सुविधायें उपलब्ध कराने और औद्योगिक इकाइयों में व्यवहार्य परियोजनाओं को प्रारंभ करने का आह्वाहन करता हूं।

(सोलह) उत्तर प्रदेश के उन्नाव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जर्जर सड़कों का सर्वेक्षण कराने तथा उन्नाव-रायबरेली रोड पर लोन नदी पर एक सेतु बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अन्नेश पाठक (उन्नाव) : महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र उन्नाव, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उन्नाव-रायबरेली मार्ग पर लोन नदी का पुल विगत दो सालों से टूटा हुआ है। बांगरमऊ-सण्डीला मार्ग की स्थिति अत्यंत खराब है। लोगों का इस मार्ग पर चलना बड़ा कठिन हो रहा है। यही स्थिति परियर-चकलवंशी मार्ग, बांगरमऊ-मियांगंज-आसीवन मार्ग, रसूलाबाद-महमूदपुर मोड़ से ग्राम हंसेवा मार्ग, लालकुआं से रसूदाबाद टाउन एरिया मार्ग की है।

इन मार्गों के अतिरिक्त मेरे संसदीय क्षेत्र उन्नाव में ऐसे और भी बहुत से मार्ग हैं, जो बहुत ही जीर्णशीर्ण स्थिति में है। सड़कों की

[श्री ब्रजेश पाठक]

स्थिति खराब होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उन्नाव संसदीय क्षेत्र, जो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, में उन्नाव-रायबरेली मार्ग पर लोन नदी के पुल का निर्माण अविलम्ब करवाये जाने के साथ-साथ क्षेत्र की सभी जीर्णशीर्ण सड़कों का सर्वेक्षण करवा कर इन मार्गों का निर्माण शीघ्र करवाये जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने हेतु कारगर कदम उठाये जायें।

(सत्रह) उड़ीसा में नृहसिंहनाथ और हरिशंकर मंदिरों के बीच रस्सी से बनी सीढ़ी की सुविधा समेत नृहसिंहनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर) : नृहसिंहनाथ मंदिर उड़ीसा में गंधमार्दन पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना 12वीं शती में हुई थी। पूरे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से हजारों श्रद्धालु भगवान नृहसिंहनाथ की पूजा करने के लिए प्रत्येक वर्ष इस मंदिर में आते हैं। इस प्रकार यह मंदिर तीर्थयात्रियों विशेषकर वनवासियों के लिए शताब्दियों से आकर्षण का केन्द्र रहा है। लेकिन रख-रखाव में कमी के कारण इस मंदिर का ढांचा कमजोर होता जा रहा है और कुछ वर्ष पूर्व मंदिर के गर्भगृह में दरार पड़ गई थी। यद्यपि पुरातत्व विभाग ने मरम्मत कार्य किया था पर अभी भी समग्र जीर्णोद्धार बेहद आवश्यक हो गया है।

गंधमार्दन पहाड़ी बारगढ़ और बोलनगीर जिलों के बीच विभाजक का कार्य करता है। जहां इसके एक ओर नृहसिंहनाथ स्थित हैं तो दूसरी ओर प्रसिद्ध हरिशंकर मंदिर स्थित है जो लाखों श्रद्धालुओं के आकर्षण का केन्द्र है। लेकिन बेहतर पर्यटन सुविधा के लिए उस स्थान पर पर्याप्त ढांचागत सुविधा उपलब्ध नहीं है।

इसलिए मैं पर्यटन मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि (एक) नृहसिंहनाथ मंदिर के पूर्ण जीर्णोद्धार हेतु आवश्यक धन की मंजूरी दे और इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कहा जाए (दो) पर्यटन मंत्रालय द्वारा नृहसिंहनाथ और हरिशंकर मंदिरों के बीच रस्सी से बनी सीढ़ी की सुविधा उपलब्ध कराई जाय जो इस क्षेत्र में पर्यटन की संभावना बढ़ाने में सहायक होगी।

(अठारह) तमिलनाडु के लब्ध प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी एम०सी० वीराबाहु की स्मृति में स्मारक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री एम० अप्पादुरई (तेनकासी) : श्री एम०सी० वीराबाहु, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी और महान वी०ओ० चिदम्बरम पिल्लै से संबंधित लब्ध प्रतिष्ठित सांसद थे, व्यावसायिक घराने से संबंध रखते थे और उन्होंने वकील के रूप में जन सेवा की। श्री वीराबाहु ने महात्मा गांधी जी के साम्राज्यवाद के विरुद्ध आह्वाहन का जवाब दिया और कई वर्षों तक भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गहरी दिलचस्पी दिखाई और अच्छी खासी कमाई वाला वकालत का पेशा छोड़ दिया। वह दो बार जेल गए। वह कामराज और राजाजी जैसे दिग्गजों से निकट संबंध रखते थे। उन्होंने अस्पृश्यता को दूर करने और मद्यनिषेध की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य किया और अनुसूचित जातियों के हितों का समर्थन किया। वह 1946-52 के दौरान संविधान सभा और अस्थायी संसद के सदस्य थे।

हालांकि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिलाने के लिए कार्य किया पर उन्होंने आजीवन कोई पेंशन नहीं ली। उन्होंने अपने पारिवारिक खर्च का प्रबंध अपने पूर्वजों की सम्पत्ति और आय से किया। उन्होंने सदैव सामाजिक उत्थान के लिए कार्य किया।

एम०सी० वीराबाहु शताब्दी समारोह समिति ने 19.5.2003 को इनकी जन्मशती पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए संचार मंत्री से पहले ही अनुरोध कर रखा है। इसलिए, मैं माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी और महान सांसद श्री एम०सी० वीराबाहु की स्मृति में शीघ्र टिकट जारी करें। यदि अभी नहीं तो कम से कम उनकी 30वीं पुण्यतिथि पर उस महान स्वतंत्रता सेनानी को आदर देने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया जाये।

(उन्नीस) कामगारों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से झारखंड में सिंदरी फर्टिलाइजर वर्क्स और हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह) : महोदया, झारखंड राज्य के धनबाद जिले में सिंदरी फर्टिलाइजर कारखाना सन् 2002 से बंद है। एक ओर जहां कारखाना बंद होने के कारण वहां कार्यरत मजदूर बेरोजगार हो गए हैं तथा उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। इसके साथ ही इसी जिले के अंतर्गत भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की टुन्डू इकाई को विनिवेश नीति

के तहत मैसर्स स्टार लाइट आपारचुनिटीज एवं वेंचर्स लिमिटेड को दिनांक 11.04.2002 को हस्तान्तरित किया गया, किन्तु खेद है कि इस कंपनी ने विभिन्न तरह के बहाने बनाकर अपना कार्य बंद कर दिया। फलस्वरूप सैंकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए। दोनों कारखाने जितने दिन बंद रहे उतने दिनों का पूरा वेतन एवं भत्ता मजदूरों को दिलाया जाये और जनहित में इन दोनों कारखानों को अविलंब चालू कराया जाये।

(बीस) न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण हेतु पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : यह आवश्यक है कि भारत में सभी न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं ताकि न्यायपालिका को ज्यादा सक्षम, द्रुतगामी और पारदर्शी बनाया जा सके। भारत में सभी जिला न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण संबंधी प्रस्ताव योजना आयोग के पास लंबित है। यह भी आवयश्क है कि अधीनस्थ न्यायालय सहित सभी ध्यायालयों के लिए भवन निर्माण, फर्नीचर और अन्य सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए केन्द्र और अधिक सहायता दे। विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में विलंब हो रहा है और इसके कारण कई न्यायालयों में भारी संख्या में मुकदमें लंबित पड़े हैं। केरल उच्च न्यायालय का नया भवन न्यायपालिका की गरिमा के उपयुक्त है। अधिक से अधिक निधियों का आबंटन किया जाना चाहिए तथा भारत में सभी उच्च न्यायालयों को केरल उच्च न्यायालय जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं। न्यायालय जाने वाले मुवक्किलों और लोगों को सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं ताकि उन्हें यह महसूस हो कि वे कानून और न्याय की प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं। आम आदमी को, विशेषकर गरीब को प्रभावशाली तरीके से त्वरित लाभ मिलना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि न्याय प्रशासन पर और अधिक धन खर्च करके इस संबंध में तत्काल कदम उठाये।

अपराह्न 1.51 बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड विधेयक, 2006

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदया, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड विधेयक, 2006 का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक को लाने का श्रेय एन०डी०ए० की सरकार को जाता है कि उसने वर्ष 2002 में ही इसके बारे में चिन्तन कर लिया था और इसका मसौदा वगैरह तैयार करके यह बिल संसद में लाई थी। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनीं जिसमें 13वीं लोकसभा भंग हो गयी और परिणामस्वरूप उस समय यह बिल पारित नहीं हो सका था, साथ ही इस बिल को संसदीय कमेटी के पास विचार-विमर्श के लिए जाना था, इसलिए इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ। उसी समय से ही यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए एक विनियामक बोर्ड बनना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में सरकारी कम्पनियों के साथ-साथ कई प्राइवेट कंपनियां भी आ रही हैं, इसलिए उनको अभिनियन्त्रित और विनियमित करने के लिए इसका बनना आवश्यक है। इस समय माननीय मंत्री जी यहां विराजमान हैं। जिन मंत्री जी ने इस बिल को राज्य सभा में प्रस्तुत किया था, वे तो अब उस पद को सुशोभित नहीं कर रहे हैं और माननीय श्री मुरली देवरा जी ने उसका कार्यभार संभाल लिया है और चूंकि यह उनका पहला बिल है, इसलिए उनका भी सदन में स्वागत है।

महोदया, इस बिल के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि इस बिल की भूमिका में भी कहा गया है कि पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से सम्बन्धित विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगे हुए लोगों और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने और देश के सभी भागों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस का अबाधित एवं पर्याप्त प्रदाय सुनिश्चित करने, प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों का संवर्द्धन करने, अपरकृित तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के परिकरण, संसाधन, भण्डारण, परिवहन, वितरण और विपणन को विनियमित करने और उनसे संबंधित आनुषांगिक विषयों का विनयमन करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

महोदया, इस क्षेत्र में दो प्रकार के कार्य - अपस्ट्रीम कार्य और डाउनस्ट्रीम कार्य – होते हैं। यह बोर्ड केवल डाउनस्ट्रीम वाले कार्यों अर्थात् तेल या प्राकृतिक गैस निकालने और उसके बाद के कार्यों जैसे परिकरण, संसाधन, भण्डारण, परिवहन, वितरण, विपणन आदि को देखने के लिए बनाया गया है। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि अपस्ट्रीम कार्यों जैसे तेल खोजने के लिए, तेल का अनुसंधान करने के लिए, गैस का पता लगाने के लिए, गैस का अनुसंधान करने के लिए, तेल या गैस को निकालने आदि के लिए भी इसी तरह का एक बोर्ड बनना चाहिए। उसके बारे में इस विधेयक में कोई संकेत नहीं है। उसके बारे में आपकी क्या नीति है, उसके लिए बोर्ड कब तक बन जाएगा? इन चीजों के बारे में माननीय मंत्री जी जब जवाब दें तो स्थिति को स्पट करें। इस बोर्ड के पास तेल या प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और खुदाई आदि कार्यों का नियंत्रण नहीं होगा। इसके बारे में क्या स्थिति है? आज हमारे देश में 70 प्रतिशत तेल बाहर

[प्रो० रासा सिंह रावत]

से आयात करना पड़ता है। हमारे यहां तेल का उत्पादन बहुत कम है और इसके परिणामस्वरूप देश की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। पिछले तीन-चार सालों से लगातार यह सुनने में आ रहा है कि गोदावरी और कृष्णा बेसिन में तेल और प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भण्डार मिला है। राजस्थान के जैसलमेर, जालौर और बाड़मेर में बहुत बड़ा तेल का भण्डार मिला है। बॉम्बे हाई जो पहले सैचुरेशन प्वाइन्ट पर आ गया था वहां नए कुओं का पता लगाया जा रहा है और अन्य नए-नए क्षेत्रों में भी खुदाई का काम चल रहा है। ओ०एन०जी०सी० एवं अन्य सरकारी कम्पनियों के साथ ही प्राइवेट कम्पनियों जैसे रिलायंस और एस्सार और केयर्न एनर्जी जैसी विदेशी कम्पनियों को भी इस क्षेत्र में अनुमति दी गयी है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब से नई लाइसेंस नीति बनी है, क्या कारण हे कि प्राइवेट सेक्टर में जिन लोगों को इसके तहत खुदाई और अन्यान्य काम दिया गया है, उन्हें तो तेल के और गैस के भंडार मिल रहे हैं, लेकिन जो सरकारी तेल कम्पनीज हैं, वह इस काम में पिछड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें उतने भंडार नहीं मिल रहे हैं? क्या इसके पीछे यह कारण तो नहीं है कि निजी क्षेत्र को ज्यादा बढ़ावा देने और सरकारी कम्पनीज को, जिनमें जनता का करोड़ों रुपया लगा है, दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है?

सभापति महोदया : रासा सिंह जी, कृपया आप अपनी बात संक्षेप में टू दि पाइंट कहें, क्योंकि इस बिल को अलाटेड समय जो दिया गया है, वह खत्म हो रहा है। मंत्री जी भी जवाब देने के लिए बैठे हैं।

प्रो० रासा सिंह रावत : सभापति महोदया, मैं टू दि पाइंट ही अर्ज कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इंडियन ऑयल, ऑयल इंडिया लि०, ओ०एन०जी०सी०, एच०पी०सी०एल० और बी०पी०सी०एल० कम्पनीज अभी तेल और गैस वितरण का काम करती हैं, लेकिन खुदाई और अनवेषण के क्षेत्र में विदेशी कम्पनीज का सहारा नहीं ले रही हैं, लगता है इसीलिए उन्हें ज्यादा सफलता इसमें नहीं मिल रही है और दूसरी जो निजी क्षेत्र की कम्पनीज हैं, उन्हें ज्यादा सफलता मिल रही है। इस बारे में भी मंत्री जी अपना जवाब देते समय स्थिति स्पट करें।

कई माननीय सदस्यों ने इस बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि तेल की कीमतों पर नियंत्रण का अधिकार इस विनियामक बोर्ड को है। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं और मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पूरे बिल में कीमतों को निर्धारण करने के बारे में विनियामक बोर्ड के प्राधिकार का उल्लेख नहीं है। यह बोर्ड अनियिमतताओं की जांच कर सकता है, अनियमितताओं के नियंत्रण की बात भी कही गई है, लेकिन कीमतें निर्धारित करने का काम इस विनियामक बोर्ड के कार्य क्षेत्र के बाहर है। इसलिए मंत्री जी इसे भी स्पट करें कि क्या अंतर्राष्ट्रीय भावों के आधार पर या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर तेल की कीमतें तय होंगी अथवा कोई मैकेनिज्म है, जो कीमतें तय करेगा?

इस बिल में विनियामक बोर्ड के गठन और उसमें लिए जाने वाले सदस्यों के बारे में अच्छा प्रावधान किया गया है कि इसके अंदर इस क्षेत्र को जानने वाले लोगों को स्थान दिया जाएगा। केन्द्रीय सरकार के योजना आयोग के ऊर्जा सेक्टर के सदस्य की अध्यक्षता के तहत एक सर्च कमेटी का गठन किया गया है। इस सर्च कमेटी के उनके अलावा वित्त मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के सचिव सदस्य होंगे। यह समिति बोर्ड के सदस्यों का पैनल बनाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जनता की समस्याओं को जानने के लिए और परिवहन से संबन्धित क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, उनको भी जानने वाले लोगों को इसमें लिया जाना चाहिए, ताकि वे इन क्षेत्रों में तेल के बारे में जो समस्याएं हैं, उनको उठा सकें।

सभापति महोदया : कृपया समाप्त करें।

प्रो० रासा सिंह रावत : सभापति महोदया, थोड़ी घंटी कम बजाएं, अभी मुझे थोड़ा समय और चाहिए इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। आप इस कुर्सी पर विराजमान हुई हैं, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं।

सभापति महोदया : लेकिन इस कुर्सी के मान को भी आप देखें।

प्रो० रासा सिंह रावत : राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर और अन्य जगहों पर कई कम्पनीज तेल निकालने का काम कर रही हैं। लेकिन आपने इन जगहों पर रिफाइनरीज स्थापित न करके पंजाब में, यू०पी० आदि में रिफाइनरीज स्थापित की हैं, जहां कि तेल नहीं निकाला जाता है, जबकि राजस्थान में तेल के विशाल भंडार मिले हैं। राजस्थान में जैसलमेर, सांचौर, बाड़मेर और जालौर के अंदर तेल के भंडार मिले हैं इसलिए वहां पर तेल की रिफाइनरीज स्थापित करने के बारे में भी आप विचार करें। राजस्थान में रिफाइनरीज स्थापित करने के बारे में सरकार की ओर से कहा जाता है कि सरकारी कम्पनीज बनाएंगी और कभी कहा जाता है कि प्राइवेट कम्पनीज बनाएंगी। राजस्थान से होकर तेल जाएगा, गैस जाएगी और राजस्थान के लोग देखते रहेंगे, क्योंकि वहां रिफाइनीज नहीं हैं, तो वहां के लोग कैसे इस चीज को बर्दाश्त करेंगे। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट करें।

अपराह्न 2.00 बजे

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। तेल के अंदर मिलावट की समस्या बहुत ज्यादा है। मिट्टी के तेल का भाव थोड़ा कम है और उसका रंग भी बदल दिया गया है लेकिन डीजल के अंदर उसको मिलाया जाता है। इस मिलावट को सरकार रोके, क्योंकि इस मिलावट से इंजन पर भारी दुष्प्रभाव पड़ता है। अभी मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि हर आउटलेट पर एक यंत्र लगा रहेगा जो यह बताएगा कि तेल में मिलावट है या नहीं है। अगर ऐसा कोई यंत्र है तो वह सभी जगह लगाया जाए।

एक समस्या और है कि इनके डीलर को कमीशन कम मिलता है। रिलाइंस में तो सारी सुविधाएं हैं, इसलिए सारी गाड़ियां रिलाइंस की ओर भाग रही हैं लेकिन सरकारी कंपनियों के आउटलेट्स का विकास नहीं हो रहा है। नियामक बोर्ड के बारे में तथा अन्य नियम जो आये हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। अब तो हर फर्लांग पर एक पेट्रोल पंप हो गया है और जिन्होंने पेट्रोल-पंप लिये भी हैं वे भी वापस करने के लिए तैयार हो रहे हैं।

कीमतों के निर्धारण करने की बात भी महत्वपूर्ण है तथा जो पाइपलाइन आ रही है उसका क्या हुआ? इरान और पाकिस्तान से होकर पाइपलाइन आयेगी या तुर्किस्तान-म्यांमार और बंगला देश से होकर आयेगी, यह भी बताया जाए। सुडान के अंदर, रूस के अंदर हमारी जो सरकारी कंपनियां उन देशों के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं, उनकी क्या स्थिति है? कितनी आवश्यकता की पूर्ति होगी और कितना पेट्रोल बाहर से मंगाना पड़ेगा यह भी बताएं तथा खुदाई का काम कब शुरू होगा?

[अनुवाद]

सभापति महोदया : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें। इस विधेयक पर अभी भी 15 और सदस्यों को अपनी बात कहनी है। यदि प्रत्येक सदस्य को 10-10 मिनट भी दिये जायें तो भी इसमें करीब 150 मिनट लग जाएंगे।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : राजधानी के अंदर गैस नहीं मिल रही है, लम्बी-लम्बी लाइनें लगी हुई हैं और सिलेंडर्स की कमी जो देश में आ रही है, माननीय मंत्री जी उस बारे में भी बताएं।

[अनुवाद]

श्री के०एस० राव (एलूरू) : महोदया, यह पहला विधेयक है जिसे हमारे माननीय मंत्री महोदय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के नए मंत्री के रूप में पुर:स्थापित कर रहे हैं। मैं इस विधेयक के पारित हो जाने और इस देश में हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं। इस विधेयक को काफी पहले पारित कर दिया जाना चाहिए था, विशेषकर तब, जबकि शासित मूल्य तंत्र में परिवर्तन किया गया था और निजी क्षेत्र को कई प्रोत्साहन दिए गए थे तथा सरकार ने पेट्रो-रसायन क्षेत्र को विनियमित करने का निर्णय लिया था। कम से कम अब तो माननीय मंत्री जी यह विधेयक लेकर आये हैं और मुझे विश्वास है कि यह विधेयक इस सभा द्वारा पारित कर दिया जाएगा जिसका उद्देश्य इस देश में ऊर्जा सुरक्षा लाना और इस क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रही कई अनियमितताओं में परिशोधन करना भी था।

महोदया, मैं शुरूआत में इस विधेयक के कुछ खंडों का संदर्भ देना चाहूंगा। यह विधेयक उन अन्य समान विधेयकों की तर्ज पर भली-भांति तैयार किया गया है जिन्हें इस देश में विभिन्न अन्य क्षेत्रों में विनियामक की स्थापना करने के उद्देश्य से बनाया गया था। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में दो-तीन बातें उनके विचारार्थ लाना चाहूंगा। अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में इस विधेयक में कहा गया है जिसे मैं उद्धृत करता हूं :–

> "केन्द्र सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस; उद्योग, प्रबंधन वित्त, विधि, प्रशासन और उपभोक्ता मामलों के क्षेत्र में श्रेष्ठ व्यक्तियों में से बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगी।"

लेकिन वैधिक समुदाय से सदस्य के चुनाव के संबंध में, इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है जिसं मैं उद्धृत कर रहा हूं :

> "... बशर्ते किसी व्यक्ति को सदस्य (विधिक) तभी नियुक्त किया जाएगा जब वह उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के योग्य हो।"

विधिक समुदाय से सदस्य का चुनाव करने में इस निर्धारण को हम समझते हैं। अब उसी प्रकार, क्या उस विशेष विषय में कोई योग्य तकनीकी सदस्य नहीं होना चाहिए? लेकिन ऐसी बात इस विधियेक में कहीं भी उल्लिखित नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी यह देखें कि विधेयक में इसी प्रकार की शर्त भी शामिल की जाये। कम से कम किसी विशेष क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव प्राप्त एक तकनीकी सदस्य अवश्य होना चाहिए। अन्यथा इसका प्रमुख स्थायी रूप से गैर-तकनीकी सदस्य ही रहेगा जिसका परिणाम होगा कि नियामक स्वयं ही अनुपयोगी हो जाएगा।

मेरा दूसरा मुद्दा खंड 31 के बारे में है। वहां यह उल्लिखित है कि अपीलीय अधिकरण में तकनीकी सदस्य होगा। मैं निश्चित रूप

[श्री के०एस० राव]

से इसका समर्थन करता हूं क्योंकि अधिकरण बिना किसी तकनीकी सदस्य के कोई सही निर्णय नहीं ले सकेगा। लेकिन तब यह कहा गया है :

"तकनीकी सदस्य (पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) की नियुक्ति धारा 4 की उप-धारा (2) के तहत गठित खोज समिति द्वारा तैयार किए गए पैनल में से की जाएगी।"

दुर्भाग्यवश, खोज समिति में एक भी तकनीकी सदस्य नहीं है। खोज समिति में योजना आयोग के सचिव और सदस्य शामिल हैं। कभी यह भी हो सकता है कि इनमें से किसी के भी पास विशेषकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित तकनीकी ज्ञान न हो। मैं चाहता हूं कि इस खोज समिति में एक तकनीकी सदस्य अवश्य होना चाहिए जो हाइड्रोकार्बन का विशेषज्ञ हो क्योंकि वह सदस्य के रूप में सही व्यक्ति का चुनाव करने के लिए वास्तविक तकनीकी पहलू पर कम से कम गौर तो जरूर करेगा।

खंड 31 में यह भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपीलीय अधिकरण के तकनीकी सदस्य (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) के रूप में नियुक्ति के योग्य तभी होगा जब कि वह मंत्रालय में कम से कम एक वर्ष तक सचिव हो या रहा हो। तकनीकी सदस्य के लिए मंत्रालय में सचिव पद पर रहना भी आवश्यक है। मुझे यह बताया गया है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का सचिव तकनीकी व्यक्ति नहीं था। वह तो केवल नौकरशाह था। यदि वैसा था तो ऐसे तकनीकी सदस्य का चुनाव करने में क्या कठिनाई है जो सचिव अवश्य रहा हो? इसलिए, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस मुद्दे पर गंभीर रूप से विचार करें और यह भी सुनिश्चित करें कि क्या मंत्रालय या विभाग सचिव से संबंधित खंड में संशोधन की आवश्यकता है? अन्य विभागों में हाइड्रोकार्बन में विद्वान व्यक्ति नहीं होगा। यदि ऐसा सचिव वहां होगा तो वह सचिव वहां केवल इस मंत्रालय में ही होगा। और दुर्भाग्यवश, इस विभाग के प्रमुख हमेशा नौकरशाह ही होते हैं जो तकनीकी व्यक्ति नहीं होते। मेरे विचार से संशोधन की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन बातों पर विचार करें। मैं इस विधेयक पर खंडवार विचार नहीं करना चाहता। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन तीन बातों का ध्यान रखें।

मैं इस बात की सराहना करता हूं कि यह विधेयक उपभोक्ता के हितों को संरक्षण देने के उद्देश्य से लाया गया है। मुझे खुशी है कि इस विधेयक में इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात को शामिल किया गया है। विधेयक में "सूदूर क्षेत्रों सहित देश के सभी भागों में अबाधित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने" की बात भी कही गई है। यदि वे वास्तव में ऐसा करते हैं तब तो यह अनुकरणीय है। लेकिन मैं नहीं समझता कि वे हर जगह पर्याप्त आपूर्ति करने और उचित मूल्य सुनिश्चित करने में समर्थ होंगे। मैं ये बातें जानता हूं। इसमें "प्रतिस्पर्द्धी बाजारों को बढ़ावा देने और अभेदकारी आधार पर सामान्य और ठेके वाले वाहनों तक पहुंच बढ़ाने" की बात भी कही गयी है। जब मैंने उन उद्देश्यों को पढ़ा जिनकी पूर्ति के लिए यह विनियामक बोर्ड विधेयक लाया गया है तो मैंने महसूस किया कि ये उद्देश्य बहुत अच्छे हैं जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं। लेकिन मुझे केवल यही आशंका है कि क्या वे निर्बाधित आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकेंगे।

सभापति महोदया : कृपया अपनी बात समाप्त करें। अभी तीन और सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने हैं।

श्री के०एस० राव : महोदया, कृपया मुझे न टोकें। मैं तो कभी-कभार ही बोलने वाला व्यक्ति हूं।

मैं मंत्री जी को अपमिश्रण जैसी बातों के संबंध में केवल सावधान करना चाहता हूं जो इस देश में बड़े पैमाने पर हो रहा है और जिससे अप्रत्यक्ष रूप से लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। जब तेल में अपमिश्रण किया जाता है तो इससे मशीन के कार्यकरण पर प्रभाव पड़ता है और तब हरेक चीज बरबाद हो जाएगी जिसकी कीमत असामान्य होगी। लेकिन इन चीजों पर रोक लगाने के लिए सतर्कता विभाग में किसी तंत्र का प्रावधान नहीं किया गया है। वे केवल भर्ती करने वाली और जांच करने वाली एजेंसी पर निर्भर रहते हैं या जरूरत पड़ने पर जांचकर्ता प्राधिकारी को नियुक्त करते हैं।

सभापति महोदया : कृपया अपनी बात अब समाप्त करें। केवल ग्यारह मिनट शेष हैं।

श्री के०एस० राव : मैं ऐसा ही करूंगा, महोदया। इसके अलावा वस्तुओं की कृत्रिम कमी की भी एक समस्या है। इससे पहले, कृत्रिम कमी का लाभ उठाकर उसकी काला बाजारी होती थी। इस पर भी रोक लगानी होगी।

जहां तक रसोई गैस के वितरण का संबंध है, तो इसमें डीलरों द्वारा काफी उत्पीड़न किया जाता है। हमने भी ऐसा अनुभव किया है और हम यह भी जानते हैं कि गैस सिलेंडर जारी करते समय डीलर उपभोक्ताओं को कितना उत्पीड़ित करते हैं। इसलिए इन सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक में स्थायी जांच तंत्र की व्यवस्था करने पर भी विचार करें।

जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात आती है तो कई बार यह लिखा रहता है कि घरेलू उपयोग के लिए बनी रसोई गैस का

व्यावसायिक उपभोग किया जाता है। इसे भी नियंत्रित करना होगा।

यह कहा गया है कि कृष्णा-गोदावरी बेसिन में रिलायंस, गुजरात पेट्रोलियम, कैरन एनर्जी आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा काफी गैस खोजी गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह हैदराबाद शहर में पाइपलाइन द्वारा गैस की आपूर्ति करने की व्यवस्था करेंगे? कृष्णा-गोदावरी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में कई तटीय क्षेत्रों में इसकी बहुत सस्ती दर पर आपूर्ति की जा सकती है। इसकी कीमत भी बहुत हद तक कम की जा सकती है। यदि वे पाइपलाइन का प्रबंध करके इसे पाइप से सीधे जोड़ दें तो इस प्रकार कीमत भी कम की जा सकती है जिससे पूरा देश खुश हो जाएगा।

ओ०एन०जी०सी० का आंध्र प्रदेश में 6000 एकड़ भूमि पर एक तेलशोधक संयंत्र शुरू करने का एक प्रस्ताव था। मैं समझता हूं कि भूमि अधिग्रहण में विलंब होने के कारण इसमें देर होती जा रही है। हमें अंदर की बात नहीं पता थी कि इसमें विलंब क्यों हो रहा है जबकि ओ०एन०जी०सी० द्वारा इसके लिए आवश्यक सभी निधि उपलब्ध करा दी गई है। हम मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। हम माननीय मंत्री जी से भी इसमें हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हैं।

यह उल्लेख किया गया है कि विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में होगा। मुझसे पहले जिन सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किए, उन्होंने भी इसके बारे में चर्चा की। दिल्ली में कितने कार्यालय होंगे? अधिकांश गैस तो मुम्बई, गुजरात और आंध्र प्रदेश में मिलती है।

सभापति महोदया : इसे विस्तार में न बतायें। आप केवल अपनी बात कहिए।

श्री के०एस० राव : इसका मुख्यालय इन्हीं स्थानों में से किसी एक स्थान पर होना चाहिए। विनियामक प्राधिकरण का कम से कम क्षेत्रीय कार्यालय तो राजामुन्दरी में होना ही चाहिए क्योंकि यहां गैस बहुतायत में पायी जाती है। देश में हाइड्रोकार्बन की भारी कमी को देखते हुए माननीय मंत्री जी को इसके वैकल्पिक ईंधन के संबंध में शोध और विकास पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। शोध और विकास द्वारा हम इस देश में वैकल्पिक ईंधन खोजने में समर्थ होंगे। मंत्री महोदय के ही अनुसार, आज हम 26 बिलियन डॉलर मूल्य का तेल आयात कर रहे हैं। स्पष्ट है कि पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री दस लाख करोड़ रुपये की अवश्य होगी।

इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करनी होगी। जैत्रोफा, बायो-डीजल और एथेनाल के उपयोग को पहले से ही बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए शोध और विकास आवश्यक है। इसे बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। इसके बिना हमारा पूरा राजकोष केवल तेल के आयात पर ही खर्च हो जाएगा।

मैं समझता हूं कि मंत्रालय श्री मित्तल के साथ सहयोग करने की सोच रहा है। जब सभी तकनीकी लोग ओ०एन०जी०सी०; ऑयल इंडिया आदि के पास हैं तो चाहे श्री मित्तल हों या कोई और, वे तो हमारे तकनीकी कर्मियों का ही उपयोग करेंगे। जब निजी उद्यमी हमारे तकनीकी अभियंताओं का उपयोग करके करोड़ों रुपये का व्यवसाय कर सकते हैं तो मंत्री जी हमारी अपनी जन-शक्ति का उपयोग करने के बारे में क्यों नहीं सोचते और यह काम सरकार स्वयं क्यों नहीं करती?

ओ०एन०जी०सी० विदेश बहुत अच्छा काम कर रही है *(व्यवधान)* हमारे पास 140 बिलियन डॉलर मूल्य का विदेशी मुद्रा भंडार है। हम जमाकर्ताओं को अधिक ब्याज भुगतान कर रहे हैं और इसे अमरीकी राजकोष में रखकर कम ब्याज पा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस भंडार का कुछ भाग ओ०एन०जी०सी०, ऑयल इंडिया और अन्य तेल विपणन कंपनियों को दें जिससे वे देश के बाहर ब्लॉक लें सके और तेल की साझेदारी कर सकें ताकि हमारा आयात कम किया जा सके। इससे हम काफी रुपया बचा सकते हैं। मैं समझता हूं कि ओ०एन०जी०सी० विदेश में जो निवेश किया गया है वह अपेक्षित हद तक नहीं है। जब हम अपना ब्लॉक विदेशियों को दे रहे हैं तो हम क्यों न अपने तकनीकी लोगों का उपयोग करें जिससे हम रोजगार भी उपलब्ध करा सकेंगे?

मैं माननीय मंत्री जी से इन सभी बातों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं कामना करता हूं कि उनके कार्यकाल में तेल का आयात कम होगा और हम ये सभी चीजें स्थानीय तौर पर उत्पादित करने में समर्थ होंगे।

डा० सुखान चक्रवर्ती (जादवपुर) : महोदया, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं नए मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा जो काफी लंबे समय से सांसद हैं लेकिन उन्होंने शायद पहली बार कोई विधेयक पुर:स्थापित किया है और वह भी इतना महत्वपूर्ण।

हमारे देश में ऊर्जा का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर है। तकनीकी दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर है। तकनीकी दृष्टि से भी यह बहुत जटिल है। नि:संदेह, पूरे मुद्दे से समुचित रूप से निबटा जाना चाहिए। इस बारे में भी कोई संदेह नहीं है कि हमारे तेल उपभोग के 70% भाग का आयात किया जा रहा है। इसलिए, मैं यहां इस बात से सहमत हूं कि तेल या गैस खोज का प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।

[डा० सुजान चक्रवर्ती]

इस विधेयक में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि इन चीजों को कैसे विनियमित, योजनाबद्ध या प्रस्तावित किया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी आखिर में इन बातों का उत्तर देंगे।

2003 में पेश किए गए मूल विधेयक की स्थायी समिति द्वारा संवीक्षा की गयी थी। समिति ने कई सुझाव दिए हैं। मंत्रालय ने उनमें से कई सुझावों को स्वीकार किया है। लेकिन 2006 के नए विधेयक में शहर, स्थानीय क्षेत्र वितरण नेटवर्क जैसे कुछ नये मुद्दों और कई अन्य ऐसे मुद्दों पर भी विचार किया गया है जिनपर स्थायी समिति में कभी भी विचार नहीं किया गया। यदि स्थायी समिति के प्रस्तावों के बाद शामिल किए गए नए बिंदुओं का संवीक्षण करने के लिए समिति को एक महीने का थोड़ा समय या कुछ और समय दिया जाये तो उचित होगा। मैं यह मानता हूं कि उन्हें मौका दिया जाना चाहिए।

बोर्ड के गठन और बोर्ड, अपीलीय समिति आदि में तकनीकी व्यक्तियों की सक्षमता के संबंध में, मैं श्री राव द्वारा दिए गए सुझावों से मोटे तौर पर सहमत हूं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। हां, यह बात सत्य है कि ऐसे महत्वपूर्ण बोर्ड का अध्यक्ष कोई तकनीकी व्यक्ति ही होना चाहिए। उसका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता जैसा कि इस विधेयक में किया गया है। तकनीकी, प्रबंधन, वित्त और क्या कुछ नहीं बल्कि हर चीज उस छोर से ली जा सकती है। यह बहुत ही व्यावसायिक और तकनीकी रूप से विशेषज्ञ टीम होनी चाहिए।

खोज (सर्च) समिति का गठन भी संभवत: कुछ अलग है। खोज समिति का अध्यक्ष योजना आयोग के ऊर्जा सदस्य को बनाया जा रहा है जो शायद उचित नहीं हैं। संभवत:, कोई ऐसा संदर्भ नहीं है जहां खोज समिति उस प्रकार से बनाई जा रही है। इस बोर्ड के तीन सदस्यों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी। बोर्ड की सरकार के प्रति निष्ठा स्पष्ट है। लेकिन जवाबदेही के संबंध में क्या स्थिति है? क्या बोर्ड सरकार के प्रति जवाबदेह है? संभवत: यह जवाबदेह नहीं है। क्या बोर्ड को संसद के प्रति जवाबदेह होना चाहिए? संसद में रिपोर्ट पेश करने मात्र से ही इसे जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता। इस बोर्ड के कार्यकरण और इसकी रिपोर्ट के संबंध में संसद में ठोस चर्चा का प्रावधान होना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि तेल और गैस के वितरण के बीच कुछ न्यायोचित संतुलन होना चाहिए। जब भी सदस्य अपनी बात कहते हैं, तो वे यह भी जरूर कहते हैं कि देश में, चाहे वह उत्तर-पूर्वी राज्य हों या पश्चिमी राज्य अथवा दक्षिणी राज्य या फिर सुंदरवन, सभी जगह इनके पर्याप्त भंडार हैं। इस विषय पर इस सदन में भी चर्चा की गई है। हमारे पास गैस के अत्यधिक भंडार हैं। संभवत: इन दिनों गैस तेल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछली सदी का महत्वपूर्ण क्षेत्र तेल था। लेकिन नई सदी का महत्वपूर्ण क्षेत्र निश्चित रूप से गैस होगा। यहां तक कि गैस हाइड्रेट का प्रश्न भी खड़ा हो गया है। तेल और गैस का पता लगाने और इनके न्यायोचित वितरण के प्रश्न को साथ-साथ लें तो चूंकि गैस राज्यों और दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है इसलिए हमें इस बात की विशेष रूप से आयोजना करनी होगी कि इसका किस तरह बेहतर ढंग से उपयोग किया जा सकता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इन दिनों देश के न केवल शहरी क्षेत्रों के अपितु ग्रामीण क्षेत्रों के दूरस्थ क्षेत्रों में, जिलों में गैस के वितरण की आवश्यकता बढ़ती जा रही हैं। देश के कुछ शहरों में सी०एन०जी० की आपूर्ति की जा रही है। लेकिन इसकी देश के अन्य भागों में भी आपूर्ति की जा सकती है। अपने गैस भंडारों के साथ ही हमारे यहां अन्य देशों से भी गैस पाइपलाइन की पूरी संभावना है। मैं तो बल्कि यह प्रस्ताव करता हूं कि वितरण नेटवर्क और खुदरा नेटवर्क को समन्वित किया जाये। चूंकि यह राज्यों के विकास से संबंधित है, इसलिए राज्य सरकारों को भी अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। संभवत: इस विधेयक में इसका प्रावधान नहीं है। मैं यहां यह स्मरण कराना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में तेल और गैस के क्षेत्र में कई घोटाले हुए हैं। इसलिए, पंजीकरण और बिक्री केन्द्र खोलने की प्रक्रिया में राज्यों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। इस बात का भी प्रावधान होना चाहिए।

यहां भारी मिलावट का भी प्रश्न है। हम सभी यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट की जा रही है। पेट्रोल में भी मिलावट की जा रही है – राव जी ने यह बात सही कही है कि इसके कारण समग्र लागत में वृद्धि हो रही है। यह पूरे तंत्र को भी प्रभावित कर रहा है। अत: उस पर किस तरह नियंत्रण किया जाये? संभवत:, इस संबंध में विनियामक बोर्ड के कार्यकरण में कुछ विशेष गुंजाइश रखी जानी चाहिए। उदाहरणार्थ दूध के मामले में लैक्टोमीटर है। अत:, हमें नई चीजों की खोज और उनके विकास के संबंध में सोचना पड़ेगा ताकि उपभोक्ता स्वयं इस बात को अच्छी तरह समझ सकें।

उपभोक्ताओं के संरक्षण का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। मिलावट की जांच और उपभोक्ताओं को इससे परिचित कराने का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं यह मानता हूं कि उस दिशा में भी कुछ अनुसंधान एवं विकास कार्य किए जाने की आवश्यकता है। विशेषकर उस दिशा में मिलावट के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

मैं एक मिनट में इसे पूरा कर रहा हूं। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। मैं आपसे सहमत हूं कि इसका मुख्यालय दिल्ली में ही होना चाहिए। जबकि शाखा कार्यालय विशेष रूप से उन क्षेत्रों में होने चाहिए जहां गैस भंडार हैं – चाहे वे दक्षिण में हों, गुजरात में हों या फिर कहीं और। पश्चिम बंगाल में भी सुंदरबन में काफी महत्वपूर्ण गैस भंडार हैं। यह बात हम सभी जानते हैं। अत:, उस दृष्टि से कोलकाता में भी कार्यालय होना चाहिए। अन्यथा विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में लोग कैसे अपील करेंगे? जब कभी कोई विवाद उत्पन्न होगा तो क्या वे यहां मुख्यालय आकर विवाद का निपटान कर सकेंगे? जी नहीं, यह संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता।

दूसरी बात, अपीलीय प्राधिकरण का गठन भी सही ढंग से नहीं किया जाता। अपीलीय प्राधिकरण को विद्युत अपीलीय प्राधिकरण के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। तकनीकी रूप से, दोनों ही ऊर्जा से संबंधित हैं। लेकिन विद्युत का प्रश्न और तेल तथा गैस का प्रश्न बिल्कुल अलग प्रश्न है। इसलिए, इसे मामले में भी एक पृथक अपीलीय प्राधिकरण होना चाहिए।

उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है – मूल्य निर्धारित। इस संबंध में पिछले कई वर्षों से काफी बहस की जा रही है। निष्कर्ष के तौर पर मैं यही कहूंगा कि तेल की कीमत का 60 प्रतिशत कर के बोझ के कारण है। इसे सही ढंग से कैसे बांटा जा सकता है? यह काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। संभवत: पिछले एक-डेढ़ वर्षों में इसकी कीमतों में चार गुना वृद्धि हुई है। संभव है कि वामपंथी दलों और अन्य दलों के दबाव के कारण इसमें प्रस्तावित वृद्धि के अनुरूप वृद्धि नहीं की जा सकी। इसलिए, तेल और गैस के संबंध में मूल्य निर्धारण तंत्र अवश्य होना चाहिए। मूल्य जनता के पहुंच योग्य होने चाहिए। गैस की सुलभता और उपलब्धता, किसी भी राज्य के विकास के सूचक हैं। मूल्य निर्धारण के समय भी यही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। मेरे विचार से, मंत्रालय को इस दृष्टि से सोचना चाहिए। चूंकि और भी कई नई बातें हैं, इसलिए बेहतर होगा कि एक समिति एक माह के भीतर मुद्दों की और आगे जांच करे ताकि हम किसी ठोस निर्णय पर पहुंच सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं नये माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। वह काफी पुराने और अनुभवी सांसद हैं। लेकिन मंत्रालयी जिम्मेदारी उन्होंने अब ली है। मैं आशा करता हूं कि वह इन मुद्दों का समाधान करेंगे और देश को प्रगति के पथ पर और आगे अग्रसर करेंगे।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : सभापति महोदया, आपने मुझे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड विधेयक, 2006 पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं नये पैट्रोलियम मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जो सरकार नहीं कर पा रही थी, जिसे करने में सरकार चूक रही थी, उसी कारण इस बोर्ड का गठन किया गया है। इस काम को सरकार बखूबी नहीं कर पा रही थी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल कुछ बिन्दु आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि बोर्ड के गठन के साथ इस बात का ध्यान रखा जाए कि तेल ऐसा क्षेत्र है, जिससे हिन्दुस्तान के कमजोर वर्ग, अमीर वर्ग तथा अन्य सभी वर्गों के लोग सीधे जुड़े हुए हैं। अगर तेल ठीक ढंग से और सही दाम पर हमारी गरीब जनता के पास पहुंच जायेगा तो वास्तव मे हिन्दुस्तान के बारे में जो सपना लोगों ने देखा था, हम कुछ अमल कर पाते।

सभापति महोदया, रेगुलेटरी बोर्ड का गठन एक सब से महत्वपूर्ण पहलू है। मेरा कहना है कि इस बोर्ड में तेल विशेषज्ञों को लिया जाये। चाहे उस बोर्ड में सरकारी आफिसर हो या न हो लेकिन उसमें तेल विशेषज्ञ का होना जरूरी है। उसे विषय की अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिये कि हम लोग तेल के क्षेत्र में कैसे अच्छी प्रगति कर सकते हैं और कैसे उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर तेल उपलब्ध करा सकते हैं।

सभापति महोदया, हमारे देश में तेल महंगा बिकता है क्योंकि हमारे देश में तेल का कम उत्पादन होता है और हम विदेशों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। हम रोज़ अखबारों और टी०वी० पर देखते हैं, सड़क के किनारे विज्ञापनों को देखते हैं। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि इन विज्ञापनों की क्या आवश्यकता है? यदि तेल के बारे में विज्ञापन नहीं दिया जायेगा तो क्या तेल नहीं बिकेगा? मेरे पास इस प्रकार की सूचनायें हैं कि विज्ञापन कम्पनियां 20 से 25 प्रतिशत तक तेल कम्पनियों को कमीशन देती हैं, ताकि उनके विज्ञापन टी०वी०, अखबार और सड़क के चौराहों पर लगे हुये दिखाई देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या विभाग द्वारा तेल को बचाने के लिये विज्ञापन नहीं दिये जा सकते हैं? तेल को बेचने के लिये विज्ञापन देने की क्या आवश्यकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। इसलिये मैं मंत्री जी से अपील करूंगा कि इन विज्ञापनों पर अंकुश लगना चाहिये और उन्हें पता चलना चाहिये कि क्यों आज अरबों रुपये के विज्ञापन दिये जा रहे हैं? सरकार ऐसी व्यवस्था करे ताकि जनता समझे कि तेल बचाने में ही फायदा है।

सभापति महोदया, अभी चन्द सालों पहले कुछ प्राइवेट कम्पनियां तेल के क्षेत्र में सरकारी कम्पनियों के कम्पीटीशन में आई हैं। मैंने देखा है कि प्राइवेट कम्पनियां तेल में कमायी कर रही हैं जब कि

[श्री ब्रजेश पाठक]

सरकारी तेल कम्पनियों के आदमी मक्खियां मार रहे होते हैं। सरकारी पेट्रोल पम्पों पर बिक्री कम होने का कारण यह है कि वे लोग पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिलाकर बेचते हैं और यह सब अधिकारियों की मिलीभगत से होता है। उपभोक्ता समझता है कि एक तो तेल में मिलावट है और दूसरे उसे तेल पूरा नहीं मिलता है। इस कारण वह प्राइवेट कम्पनियों की तरफ रुख करता है। जब सरकार बोर्ड का गठन कर रही है तो मेरा निवेदन है कि मेरे द्वारा दिये गये सुझावों के मद्देनजर जनता की भलाई के लिये बोर्ड में तेल विशेषज्ञ को रखा जाये।

सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री से मिलकर और लिखकर अवगत करा चुका हूं और मेरे सामने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एम०डी० तथा चेयरमैन से कहा गया कि नार्दर्न ज़ोन में कितना भ्रष्टाचार है? यह भ्रष्टाचार कहां से शुरू होता है? यह पूरे हिन्दुस्तान में है। साउथ जोन में हुआ। नार्दर्न जोन में टैंडर में लोएस्ट बिडर को न देकर हाईएस्ट बिडर को काम दिया गया। यह सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का मामला है। मैंने मंत्री जी से अनुरोध किया तो आफिसर्स कहने लगे कि ऐसा नहीं है। मेरा यह कहना है कि हम भी एफिडेविट देते हैं और वह अधिकारी भी एफिडेविट दें, जिसकी बात गलत हो, उसे सज़ा दी जाये। मुझे मंत्री जी के नेतृत्व का पूरा विश्वास है और आशा है कि वह इस पर कार्यवाही करेंगे। *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप मेन-मेन पाइंट्स दे दें और अपनी बात समाप्त करें।

श्री ब्रजेश पाठक : सभापति महोदया, मैं वही दे रहा हूं। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। आप भी जानती होंगी। जब भ्रष्टाचार परवान चढ़ता है तो उसका धुंआ आकाश की तरफ जाता है। सरकार इस ओर ध्यान दे। इसके अलावा गरीब जनता के लियें पूरे हिन्दुस्तान में मिट्टी के तेल के वितरण के लिये डिपो बना दिये गये हैं जहां कोटेदार अपना माल लेकर गांवों में जाता है। उस मिट्टी के तेल से गरीब आदमी अपना स्टोव और लालटेन जलाता है। लेकिन यह देखा गया है कि कोटे का सारा मिट्टी का तेल पेट्रोल पम्प पर ले जाया जाता है। यदि कोटेदार दूसरी जगह ले जाता है तो जिलाधिकारी कोटेदार के उस लाइसेंस को रद्द कर देता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मंत्री जी को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। पूरे हिन्दुस्तान में ऐसे डिपो बने हुये हैं जो भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुये हैं। सरकार को उन पर अंकुश लगाना चाहिये।

सभापति महोदया, हमारे वाराणसी के सांसद ने बताया कि वहां पर भारत पेट्रोलियम के एक रीजनल मैनेजर को हटा दिया गया क्योंकि उसका काम यह था कि जो मिलावट होती, चोर बाजारी होती, उस पर कार्यवाही करता था। उस अधिकारी को हटाने का कारण और उस पर आरोप यह लगाया गया कि वह भ्रष्टाचार में लिप्त था लेकिन जांच के बाद उसके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ और वह अधिकारी बेचारा अपना दम तोड़ रहा है। जो पैट्रोल पंप जनता का खून चूसने का काम कर रहे थे, वहां आज भी लगातार मिलावट जारी है। यह पूरे बनारस ज़ोन का मामला है। मेरी आपसे और सदन के माध्यम से सरकार से अपील है कि हर स्थिति में यह भ्रष्टाचार रुकना चाहिए।

महोदया, एक मामला उन्नाव का है। इंडियन आयल का एक पैट्रोल पंप था। वहां के क्षेत्रीय बिक्री कर अधिकारी ने पैट्रोल पंप को इसलिए सीज़ किया, उसको निलंबित किया तथा फिर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया कि उसके मांगने पर दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया। मैं यह बात मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। उसी दिन उस अधिकारी ने उन दस्तावेज़ों पर दस्तखत किये हैं। यह बात पैट्रोलियम स्टैन्डिंग कमेटी के सदस्य श्री राजेश वर्मा को भी मैंने बताई है। उस बेचारे पैट्रोल पंप वाले ने पैसे नहीं दिये थे और बिक्री कर अधिकारी ने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। वह बेचारा आज भुखमरी के कगार पर है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इन दो चार बिन्दुओं पर, जनता की आवाज़ पर ध्यान देंगे तो हम समझेंगे कि ऐसा मंत्री आया है जो जनता की आवाज़ सुनना चाहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री काशीराम राणा (सूरत) : सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सभापति महोदया : राणा जी, आप अपनी बात तीन मिनट में खत्म कर लें क्योंकि आपकी पार्टी के तीन मिनट ही बचे हैं।

श्री काशीराम राणा : महोदया, मैं मंत्री जी का ध्यान क्लाज़ 4(1) क तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि जो बोर्ड बनेगा, उसमें एक लीगल मैम्बर होगा और साथ-साथ तीन सदस्य और होंगे और भारत सरकार अपाइंट करेगी।

[अनुवाद]

खंड 4(1) में कहा गया है कि :

"केन्द्र सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग, प्रबंधन, वित्त, विधि, प्रशासन अथवा उपभोक्ता मामलों के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा।"

[हिन्दी]

सभापति महोदया : अगर आप सुझाव देंगे तो आपका समय बच जाएगा।

श्री काशीराम राणा : मैं एक ही सुझाव देना चाहूंगा कि आज चाहे डिस्ट्रिब्यूशन का काम हो, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है, उस पर यह जब डिपैन्ड करता है। कंज्यूमर की आज जो भी कंप्लेन्ट्स हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। उसको एल०पी०जी० नहीं मिलती तो वह कहां जाए। बहुत समय से कमी चल रही है लेकिन उनकी एल०पी०जी० की समस्या हम दूर नहीं कर सके। इसलिए मेरा कहना है कि बोर्ड में कम से कम एक मैम्बर कंज्यूमर्स में से होना चाहिए। उसकी योग्यता जरूर देख ली जाए लेकिन जिस कंज्यूमर के लिए बोर्ड बन रहा है, उसका एक रिप्रजैंटेटिव जरूर इसमें लिया जाना चाहिए।

मैं क्लाज़ 21 पर जाऊंगा जिसमें कहा गया है कि *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : राणाजी, आपकी पार्टी का समय समाप्त हो चुका है।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : इतना बड़ा बोर्ड बन रहा है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप सीधे अपने सुझाव दे दीजिए।

श्री काशीराम राणा : यह अगर सही नहीं बना तो आज जो परेशानी है, आपकी भी परेशानी है और महिलाएं कहती हैं कि गैस नहीं मिलती। *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : सदन की कार्यवाही यहां के समय के अनुसार चलेगी। आप एक मिनट में सुझाव दीजिए।

श्री काशीराम राणा : क्लाज़ 21 में राइट टु यूज़ के बारे में कहा गया है। मैं मंत्री जी से एक्सप्लानेशन चाहूंगा कि इसमें जो भी रिमेनिंग कैपेसिटी का जिक्र है, उसको कैसे वितरित करेंगे, कैसे इसको राइट देंगे। आज हमारे यहां गुजरात स्टेट पैट्रोलियम कार्पोरेशन ने पाइपलाइन बिछा दी है। वह सब कुछ कर रही है। हम गैस मांग रहे हैं, लेकिन हमें गैस नहीं दी जाती है। पिपावा पावर प्रोजैक्ट के लिए हम गैस मांग रहे हैं। सरकार ने कहा कि मार्केट प्राइस से गैस मिलेगी। हमने कहा कि ठीक है। हमने सबसे ऊंची बिड की। सरकार ने कहा कि गैल को मिलेगी, आपको ज़रा भी गैस नहीं मिलेगी। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि यह जो रिमेनिंग कैपेसिटी है या क्वांटिटी है, वह किस तरह से आप वितरित करना चाहते हैं?

मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को भी अधिकार देना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, जहां-जहां से भी गैस और तेल निकलता है, वहां पर उनकी कैपसिटी को डिस्ट्रिब्यूट करने का अधिकार राज्य सरकारों को भी देना चाहिए। सरकार इसमें अपनी कंडीशन जरूर लगा सकती हैं। इससे यह होगा कि भारत सरकार को बोर्ड का जो बर्डन होगा, वह हम राज्य सरकार के ऊपर डाल सकते हैं। मैंने देखा कि गुजरात में राज्य सरकार चाहती है कि वह डिस्ट्रीब्यूशन करे। जो अन्याय हो रहा, इसको दूर करने के लिए क्या इस क्लॉज़ में क्या आप कोई चैन्ज करना चाहेंगे या मंत्री जी कोई क्लैरिफीकेशन देना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री एल० राजगोपाल (विजयवाड़ा) **:** सभापति महोदया, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए माननीय मंत्री जी की सराहना करता हूं और साथ ही साथ इस विधेयक में शामिल किए जाने हेतु कुछ सुझाव भी दूंगा।

हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि ऐसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि सरकार उपभोक्ताओं की रक्षा करे। लेकिन मुख्य समस्या तो उपभोक्ताओं को सरकार से बचाने की है। यही कारण है कि हम नियंत्रित अर्थव्यवस्था और नियंत्रित सरकार से विनियमित अर्थव्यवस्था और विनियमित सरकार की दिशा में बढ़ रहे हैं। इस विधेयक में विनियामक बोर्ड की अवधारणा पेश की गई है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि यह प्राधिकरण क्यों नहीं हो सकता क्योंकि प्राधिकरण को अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं और उसमें सरकार की दखलंदाजी कम होगी।

सरकार की दखलंदाजी और सरकार की शक्तियों के संबंध में खंड 42 में पूरा अध्याय है जिसमें कहा गया है कि "यह बोर्ड न केवल नीति के संबंध में अपितु किसी भी मामले के संबंध में सरकार द्वारा दिए गए निदेश को क्रियान्वित करेगा।" इसका तात्पर्य यह है कि इस बोर्ड को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए संपूर्ण अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। हम इस विनियामक तंत्र का रुख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नियामक को सभी तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कठोर, निष्पक्ष और व्यावहारिक ढंग से कार्य करना चाहिए ताकि वे इस समाज और देश में उचित न्याय कर सकें। यही कारण है कि हम सरकार के नियंत्रण के स्थान पर नियामक की बात कर रहे हैं। जब मैं नियामक की बात करता हूं तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि हम इसे बोर्ड क्यों कहते हैं?

[श्री एल० राजगोपाल]

जहां तक बोर्ड के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति का संबंध है, वस्तुत: यह प्रक्रिया काफी विवेकपूर्ण है, हमें इस देश में उचित न्याय लाते समय कानूनी मुद्दे और तर्क का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए, यदि बोर्ड में वित्त अथवा उपभोक्ता मामलों आदि के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त व्यक्ति की बजाय कोई तकनीकी व्यक्ति अथवा न्यायिक सदस्य विद्यमान हो तो यह बेहतर होगा।

खंड 43(2) में कहा गया है कि बोर्ड द्वारा अधिग्रहण और नियंत्रण करने की स्थिति में जिलाधिकारी परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने पर देय मुआवजे की राशि निर्धारित करेगा। वही यह निर्धारित करेगा कि परिसंपत्ति अथवा आस्तियों का मूल्य क्या होगा? मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि क्या जिलाधिकारी के पास इन सब चीजों के लिए आदान उपलब्ध हैं या नहीं। इस विनियामक के अधीन एक तंत्र बनाना होगा जो इन सबका मूल्यांकन कर सके।

मेरी समझ में यह भी नहीं आ रहा है कि जब यह विनियामक नियुक्त किया जाएगा तो हम इस पर विवाद निपटान का भार क्यों डालें? विवाद निपटान में काफी समय लगता है। जब हमारे पास कानून में पहले से ही एक मध्यस्थता तंत्र उलपब्ध है तो विनियामक विवादों का निपटान क्यों करे?

अनेक सदस्यों ने कहा कि इसका मुख्यालय दिल्ली में होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि मुख्यालय दिल्ली में ही क्यों होना चाहिए? इसका मुख्यालय मुम्बई, अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में होना चाहिए जहां गैस और तेल भंडार उपलब्ध हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस विधेयक में छूट गई है वह है तेल और गैस के उत्पादन को शामिल नहीं करना। वस्तुत: तेल और गैस की खोज और उत्पादन लागत सबसे महत्वपूर्ण बात है और उससे हम संपूर्ण आदान-लागत का आकलन कर सकते हैं। इसको शामिल न करके हम पूरी लागत के लगभग 50 से 70 प्रतिशत भाग का नुकसान कर रहे हैं और केवल नियंत्रक के लिए विपणन, परिवहन, एजेंसियों और इन सब चीजों की लागत को विनियमित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह बड़ा मुद्दा नहीं है।

आज मुख्य मुद्दा यह है कि हमें एकाधिकार को समाप्त करना है। हम किसी भी क्षेत्र में सरकारी या निजी क्षेत्र को एकाधिकार की अनुमति नहीं दे सकते। इसलिए विनियामक को गैस और तेल की खोज और उत्पादन को भी इसमें शामिल करना चाहिए।

जहां तक अपीलीय अधिकरण का संबंध है, आपने कहा कि सदस्य के पास एक वर्ष का सचिव पद का अनुभव होना चाहिए। हमें अपीलीय अधिकरण के लिए पूर्ण रूप से तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति की आवश्यकता है जिसके पास गैस और पेट्रोलियम क्षेत्र की जानकारी हो।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज केवल भारत में ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद हाइड्रोकार्बन, गैस और पेट्रोलियम के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। आप भारत और विश्व में होने वाले किसी भी विवाद को ले सकते हैं। वे सब गैस के कारण हो रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन सभी सुझावों पर विचार करें।

मैं इन्दिरा जी के शब्दों का स्मरण करना चाहता हूं। इन्दिराजी ने कहा था कि हम बंधी मुट्ठी से हाथ नहीं मिला सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी खुले दिल और दिमाग से कार्य करें और सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करें तथा उन्हें इस विधेयक में शामिल करें और इस विधेयक में विद्यमान सभी गलतियों और त्रुटियों को दूर करें। साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : सभापति महोदया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड विधेयक, 2006 पर हम आज सदन में चर्चा कर रहे हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। यह बिल वास्तव में मई 2002 में सदन में पेश हुआ था और उसके बाद उसे संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया। कमेटी ने एक वर्ष तक मेहनत कर के उस पर विचार किया और एक वर्ष के बाद मई, 2003 में उसे अपनी 50 से अधिक अनुशंसाओं के साथ सदन को वापस किया। चूंकि मुझे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की स्थायी समिति का सदस्य रहने का मौका मिला, इसलिए मैं जानता हूं कि समिति ने बहुत ही मेहनत कर के 50 से अधिक अनुशंसाएं बिल में की थीं। तत्कालीन सरकार ने वह बिल दिसम्बर, 2003 में सदन में फिर से पेश किया। उसमें तत्कालीन सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, बिल में तद्नुरूप परिवर्तन किए, लेकिन लोक सभा भंग हो गई और वह बिल समाप्त हो गया।

महोदया, इस सरकार ने उसी बिल को नया रूप देकर फिर से सदन में पेश किया है, लेकिन उस समय की गई कमेटी की अनेक अनुशंसाओं को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार इस सरकार ने बिल का जो उद्देश्य था, उसे ही समाप्त करने का काम किया है। जो ओरिजनल बिल था, उसमें अपीलैट ट्रिब्यूनल बनाने का कोई प्रॉवीजन नहीं था, लेकिन अब अपीलैट ट्रिब्यूनल के प्रावधान को बिल

में जोड़ा गया है। इसलिए मेरा कहना है कि मूल बिल की भावना के साथ छेड़छाड़ की गई है और मूल बिल को नए चैप्टर के साथ पेश किया गया है। इसलिए हमारा पहला सुझाव तो यह है कि इस बिल को पुन: स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए क्योंकि जो बिल पहले स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था, उसमें मौलिक परिवर्तन किया गया है। अब अपीलैट ट्रिब्यूनल की बात जोड़ी गई है। इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी एक्ट के अनुसार इसमें अपीलैट ट्रिब्यूनल की बात जोड़ी गई है। इसलिए इस पर डिटेल्ड एग्जामिनेशन की जरूरत है। विस्तृत रूप से समीक्षा करने की जरूरत है ताकि मालूम किया जा सके कि जो अपीलैट ट्रिब्यूनल पहले से चल रहे हैं, वे इफैक्टिव हैं या नहीं और यदि इफैक्टिव हैं, तो कितने। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल की मूल भावना से छेड़छाड़ की गई है। अत: इसे पुन: स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए।

महोदया, मेरा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सुझाव एडल्ट्रेशन के संबंध में है। उस सयम कमेटी ने एडल्ट्रेशन का काम देखने की व्यवस्था इस बिल के द्वारा करने की अनुशंसा की थी और वह बहुत महत्वपूर्ण अनुशंसा थी। पहले मंत्रालय में एक एंटी-एडल्ट्रेशन सैल काम कर रहा था, लेकिन अब उसे समाप्त कर दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए समिति ने अनुशंसा की थी कि इस रैगुलेटरी बोर्ड को एडल्ट्रेशन का काम देखने की पूरी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। एडल्ट्रेशन के बारे में, मंत्री महोदय भी चिन्तित हैं। उनकी चिन्ता इस बात से प्रकट होती है कि उन्होंने लास्ट संडे को ही एक मीटिंग बुलाई थी कि एडल्ट्रेशन को कैसे रोका जाए। यदि एडल्ट्रेशन के काम को देखने की जिम्मेदारी इस रैगुलेटरी बोर्ड को दी जाएगी, तो इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एडल्ट्रेशन बहुत बड़ी समस्या है, जिसे रोकने के लिए कोई कारगर कदम इस बिल में दिखाई नहीं देता है।

महोदया, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की स्थायी समिति का छ: वर्ष तक सदस्य रहा हूं और समिति ने इस दौरान एडल्ट्रेशन के बारे में अनेक परीक्षण करने का काम किया। इसीलिए उस पर अलग से कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, जो केवल एडल्ट्रेशन की समस्या से निपटने के बारे में ही है। इसलिए मेरा कहना है कि एडल्ट्रेशन के काम को देखने की जिम्मेदारी इस रैगुलेट्री बोर्ड को सौंपे जाने का प्रावधान लाना चाहिए था, क्योंकि अब देश में एडल्ट्रेशन रोकने हेतु एंटी एडल्ट्रेशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

तीसरी बात मुझे कम्पोजीशन के बारे में कहनी है। स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेण्ड किया था कि जो सर्च कमेटी बनेगी, वह कैबिनेट सैक्रेटरी की अध्यक्षता में बनेगी। उस समय जो दिसम्बर, 2003 में तत्कालीन सरकार ने बिल पेश किया था, उसमें इसको स्वीकार किया गया था, इसको एक्सैप्ट किया गया था और उस प्रोवीजन के साथ किया गया था। इन्होंने उसको हटाकर प्लानिंग कमीशन के एनर्जी मैम्बर की अध्यक्षता में सर्च कमेटी को बनाया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी स्पष्ट करें कि कैबिनेट सैक्रेटरी की अध्यक्षता में सर्च कमेटी को हटाकर प्लानिंग कमीशन के मैम्बर की अध्यक्षता में बनाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था और क्या तात्पर्य था? इसके अतिरिक्त उसकी जो अर्हताएं हैं, जो क्वालिफिकेशन है, उसको बहुत व्यापक बना दिया गया है। हम सब लोग अवगत हैं कि जो आम तौर पर बोर्ड होते हैं, उस बोर्ड पर जो 60-62 साल की आयु के बाद आफिसर लोग रिटायर होते हैं, जो बड़े पदों पर रहते हैं, उन आई०ए०एस० आई०पी०एस० अधिकारियों का कब्जा हो जाता है। घुमा-फिरा कर आपने क्वालिफिकेशन को इतना व्यापक बना दिया कि इसे बोर्ड के ऊपर भी उनका कब्जा हो जायेगा। वास्तव में यह होना चाहिए था कि चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है, पैट्रोलियम सैक्टर में रिफाइनरी में, मार्कैटिंग में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके फाइनेंस में जो लोग थे, उसमें जो ख्याति प्राप्त लोग थे, उन्हीं को इसका चेयरमैन और मैम्बर बनाना चाहिए था, बजाय इसके आपने इसका व्यापक दायरा कर दिया। सरकार में लॉबी किसकी चलती है, इससे आप भी अवगत हैं और हम सब भी अवगत हैं। अन्तत: इसका जो हश्र होगा, उसको भी आप समझ सकते हैं, इसलिए मेरा कहना है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है और उसकी जो लिमिट कर देनी चाहिए को जो पैट्रोलियम सैक्टर के एक्सपर्ट्स होंगे, उनको ही इस बोर्ड का चेयरमैन और मैम्बर बनाया जायेगा।

इसके अतिरिक्त हम एक बात और कहना चाहेंगे कि मौलिक परिवर्तन की बात मैंने कही कि जो ओरिजनल बिल था, उसमें मौलिक परिवर्तन हुआ। उसमें ऑथोराइजेशन के चैप्टर को बोर्ड के एक्ट में जोड़ दिया गया। जो ओरिजनल बिल था, उसमें ऑथोराइजेशन का चैप्टर नहीं था। यह भी नया चैप्टर इसमें जोड़ा गया है। सरकार ने पूरे बोर्ड के गठन का अधिकार पूरी ट्रांसपेरेंसी के बजाय, पारदर्शिता के बजाय उसको सारा अपने हाथ में रख लेने का काम किया। इसलिए मेरा कहना है कि जो बोर्ड बनाने का उद्देश्य है, वह उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा और फिर कई बोर्ड जो इस तरह से काम कर रहे हैं, उसी तरह से यह बोर्ड भी बनकर रह जायेगा और जो उद्देश्य है, वह पूरा नहीं हो पायेगा।

इसके अतिरिक्त एक बात और कहकर हम अपनी बात समाप्त करेंगे। पैट्रोलियम सैक्टर में पिछले 2-3 वर्षों से जब यह बिल आया था और जब यह स्टैंडिंग कमेटी में गया था, उसके बाद पिछले दो वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मौलिक परिवर्तन हुए हैं। कई कंट्रीज़ में ऑयल सिक्योरिटी की परिस्थिति पैदा हुई है, एनर्जी कोआपरेशन की बात हुई है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रिकार्ड मूल्य वृद्धि हुई है, ये सारी चीजें हैं, इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि

[श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन']

उसकी सारी चीजों पर विस्तृत समीक्षा करके फिर से रिपोर्ट देने के लिए और फिर से उस पर समीक्षा करने के लिए मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी अगर इस बिल के प्रति गम्भीर हैं तो इस बिल को वास्तव में पैट्रोलियम रैगुलेटरी बिल के रूप में बनाना चाहते हैं, उसमें पैट्रोलियम पदार्थों के जो नियंत्रण का काम है, उसमें परिस्थिति पर आपने पूरी नजर रखने का का जो उद्देश्य है, इसलिए इसको फिर से स्टैंडिंग कमेटी में भेजने का प्रस्ताव आप लाइये और फिर से विस्तृत तौर पर समीक्षा करके फिर से इसको पास करवाइये।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : सभापति महोदया धन्यवाद। मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मुझसे पहले कई सदस्यों ने अनेक मुद्दे उठाये हैं। मुझे आशा है कि मंत्री जी सभी का समाधान करेंगे।

महोदया, यह ठीक ही कहा गया है कि जहां तक मुझे स्मरण है दिसम्बर, 2003 में एक अच्छा विधान लाया गया था परंतु सभा भंग होने के कारण वह व्यपगत हो गया था। पूर्ववर्ती राजग सरकार ने सोचा कि माहौल उनके पक्ष में है और भारत उदय हो रहा है। इसलिए समयपूर्ण चुनाव हुए।

अत: वह विधान व्यपगत हो गया। परंतु यह समझना बहुत मुश्किल है कि इतना अच्छा विधान 22 महीनों के पश्चात् क्यों लाया जा रहा है। सत्तासीन होने के पश्चात् नई संप्रग सरकार ने इस प्रकार के अच्छे विधान को लाने में इतना अधिक समय क्यों लिया? यह सही है कि स्थायी समिति ने कई सिफारिशें की हैं और उनमें से अधिकांश सिफारिशें पर मंत्रालय द्वारा विचार किया गया है। परन्तु कुछ नए खण्ड अंत:स्थापित किए जा रहे हैं और ये सब महत्वपूर्ण हैं। तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से ये खण्ड बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें शहर और स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क से संबंधित एक खण्ड अंत:स्थापित किया गया है। इस प्रकार का नया खण्ड उसमें जोड़ा गया है।

यह भी सही है और यहां इस संबंध में यह उल्लेख भी किया गया है कि इसमें मिलावट का आरोप लगाया गया है। यह बिल्कुल ठीक है। अब निजी कंपनियां पाइपलाइन प्रणाली का संचालन करने के लिए आगे आ रही हैं। वे भी इसमें शामिल हो रही हैं। मुझे नहीं मालूम कि इस समस्या के समाधान के लिए क्या तंत्र है। इतना ही नहीं, उपभोक्ताओं को कैसे पता चलेगा कि इसमें मिलावट नहीं है? इस समय कौन सी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है जिससे इसके बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी दी जा सके। सूचना का अधिकार विधेयक पहले पारित हो चुका है। इसलिए उपभोक्ताओं का यह अधिकार है कि वे यह जान सकें कि क्या गैस या तेल मिलावट रहित है? मिलावट का कारण मिट्टी के तेल, नेप्था, पेट्रोल, डीजल आदि की कीमतों में अन्तर है। अत: इस मुद्दे का समाधान होना चाहिए।

अब मैं बोर्ड के गठन की बात करूंगा। मैं इस विचार का समर्थन करता हूं कि वहां पर तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति की तैनाती की जानी चाहिए। इसे पुनर्वास केन्द्र नहीं बनाया जाना चाहिए। इसे इस प्रकार नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए तकनीकी व्यक्ति को शक्तियां दी जानी चाहिए। उनकी पदोन्नति की जानी चाहिए। उन्हें इस क्षेत्र में भी तैनात किया जाना चाहिए।

हमारे पास तेल और गैस की भी भारी कमी है और हमें 70 प्रतिशत गैस और तेल विदेश से आयात करना पड़ता है। पूर्व मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर इस संबंध में अनेक देशों से संपर्क स्थापित करते थे। अब वे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या भविष्य में वह गांव-गांव जाएंगे। परन्तु वह जो कुछ भी कर रहे हैं उससे एक आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने देश में आशा जगायी जिससे हमने सोचा कि भारत-ईरान पाइपलाइन हमारे लिए बहुत ही आशाजनक है और वह आने वाले दिनों में पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि उस परियोजना का भविष्य क्या है। मंत्री जी हमें उसके बारे में बतायेंगे।

महोदया, मूल विधेयक में अपीलीय अधिकरण को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए इस बारे में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण था? मुझे यह मालूम नहीं है कि स्थायी समिति ने इसे कारण की जांच की थी या नहीं। स्वाभाविक रूप से माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया है कि पहले स्थायी समिति ने इस विधेयक की जांच और संवीक्षा की थी परंतु समिति ने नये कारणों की जांच नहीं की है। अब हम सभा में उपस्थित हैं और इसे सभा के समक्ष पेश किया गया है। इसलिए मेरे विचार से मंत्रीजी इसे स्पष्ट करेंगे। मैं अपीलीय अधिकरण के खिलाफ नहीं हूं, परंतु उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि अपीलीय अधिकरण का क्या अधिकार होना चाहिए।

मिलावट की समस्या का समाधान कौन करेगा? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले को बोर्ड स्वयं देखेंगे या अपीलीय अधिकरण। मैं अधिक समय नहीं ले रहा हूं। मेरे विचार से यह विधेयक एक अच्छा विधान है। इसके लिए मैं मंत्रीजी को धन्यवाद एवं बधाई देता हूं। विलम्ब से ही सही यह नहीं होने से तो अच्छा है। वे इस सम्माननीय सभा में यह विधेयक लाए हैं। हमें सर्वसम्मति से इसका समर्थन करना चाहिए ताकि यह सशक्त बन सके और इससे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि से संबंधित प्रत्येक मुद्दे का समाधान हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री किरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : सभापति महोदया, मुझे अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डिग्बोई के दिनों से ही अरुणाचल प्रदेश और असम तेल क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं और धीरे-धीरे हमारा महत्व कम होता जा रहा है और अन्त में इस विधेयक में मुख्यालय को दिल्ली स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है। हमारे कुछ मित्रों ने भी यह मामला उठाया है। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि हम पूरे तेल क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। इसलिए क्यों न परिवर्तन के लिए पहली बार एक निगम कार्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित कर दिया जाये? मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि यदि वह मुख्य निगम कार्यालय या मुख्यालय नहीं स्थापित कर सकते तो कम से कम एक शाखा कार्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गुवाहाटी में स्थापित किया जाये।

दूसरी बात, पाकिस्तान से होकर ईरान से भारत आने वाली पाइपलाइन में अनेक बाधाएं आ रही हैं। सरकार ने म्यांमार से भारत पाइपलाइन बिछाने पर कितना विचार किया है क्योंकि यहां बीच में पाकिस्तान नहीं है? मैं समझता हूं यहां अधिक समस्या नहीं होगी।

महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह राष्ट्र के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। महोदया, इस विधेयक में यह प्रावधान है कि प्राकृतिक गैस और तेल के मूल्यों का विनियमन बोर्ड द्वारा किया जायेगा। लेकिन कम सुविधा वाले तेल क्षेत्र के लिए हुए उत्पादन-भागीदारी समझौते में सरकार की प्रतिबद्धता का क्या होगा जिसमें यह सहमति हुई है कि प्राकृतिक गैस के मूल्य बाजार-आधारित होंगे और कच्चा तेल अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित होगा? बोर्ड बाजार-आधारित मूल्य का विनियमन कैसे करेगा? माननीय मंत्री को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे तो यह विरोधाभाषी प्रतीत होता है।

मैं पांच वर्ष के कार्यकाल के विचार की प्रशंसा करता हूं और इस बात की भी कि सदस्य के अध्यक्ष नामित किए जाने को छोड़कर उसका दोहरा पुनर्नामांकन नहीं होगा। यदि वे थोड़े अंतराल के बाद पुनः नामित कर दिए जाते हैं तो क्या होगा या जो मूल सदस्य हैं, वे पुनः सदस्य नहीं बन पाएंगे? या थोड़े अंतराल के बाद क्या वे पुनः सदस्य बन सकते हैं? इस बात का उल्लेख होना चाहिए क्योंकि बाद में यह समस्या आ सकती है।

जहां तक बोर्ड के सदस्यों का संबंध है, आपने कहा है कि उन्हें कई पदों से इस्तीफा देना होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि गैर-सरकारी संगठनों और अलाभकारी गैर-सरकारी संगठनों को इससे छूट दी जानी चाहिए। उन्हें पदधारण की अनुमति दी जानी चाहिए। यह लाभकारी पद नहीं है। इसलिए, इसकी अनुमति दी जानी चाहिए — मेरा तो यही विचार है।

खंड 10 में, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बोर्ड के सचिव का क्या रैंक है। क्या वह भारत सरकार के सचिव या संयुक्त सचिव के रैंक का होगा? यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए।

खंड 12 में जहां यह कहा गया है कि बोर्ड खुदरा सेवा बाध्यता और विपणन सेवा बाध्यताओं, आदि के सम्बन्ध में जांच कराने हेतु किसी भी व्यक्ति की शिकायतें सुनेगा और शिकायतें स्वीकार भी करेगा नहीं मैं उत्पाद की गुणवत्ता और सेवायें जोड़ने का अनुरोध करता हूं। उन्हें जोड़ा जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति खराब गुणवत्ता के लिए शिकायत कर सकता है। मानदण्डों में यह भी शामिल किया जाना चाहिए जिसमें कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सके।

जहां तक सचिव के अधिकारों और कर्त्तव्यों की बात है, मेरे विचार से यह बोर्ड द्वारा विनियमित होना चाहिए था। अधिनियम के अनुसार सचिव के अधिकार और कृत्य बोर्ड द्वारा ही विनियमित होना है। मैं समझता हूं कि सरकार को नियम बनाने चाहिए और नियम के अनुसार बोर्ड को चलाना चाहिए। बोर्ड को यह विनियमित करने की स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए कि सचिव को क्या करना है, उन्हें कहां बैठक आयोजित करनी है और कितनी बार आदि। ये सारी बातें तो बोर्ड स्वयं विनियमित कर सकता है। पर जहां तक सचिव के कर्त्तव्यों की बात है, उन्हें सरकार द्वारा निश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि जैसा मैंने इस विधेयक में पाया है सचिव बहुत महत्वपूर्ण है।

अंत में, 65 वर्ष की आयु के बाद वह सदस्य नहीं रह सकता, या अपना कार्यकाल समाप्त होने पर वह किसी सरकारी सेवा, किसी निगम में या लाभ के किसी पद पर कार्य नहीं कर सकता। मेरे विचार से इससे कोई स्फूर्तिवान, आकर्षक और ऊर्जावान व्यक्ति बोर्ड में नहीं आना चाहेगा। यह रोक नहीं होनी चाहिए। इसे शिथिल किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि हमें बोर्ड को अच्छा और कुशल बोर्ड बनाने हेतु योग्य सक्षम व्यक्तियों को आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : सभापति महोदया, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं पेट्रोलियम उत्पाद में गुजरात की जनता के हिस्से की मांग पर उनकी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। गुजरात उन प्रारम्भिक राज्यों में से है जहां पेट्रोलियम और गैस का उत्पादन

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

शुरू हुआ था और आज भी मेरे घर से मात्र 5 कि०मी० दूर गैस उत्पादित हो रही है। हम गुजरात में काफी लम्बे समय से मांग कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे क्योंकि वास्तव में ऐसा वर्षों से हो रहा है। गुजरात की जनता की मांग है कि ओ०एन०जी०सी० का मुख्यालय अहमदाबाद या गुजरात के किसी भाग में न होकर देहरादून में क्यों हो? आप यह विधेयक लाये हैं जिसमें यह कहा गया है कि बोर्ड का कार्यालय दिल्ली में होगा। मैं इसका कड़ाई से विरोध करता हूं। यह देश के किसी भी भाग में हो सकता था पर दिल्ली में तो हरगिज नहीं क्योंकि दिल्ली में होने पर यह नौकरशाहों के नियंत्रण में आ जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य तरह के दबाव भी पड़ते हैं। परिणामस्वरूप जितने राज्यों का इसमें योगदान है और जहां से गैस और पैट्रोलियम प्राप्त होता है। उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। आप सदस्यों की विशेषकर गुजरात के सदस्यों की भावनाओं का ख्याल कीजिए और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बोर्ड का मुख्यालय गुजरात के ही किसी भाग में बनाएं।

दूसरी बात, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हम अपने राज्य के लिए गैस की मांग करते रहे हैं। गुजरात में लगभग 3000 मेगावाट बिजली की कमी है जिसके परिणामस्वरूप, उद्योगों को परेशानी हो रही है। गैस को गुजरात के दाहेज से जगदलपुर और सलावा से मथुरा तेलशोधक कारखानों तक पहुंचाया जाता है। राज्य के हर क्षेत्र में सारी पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं पर गैस गुजरात के अतिरिक्त देश के हर भाग में जा रही है। इसका क्या औचित्य है? हम मांग करते रहे हैं और आपसे भी अनुरोध करते हैं कि हमें भी उत्पादन में से हिस्सा दिया जाये। यह नीति क्यों नहीं अपनाई जा सकती? हमें पैसा नहीं चाहिए। आप हमें रॉयल्टी तो देते नहीं। हमें उत्पादन का 20, 25 या 30 प्रतिशत हिस्सा दे दीजिए, हम इसे बेचेंगे।

वास्तव में गुजरात राज्य गैस अधिनियम जो मंत्रालय में पड़ा हुआ है उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) और गुजरात सरकार द्वारा बनाई गई कम्पनी में विवाद चल रहा है। जिसके परिणामस्वरूप, चीनी मिट्टी उद्योग तथा वस्त्र उद्योग और दुग्ध उद्योग सहित अन्य उद्योगों को काफी परेशानी हो रही है। हमें इसका समाधान चाहिए। मुझे नहीं पता कि बोर्ड इस तरह की बातों का हल निकाल पाएगा या नहीं? अगर केवल वितरण और विपणन की बात होती तो यह अलग बात है। मुझे आशा है कि सरकार वितरण आदि के लिए कुछ मानदंड निर्धारित करेगी।

मैं मिलावट और अन्य पहलुओं की बात नहीं करने जा रहा हूं। कई माननीय सदस्यों ने इस पर भाषण दिया है। अगर मैं भूल नहीं रहा तो एक युवा इंजीनियर उत्तर प्रदेश में एक पेट्रोल पम्प की जांच करने गया था और मारा गया था। यह अमानवीय कृत्य था। ऐसे कई उदाहरण हैं। मुझे आशा है कि बोर्ड ऐसे मुद्दों को सुलझा लेगा। पर आप राज्य की मांगों का मुद्दा सुलझाइए। हमारा सारा जल प्रदूषित हो गया है। फ्लोराइड से संबंधित बीमारी हो गई है। आप उत्तरी गुजरात से सारा गैस, सारा पेट्रोलियम उत्पाद निकाल ले रहे हैं। इसके कारण उत्तरी गुजरात की जमीन अनुपजाऊ रहे गई है। इसकी क्षतिपूर्ति क्यों नहीं की जा रही है? रॉयल्टी के अतिरिक्त, सरकार को इस क्षेत्र के लिए विकास कर लगाना चाहिए। हम पूरे देश के विकास में योगदान करते हैं। पर हमें अपने राज्य के विकास के लिए हमारा हिस्सा क्यों न मिले? यही मेरा निवेदन है।

हमें सदन में तत्कालीन मंत्री द्वारा तापी घाटी से गैस दिए जाने का आश्वासन दिया गया था। सूरत तथा राज्य के अन्य भाग के लोगों को गैस देने के लिए उन्होंने एक परिसंघ बनाया था। पर हमें आज तक गैस नहीं मिली। दूसरी बात भ्रष्टाचार की है। यह व्याप्त है। सरकार और बोर्ड इससे कैसे निपटेगी यही प्रश्न है। आप रसोई गैस की डीलरशिप आदिवासियों या अनुसूचित जातियों आदि को देने जैसे छोटे मामले लीजिए। अब प्रक्रिया यह है कि मुम्बई से कोई आकर होटल में रुकता है और सबेरे लोगों को बुलाकर वहीं निर्णय ले लेता है। मुझे विश्वस्त सूचना मिली है कि अधिकारियों की मिलीभगत से डीलरशिप और पेट्रोल पंप मिल जाता है।

इन सब के लिए पैसा देना पड़ता है। सरकार इस समस्या से कैसे निपटेगी? बोर्ड में एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है। दुर्भाग्यशाली पक्ष यह है कि हमारा जीवन भी इसी तरह है। हम कई राज्यों में मानवाधिकार आयोग नहीं बना सके हैं इसका आंशिक कारण यह है कि इसके लिए एक पूर्व न्यायाधीश होना आवश्यक है, तथा साथ ही विपक्ष के नेता की सहमति होनी चाहिए इत्यादि। यहां भी वही बात है। आप न्यायाधीश रखते हैं, नौकरशाह रखते हैं मानो कि नौकरशाह हर विषय के विशेषज्ञ हों। कल तक वह बतौर सचिव पुलिस विभाग में था और उसके बाद उसे स्थानांतरित कर बोर्ड का वाणिज्यिक प्रबंधक बना दिया गया। वह पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेगा और बोर्ड को लाभ अर्जित होगा। यह बात मेरी समझ से परे है। ऐसी चीजों को बनाते समय हम किस प्रकार का तर्क लगाते हैं जहां हम यह सोचते हुए, कि जनप्रतिनिधि बखेड़ा खड़ा कर देंगे या वे पक्षपात करेंगे, जनप्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं करते? मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं कि राजनीतिज्ञ न कि नौकरशाह सार्वजनिक जीवन में जनता के सबसे संविक्षित लोग हैं। क्या हम इस बात का समर्थन करने जा रहे हैं? मैं समझता हूं कि आपको इस पर विचार करना चाहिए और इस समस्या का हल खोजने की कोशिश करनी चाहिए। किसी संसद सदस्य को बोर्ड में शामिल नहीं किया जा सकता?

महोदया, मैं एक उदाहरण देता हूं। जनजाति का एक व्यक्ति पहली बार एल०पी०जी० की डीलरशिप लेना चाहता था। मुझे नहीं मालूम था कि किससे संपर्क किया जाये। मैंने फोन किया। उन्होंने कहा, 'महोदय, तरीका यह है कि ओ०एन०जी०सी० मुम्बई कार्यालय के किसी अधिकारी को एक लिफाफा देता है और वह अधिकारी अगली सुबह आता है। वही पांच या छह व्यक्ति साक्षात्कार लेते हैं और इसका निर्णय लेते हैं।' यह पुख्ता जानकारी है कि इनके बीच वे लोग हैं जो अधिकारियों और इन डीलरों से सौदेबाजी करते हैं। यदि आप उन्हें रुपये दें तो आपको डीलरशिप मिल जाती है। यदि आप उन्हें रुपये नहीं देते तो आपको डीलरशिप नहीं मिलती चाहे आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से और कुछ भी हों। मेरा प्रश्न यही है। इस बोर्ड के रहने से आप ऐसी समस्याओं से कैसे निबटेंगे? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों में ऐसे लोग हैं जो सामाजिक स्थिति में ऊपर चढ़ना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इससे न्याय मिल पाएगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जब आप उत्तर दें, कृपया इन समस्याओं का हल नियमों या अन्य तंत्र में खोजने की कोशिश करें। यदि कुछ समय बाद नियमों में संशोधन करना हो और आपको नियमों में उन्हें शामिल करना हो तो कृपया ऐसा करे। यही मेरी चिंता है।

तीन दिन से लोग जट्रोफा का मुद्दा उठाते रहे हैं। महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में कई गैर-सरकारी संगठन और युवा अभियंता इसे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन राज्य सरकारें या आपका मंत्रालय भी उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा है। क्या आप कोई अन्य विकल्प खोजने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ऊर्जा की मांग बहुत होगी? जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा ऊर्जा लोगों की पहली मांग रहेगी चाहे वह विद्युत, गैस कुछ भी हो। *(व्यवधान)*

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : जट्रोफा के अलावा एथनॉल भी इसी कड़ी में है *(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं आशा करता हूं कि यह आपके मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा।

तथापि, अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि कृपया जनता को संतुष्ट करने की कोशिश करें। लंबे समय से लंबित मांगों से हमारे राज्य की जनता में असंतोष पैदा हो गया है। हम महसूस करते हैं कि हमें शिकार बनाया गया है और पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा हमारे साथ अन्याय किया गया है।

अभी श्री राणा ने पीपावेव गैस परियोजना का हवाला दिया। मैं नहीं जानता कि इसमें क्या समस्या है। हमें इसके लिए गैस क्यों नहीं मिल सकती? वहां बिजली क्यों नहीं उत्पादित की जा सकती? कई लोग गुजरात में उद्योग स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं परंतु ऊर्जा की कमी के कारण हम ऐसा करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। हम अपने बजट का करीब 80 प्रतिशत अपने राज्य से ही प्राप्त करते हैं। हम अपने राज्य का खर्च चलाने के लिए केन्द्र सरकार से बमुश्किल 20 प्रतिशत ही पाते हैं। इसलिए आपके विभाग में दोनों मंत्रियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया इन मुद्दों पर ध्यान दीजिए *(व्यवधान)* मैं आपसे भी कह रहा हूं।

चूंकि ओ०एन०जी०सी० का मुख्यालय देहरादून में है और आप मुंबई से हैं, कम से कम यह मुंबई तो नहीं जाएगा, लेकिन कृपया आप कोशिश करें कि यह कार्यालय कहीं और स्थापित हो। और कृपया एक ऐसा तंत्र बनाने की भी कोशिश करें जिसके द्वारा आम जनता की शिकायतें दूर की जा सकें। आप भी उन सभी राज्यों के इन्हीं मुद्दों और चिंताओं पर गौर करें जहां प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उपलब्ध है क्योंकि इससे प्रशासन में पुराने लोगों के बीच बेवजह अलग तरह की भावना उत्पन्न होती है।

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : धन्यवाद, महोदया। जब भी हम पेट्रोलियम के बारे में बोलते हैं तो आम आदमी के मस्तिष्क में जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात आती है वह है पेट्रोल, डीजल, एल०पी०जी० आदि के मूल्य। मैं नहीं जानता कि यह विनियामक प्राधिकरण मूल्यों के विनियमन से किस तरह संबंधित होने जो रहा है।

मैंने अधिसूचित पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के संबंध में खंड 11 (ङ) में पाया कि मूल्यों की मानीटरिंग भी इसके कार्यों में से एक है। दूसरी ओर, यदि हम अधिसूचित पेट्रोलियम की परिभाषा देखें तो यह उन सभी तक सीमित है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि इसके हाथ पेट्रोल, डीजल आदि की कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त मजबूत है या नहीं।

हम सभी उस सूचना से चिंतित हैं जो रंगराजन समिति के प्रतिवेदन से हाल ही में मिली है। मैंने संसद में पहले भी इस मामले का उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि यह माननीय मंत्री के लिए सरकार की नीति के बारे में बताने और रंगराजन समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के संबंध में सरकार के विचार स्पष्ट करने का अवसर होगा। समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि पेट्रोल, डीजल, एल०पी०जी० आदि की कीमतें बढ़ायी जानी चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की और एल०पी०जी० या घरेलू रसोई गैस की कीमतें करीब 75 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ायी जानी चाहिए। इसलिए

[श्री पी०सी० थामस]

देश इस मुद्दे के बारे में बहुत अधिक चिंतित है और आम जन यह जानना चाहेंगे कि क्या सरकार इसे स्वीकार, अस्वीकार करने या इस पर विचार करने जा रही है। मैं आशा करता हूं कि – चाहे इस पर जिस प्रकार से विचार किया जाये – इस सभा के लिए इस मुद्दे के बारे में जानने का यह बहुत अच्छा अवसर होगा।

विनियामक प्राधिकरण से संबंधित एक बात और है। हम अक्सर पाते हैं कि जब भी कोई विनियामक प्राधिकरण बनाया जाता है सरकार यह सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेती है कि – जहां तक आम आदमी का सरोकार है – कीमतें वास्तव में विनियमित की जायें मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कभी-कभी बोर्ड या विनियामक प्राधिकरण को बलि का बकरा बनाया जाता है। मैं नहीं जानता कि ऐसा यहां भी होगा या नहीं।

जहां तक बोर्ड को दी जाने वाली शक्तियों की बात है यह कोई शर्त नहीं है और यह उतना स्वतंत्र भी नहीं है। यह केवल बोर्ड है। हम खंड 11, 13, 42 आदि में पाते हैं कि सरकार की कई शक्तियां अभी भी बोर्ड के कार्य करने के तरीके को नियंत्रित करने के लिए विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए, खंड 42 के अनुसार, बोर्ड को निदेश दिए जा सकते हैं। अवश्य ही, कभी-कभी यह आवश्यक भी हो जाता है।

खंड 11(ञ) में मैंने पाया कि केन्द्र सरकार बोर्ड को स्वीकार करने के लिए निदेश के रूप में सिफारिशें या सुझाव दे सकती है। इस खंड में भी मैंने देखा कि वास्तविक नियंत्रण केवल सरकार के पास ही आ जाता है। हालांकि न्यायिक शक्तियों से संबंधित खंड 13 में न्यायालय जैसी शक्तियां स्वयं बोर्ड को दी गयी हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को अपने उत्तर में इन मामलों को स्पष्ट करना चाहिए।

जहां तक खोज के मुद्दे का संबंध है, यह अवश्य ही बोर्ड के सीधे नियंत्रण में नहीं आता है। परंतु हम पाते हैं कि यह भी इसके अंतर्गत विनियमित किए जाने वाला मसला है। कई निजी कंपनियां खोज करने और समुद्री किनारों से तेल प्राप्त करने में लगी हैं।

मैं कोचीन हाई के संबंध में एक बात कहना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि वहां पर बहुत काम किया गया था और ऐसी भी रिपोर्टें आई हैं कि कोचीन के अपतट में काफी तेल उपलब्ध है। वहां बहुत काम किया गया था परंतु मैं समझता हूं कि किसी खास बिन्दु पर काम रोक दिया गया।

यद्यपि, ऐसी भी खबर है कि और खुदाई की गयी थी और तेल करीब-करीब उपलब्ध हो गया था परंतु हम इस संबंध में सही स्थिति जानना चाहेंगे।

आयात और निर्यात के संबंध में मैं समझता हूं कि धारा 14 में बोर्ड को आयात के संबंध में कुछ शक्तियां दी गयी हैं। इसे भी थोड़ा स्पष्ट किया जाना चाहिए।

यद्यपि अन्य बातें भी कहनी हैं परंतु मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं आशा करता हूं कि नए मंत्री जी आम आदमी में आशा जगाने में समर्थ होंगे। यह महज एक आशा ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि माननीय मंत्री कर्मठ व्यक्ति हैं। मैं नए मंत्री जी को बधाई देता हूं जिन्होंने इस विधेयक को पेश किया है।

प्रो० एम० रामदास (पांडिचेरी) : मुझे बोलने का अवसर देने के लिए सभापति महोदया, आपका धन्यवाद। मैं अपनी पार्टी पी०एम०के० की ओर से इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन करता हूं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम उत्पाद अर्थव्यवस्था और व्यक्तियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, इसका उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और मूल्य निर्धारण, इस देश के आर्थिक विकास को त्वरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह महत्वपूर्ण उद्देश्यों और लक्ष्यों पर आधारित हैं। इसमें उपभोक्ताओं और निकायों के हितों का संरक्षण करने की, बाजार में अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करने की और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्द्धी बाजार को बढ़ावा देने की कोशिश की गयी है। इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। साथ ही मैं इस विधेयक में संभावित कुछ अन्तर्विरोधों का संकेत करना चाहूंगा।

पहला अन्तर्विरोध यह है कि इस विधेयक का आशय पेट्रोलियम उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्द्धी बलों या प्रतिस्पर्द्धी बाजारों को बढ़ावा देना है। सैद्धांतिक दृष्टि से, प्रतिस्पर्द्धा तभी होती है जब क्रेताओं ओर विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक हो। पेट्रोलियम के मामले में हमारे यहां क्रेता तो भारी संख्या में हैं पर विक्रेता बहुत कम हैं। इसलिए, यहां प्रतिस्पर्द्धी बाजार की बजाय, केवल एकाधिकार वाले प्रतिस्पर्द्धी बाजार हैं। प्रतिस्पर्द्धा वहीं होती या पनपती है जहां विनियमन या नियंत्रण नहीं होते। जब विनियामक बोर्ड है तो फिर आप प्रतिस्पर्द्धा को कैसे बढ़ावा देंगे? जब विनियामक बोर्ड है तो उससे किसी न किसी रूप में आपूर्ति, मूल्य और निगरानी पहलू प्रभावित होंगे। इसलिए, प्रतिस्पर्द्धी बाजार में उत्पादों के मूल्य निर्धारण करने वाली अदृश्य शक्ति, विनियमन के मामले में नहीं होगी। यह आभासी अन्तर्विरोध है।

दूसरा अन्तर्विरोध अथवा अतिव्याप्ति यह है कि यह बोर्ड बाजार में मूल्यों और प्रतिबंधित कार्यों की निगरानी करने की कोशिश करेगा।

लेकिन यह कार्य प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के तहत वर्ष 2003 में सृजित प्रतिस्पर्द्धा आयोग द्वारा पहले से किया जा रहा है। जब प्रतिस्पर्द्धा आयोग पेट्रोलियम सहित सभी उत्पादों के एकाधिकार व्यापार और प्रतिबंधित कार्यों पर नजर रखता है तो यह विनियामक बोर्ड इस कार्य को कैसे करेगा? या तो इस कार्य को प्रतिस्पर्द्धा आयोग की परिधि से बाहर निकालना होगा। या यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि इस उत्पाद के मामले में केवल बोर्ड ही इस कार्य को करेगा।

महोदया, तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा विधेयक में किए गए उपायों से संबंधित है। वर्तमान् में पारेषण (ट्रांसमिशन) पाइप का स्वामी किसी अन्य व्यक्ति के लिए इसे खोले रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। लेकिन विधेयक में यह कहा गया है कि यह सामान्य या ठेकागत वाहक बन जाएगा। लेकिन पारेषण लाइन के व्यक्तिगत स्वामित्व को किस आधार पर ठेकागत या सामान्य वाहक के रूप में बदल दिया जाएगा? इस विधेयक में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सामान्य या ठेकागत के वाहक द्वारा प्राकृतिक गैस के पारेषण के लिए बोर्ड द्वारा शुल्क-दर का निर्धारण कैसे किया जायेगा। शुल्क-दर निर्धारण कैसे किया जाएगा इसका कोई ब्यौरा इस विधेयक में नहीं दिया गया है। ऐसा किस आधार पर किया जाएगा, सेवा मूल्य, प्रचालन मूल्य के आधार पर या किसी अन्य चीज के मूल्य के आधार पर, इस विधेयक में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इस पर गौर किया जाना चाहिए।

जहां तक खुदरा सेवा बाध्यता की बात है तो वर्तमान में प्रत्येक राज्य में नाप और तोल विभाग या नागरिक आपूर्ति विभाग खुदरा बिक्री केन्द्रों द्वारा बेचे जानेवाले उत्पादों की मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण करता है। अब इस विधेयक में कहा गया है कि विनियामक बोर्ड इन खुदरा बिक्री केन्द्रों को विनियमित करेगा। विनियामक बोर्ड किस तंत्र के द्वारा ऐसा करने जा रहा है? यह एक राष्ट्रीय संगठन है। क्या यह आधारभूत स्तर या खुदरा स्तर पर काम करने में समर्थ होगा? यह ऐसा कैसे करेंगे? वह किस तंत्र द्वारा इन खुदरा सेवा संगठनों को उपलब्ध कराने जा रही है?

इसके अलावा, बिजली और पेट्रोलियम, दोनों के लिए एक साझा विनियामक होने जा रहा है? दोनों एक दूसरे के पूरक और प्रतिस्पर्द्धी हैं। बिजली का विकास पेट्रोलियम की सहायता से किया जाता है और पेट्रोलियम भी बिजली को बढ़ावा देने में सहायक होता है। क्या साझा अपीलीय प्राधिकरण या साझा विनियामक प्राधिकरण होने जा रहा है, यह नहीं मालूम? यदि साझा विनियामक होगा तो हमें सांवैधानिक परिवर्तन करना होगा क्योंकि 'बिजली' समवर्ती सूची में है जिसके संबंध में राज्य सरकार और केन्द्र, सरकार दोनों अपनी बात कह सकती है। लेकिन 'पेट्रोलियम' संघ सूची में है। वहां भी आप संघ सूची में एक विभाग में 'बिजली' तो दूसरे विभाग में 'पेट्रोलियम' देख सकते हैं। इस विधेयक द्वारा इन सभी विरोधाभासों का निराकरण नहीं किया गया है।

बोर्ड की संरचना के संबंध में मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। बोर्ड द्वारा किए जाने वाले अधिकांश कार्य आर्थिक या व्यावसायिक प्रकृत्ति के हैं क्योंकि यह शोधन, प्रसंस्करण, विपणन, वितरण और पारेषण करने जा रही है – ये सभी कार्य आर्थिक या वाणिज्य के क्षेत्र में हैं। लेकिन बोर्ड के पांच सदस्यों में से एक भी व्यक्ति आर्थिक नीति या आर्थिक विश्लेषण आदि के मामले में विशेषज्ञ नहीं है। विधेयक में विधिक व्यक्ति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। बोर्ड में एक व्यक्ति या तो वाणिज्य या अर्थशास्त्र के क्षेत्र से होना चाहिए। अर्थशास्त्र में विशेषज्ञ व्यक्ति को इस बोर्ड के एक सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए ताकि वह अपना विचार व्यक्त कर सके। भारतीय आर्थिक सेवा में कई व्यक्ति उच्च योग्यता और क्षमता वाले हैं। उनमें से एक को इस बोर्ड का सदस्य बनाया जाना चाहिए। ताकि सभी आर्थिक मुद्दों पर ठीक से विचार-विमर्श किया जा सके।

अन्य मुद्दा वेतन और भत्तों से संबंधित है। यह कहा गया है कि वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। विधेयक में इसका स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

सचिव के संबंध में कुछ लोगों ने उसकी योग्यता के बारे में कहा। वह बोर्ड में महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। उसकी योग्यता क्या है? उसे कौन नियुक्त करेगा? बोर्ड प्रथम सचिव की नियुक्ति नहीं करेगा। शायद दूसरे और तीसरे सचिव की नियुक्ति बोर्ड करेगा। क्या उसे मताधिकार होगा? बोर्ड में निर्णय उपस्थित व्यक्तियों के बहुमत से लिया जाएगा। जब पांच व्यक्ति हों और केवल तीन व्यक्ति उपस्थित रहें तो ये तीनों सदस्य ही कैसे निर्णय करेंगे? इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि बोर्ड में कम से कम 10 व्यक्ति होने चाहिए ताकि वे महत्वपूर्ण मसलों पर निर्णय ले सकें।

पेट्रोलियम एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। किसी भी व्यक्ति द्वारा भेद-भाव नहीं किया जाना चाहिए और बोर्ड को इस तरह वस्तुनिष्ठ तरीके से कार्य करना चाहिए ताकि यह लोगों को प्राकृतिक न्याय दिला सके। बोर्ड द्वारा मूल्यों की निगरानी भी संदेहास्पद है क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य हमारे द्वारा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जब भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संकट होगा भारतीय मूल्य

[प्रो० एम० रामदास]

निर्धारण में भी संकट होगा। इसलिए, यह बोर्ड मूल्यों की निगरानी किस हद तक करने में समर्थ होगा, इसका निर्धारण करना होगा?

सभापति महोदया : प्रो० रामदास, आपने बहुत विशेष बातें कहीं। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

प्रो० एम० रामदास : इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है जिसकी आज देश को जरूरत है। हालांकि, एक महत्वपूर्ण विधेयक देश के विकास का महत्वपूर्ण जरिया होना चाहिए। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से इन सभी बातों पर विचार करने का निवेदन करता हूं।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : सभापति महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसमें विरोध करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हम इस बारे में माननीय मंत्री जी के उत्तर में स्पष्ट रूप से यह जानना चाहते हैं कि इस विनियामक बोर्ड के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। शायद आयात बिल बढ़ जाने के कारण। यह बढ़कर प्रतिवर्ष 26 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया था। कच्चे तेल की प्रति बैरल कीमत स्थिर नहीं थी। यह पिछले वर्ष जुलाई में 28 डॉलर/प्रति बैरल से बढ़कर अगस्त के अंत में 61 डॉलर प्रति बैरल हो गयी थी। इसके अलावा, तेल क्षेत्र की 'नवरत्न' कंपनियां चाहती हैं कि अब राजसहायता वापस ले ली जानी चाहिए। क्या वे यह कह रहे हैं कि सरकार राजसहायता देगी? क्या सरकार इसपर सरकार होगी? वे राजसहायता इसलिए वापस लिया जाना चाहती हैं क्योंकि ओ०एन०जी०सी० की कंपनियां बहुत अच्छा नहीं कर पा रही हैं। उन्हें घाटा होना शुरू हो गया है। बी०पी०सी०एल० को 4,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। तेल की आंतरिक स्थिति के कारण अन्य कंपनियों की भी हालत बिगड़ जाएगी।

इसलिए, इन तथ्यों के मद्देनजर, मैं समझता हूं कि वे विनियामक बोर्ड बनाना चाहेंगे। लेकिन कृपया उन्हें इसे व्यापक भ्रष्टाचार वाले क्षेत्र के रूप में डीलर चयन बोर्ड जैसा नहीं बनने देना चाहिए। उन्हें इसे एक सही बोर्ड बनाना चाहिए क्योंकि गैस आयात, गैस वितरण और गैस दोहन से संबंधित सभी कार्य वहां किए जाएंगे। वे 8,000 दुर्गम किलोमीटर गैस पाइपलाइन का पारेषण कार्य भी करेंगे। इसके अलावा, इस विधेयक में एक शुल्क नीति की व्यवस्था भी करनी होगी। मैं पहले उल्लेख किए गए बिंदुओं को दोहरा नहीं रहा हूं। लेकिन सभी स्तरों पर पारदर्शिता रहनी चाहिए।

महोदया, मैं 'भ्रष्टाचार निवारण' विषय पर ओ०एन०जी०सी० की एक पत्रिका पढ़ रहा था जिसमें ओ०एन०जी०सी० के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सी०एम०डी०) श्री राहा ने अपने सतर्कता जागरुकता सप्ताह में कहा था, "केवल स्वयं ईमानदार होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना हम सभी की महती जिम्मेवारी बनती है कि हरेक व्यक्ति भी अनुशासनात्मक आचार-व्यवहार करे।" उनका तात्पर्य है कि हरेक व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। अपने संगठन में वह लोगों को भी अप्रत्यक्ष रूप से संदेश दे रहे हैं कि हरेक व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। इस संबंध में मैं यह कहूंगा कि जब इस महान निकाय, जोकि देश का सर्वोच्च विधानमंडल तथा हमारे लोकतंत्र का सर्वोच्च निकाय है, द्वारा जनता का प्रतिनिधित्व किया जाता है तो दोनों सभाओं के संसद सदस्यों का प्रतिनिधि उस बोर्ड में क्यों न रहे ताकि वे जनता की शिकायतों को उनके समक्ष रख सकें?

अब 'नवरत्न' कंपनियां चाहती हैं कि राजसहायता वापस ली जाये। लेकिन क्या राजसहायता हटाना संभव है? उदाहरण के लिए मिट्टी के तेल को लेते हैं। हम मिट्टी के तेल पर राजसहायता दे रहे हैं और इसका प्रयोग गरीब लोग यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग करते हैं। इसलिए, क्या मिट्टी के तेल पर राजसहायता हटाना संभव है? अब इसकी डीजल में भी मिलावट की जा रही है। और तो और, देश के पिछड़े क्षेत्रों में मिट्टी के तेल और डीजल की काफी उठाईगीरी की जाती है। इसलिए, इन सभी बातों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इन सभी बातों पर ध्यान देने के लिए उनके पास कोई क्षेत्रीय तंत्र हैं? इसलिए इस विधेयक के अनुरूप राज्य स्तर पर एक क्षेत्रीय तंत्र का गठन किया जाना चाहिए ताकि इसे राज्य स्तर पर भी समुचित रूप से नियंत्रित किया जा सके।

यहां, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गैस दोहन और पेट्रोल तथा गैस कंपनियां बनाने के संबंध में राज्यों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जैसा कि गुजरात के मामले में किया गया है। मैं पिछले कुछ माह से ओ०एन०जी०सी० की रिपोर्ट और इन्फ्रास्ट्रक्चर डाइजेस्ट पढ़ता आ रहा हूं लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख है कि मेरा उड़ीसा राज्य जो तटरेखा पर और जहां गैस का बड़ा भंडार है जो महानदी बेसिन में है, जहां पर अपतट गैस भंडार है और जिसका निर्माण रिलायंस कंपनी द्वारा किया गया है, पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। माननीय पेट्रोलियम मंत्री, जिन्होंने अभी मंत्रालय का कार्यभार संभाला है और वह बहुत सक्षम व्यक्ति हैं – हम आशा करते हैं – कि वह उड़ीसा राज्य में तेल संबंधी कार्य आरंभ करने का निर्देश देंगे ताकि तेल और गैस दोहन के कार्य को और आगे बढ़ाया जा सके। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो गैस पाइपलाइन हम अब बिछाने जा रहे हैं, उसमें से करीब 3300 किलोमीटर पाइपलाइन कृष्णा गोदावरी बेसिन में बिछायी जाएगी। करीब 1200 किलोमीटर पाइपलाइन गुजरात

में पहले ही बिछायी जा चुकी है और शेष वहां है। इसलिए, मैं माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी से इस नई गैस पाइपलाइन के बारे में शालीन शुरूआत करने का अनुरोध करना चाहूंगा। कम से कम 1000 किलोमीटर पाइपलाइन महानदी बेसिन तट में और अपतट उड़ीसा में शुरू किया जाना चाहिए। उड़ीसा खनिज-पदार्थ और कोयले की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। लेकिन कोयला मिथेन गैस पेट्रोलियम मंत्रालय से संबंधित विषय नहीं है। यह कोयला मंत्रालय या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्रालय से संबद्ध है जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अन्तर्गत है।

जो लोक उद्यम अब सरकारी राजसहायता हटाने के लिए कह रहे हैं, उनकी लोक बाध्यता है, उनकी सामाजिक बाध्यता है और वे निजी उद्यम नहीं हैं। इसलिए उन्हें ऊर्जा नवीकरण के क्षेत्र में और कोयला मिथेन गैस के विकास के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य पर अधिक धनराशि खर्च करनी चाहिए क्योंकि वे पिछले 45-50 वर्षों से लाभ कमा रहे हैं।

महोदया, इस विधेयक में विरोध करने लायक कुछ नहीं है। यह एक स्वागत योग्य विधेयक है। इसे राजग सरकार के शासनकाल में पहली बार पुर:स्थापित किया गया था। यद्यपि गैस पाइपलाइन नीति संबंधी प्रारूप का संशोधित रूप, अक्तूबर 2004 में सार्वजनिक किया गया था, मैं नहीं जानता कि इस विधान को आगे बढ़ाने में इतना विलंब क्यों हुआ क्योंकि गैस बहुत रणनीतिक क्षेत्र है। यह अन्ततोगत्वा 10 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढांचागत आवश्यकता है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : प्रारंभ में मुझे कहना चाहिए कि मैं अपने दल का अग्रणी वक्ता नहीं हूं। हमारे प्रमुख वक्ता पहले ही भाषण दे चुके हैं लेकिन मैं माननीय मंत्री जी के विचारार्थ कुछ मुद्दे उठाना चाहूंगा।

मंत्री जी नए हैं पर उन्हें एक बहुत सक्षम सांसद के रूप में अनुभव प्राप्त है। जब हम पेट्रोलियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम यह जानते हैं कि पेट्रोलियम चिकनाई-युक्त होने के साथ-साथ बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है। मैं आशा और अपेक्षा करता हूं कि वह अपनी विशेषज्ञता के साथ आगामी दिनों में मंत्रालय का काम-काज बहुत ही समर्थता के साथ संभालेंगे।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन को पढ़ने के दौरान मैंने ऐसा पाया। इसमें उल्लेख किया गया है कि कच्चे तेल का वर्तमान स्वदेशी उत्पादन करीब 33 मिलियन टन है जबकि इसकी आवश्यकता करीब 120 मिलियन टन की है। इसलिए, हमारी आयात निर्भरता बहुत अधिक है और अगले कुछ वर्षों में इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह कहा गया है कि जब तक अभिवृद्धि उत्पादन की वर्तमान दर से अधिक नहीं हो जाती, तब तक भारत के कच्चे तेल के वर्तमान् शेष वसूली योग्य संसाधन वर्तमान उत्पादन दर पर करीब 22 वर्ष तक ही चल सकेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें इस उर्ध्वगामी क्षेत्र में और अधिक निवेश की जरूरत है। दसवीं योजना में चार बातों को महत्व देने की बात कही गयी थी। उनमें से पहली थी – कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण प्रणाली; दूसरी – करों और शुल्कों का युक्तिकरण, तीसरी – उस क्षेत्र की पुनर्संरचना करना और चौथी – एक स्वतंत्र विनियामक निकाय की स्थापना करना था।

यही दसवीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव था। तद्नुसार विनियामक निकाय अस्तित्व में आया और एक विधेयक प्रस्तावित किया गया था। इसे स्थायी समिति के पास भेजा गया, तदोपरांत इसे राज्य सभा में पेश किया गया और अब हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं।

इसलिए, इस निकाय की स्थापना का विचार दसवीं योजना में प्रस्तुत किया गया था। तद्नुसार, जो विधेयक तैयार किया गया है, वह उपभोक्ताओं के हितों और ऐसे कार्यकलापों में संलग्न निकायों के संरक्षण हेतु विनियामक बोर्ड की स्थापना के लिए प्रावधान करेगा। सरकार ने कहा है कि यह बोर्ड देश के सभी भागों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की अबाधित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा तथा प्रतिस्पर्द्धी बाजार को बढ़ावा देगा। यह बहुत दिलचस्प है। यही दो प्रमुख पहलू हैं जिन की ओर बोर्ड ध्यान देगा। वर्तमान पेट्रोलियम मंत्री और पूर्व मंत्री ने भी – राज्य सभा और लोक सभा दोनों सदनों में यह कहा है कि यही दो मुख्य घटक हैं जिसके लिए यह बोर्ड कार्य करेगा। यहां मेरे मन में कुछ संदेह भी उत्पन्न होते हैं।

इस बोर्ड द्वारा प्रतिस्पर्द्धी बाजारों को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, मुझे इस संबंध में इस विधेयक में कोई प्रावधान दिखाई नहीं देता। इसलिए, मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की अबाधित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निगरानी संबंधी अपनी जिम्मेदारी का त्याग करने जा रही है। मेरा दूसरा प्रश्न एक अन्य पहलू से संबंधित है। हमारे देश में भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग है। हमने सर्वोच्च (सुपर) विनियामक के बारे में अखबार में भी पढ़ा और एक मंत्रालयी समिति ने भी इसपर विचार किया। इसका कारण यह है कि दो अन्य मंत्रालय भी विभिन्न संगठनों की प्रतिस्पर्द्धी गति-विधियों पर नजर रखने में शामिल हैं जो बाजार में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने और उसे कायम रखने तथा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग का दर्जा भी कायम रखना होगा। प्रतिस्पर्द्धी-विरोधी कार्यों की जांच करने की पूरी शक्ति भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग के पास रहेगी। यही नीति है

[श्री भर्तृहरि महताब]

और यही कानून। मैं प्रस्तावित बोर्ड की स्वायत्तता के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा जो अब प्रस्तावित की जा रही है।

कीमतों को विनियमित करने के लिए और उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने में बोर्ड की क्षमताओं के संबंध में क्या रसायन और उर्वरक मंत्रालय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय ने बोर्ड की स्वायत्तता को स्वीकार कर लिया है? प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने की इसकी क्षमताएं क्या हैं?

तीसरा, यह प्रस्ताव है कि यह बोर्ड अधोगामी तेलशोधन और पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन, प्राकृतिक गैस की बिक्री और गैस तथा पाइपलाइन के परिवहन संबंधी मामले देखेगा। यह बताया गया है कि बोर्ड केंद्र सरकार से कुछ दूरी बनाकर कार्य करेगा।

सभापति महोदया : कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपकी पार्टी का समय समाप्त हो चुका है और आपको अतिरिक्त समय दिया जा रहा है।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदया, मैं केवल आप से ही अतिरिक्त समय की अपेक्षा रख सकता हूं।

पेट्रोलियम केन्द्र सरकार का विषय है। जहां तक मैं समझता हूं कि इस विधेयक में बोर्ड को उतनी अधिक स्वतंत्रता नहीं दी गयी है।

अंतिम बात जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा वह यह है कि जब पेट्रोलियम उत्पादों की खपत बढ़ रही है तो दोहन कार्यों को तेज करने की और विदेशों में तेल तथा गैस के उत्पादन में इक्विटी शेयर प्राप्त करने की आवश्यकता है। लेकिन जिस बोर्ड की स्थापना की जा रही है, उसे उर्ध्वगामी विनियमन में छोटी भूमिका अदा करनी है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में उर्धगामी और अधोगामी, दोनों खंडों में स्वतंत्र विनियमन करने का सुझाव दिया गया था। जब हम अधोगामी विनियमन बोर्ड का प्रावधान करने जा रहे हैं तब उर्ध्वगामी विनियमन बोर्ड के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री अलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए दो मिनट का समय दिया है, पार्टी की स्ट्रैन्थ के हिसाब से थोड़ा और समय देते तो बहुत अच्छा होता। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अर्ज करना चाहता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि जो रेगुलेटरी बोर्ड का प्रपोजल और उससे संबंधित बिल है, उसमें आम जनता की भलाई की बातों पर ध्यान देने की जरूरत है और कंज्यूमर एंड पर जो कठिनाइयां आती हैं, इन सब बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए। जैसे हमारे देश में किसान वर्ग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जितने भी पेट्रोल पम्प अभी तक असाइन किये गये हैं, जब उनके साइट सलैक्शन का मामला आता है तो सारी कमर्शियल साइट्स शहरों में देखी जाती हैं और वहीं उनकी स्थापना की जाती है। इसलिए रेगुलेटरी बोर्ड के माध्यम से इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।

महोदया, गैस सिलेन्डर्स के बारे में बहुत सी शिकायतें आती हैं। हर कंज्यूमर तराजू लेकर नहीं बैठा होता कि वह सिलेन्डर का वजन तौलकर देखे। इसलिए इस पर कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम डैवलप होना चाहिए। गैस सिलेन्डरों के फटने की शिकायतें भी बहुत आती हैं, जिसके कारण बहुत से हादसे होते रहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह नकली और अनअप्रूव्ड सिलैन्डरों का बाजार में होना है। इनकी टैस्टिंग के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्लान्ट नहीं हैं या अभी तक जो सिस्टम हमारे पास है, उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए इस पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। सरकार टैस्टिंग प्लान्ट्स को अपने कंट्रोल में रखे तथा पीरियोडिकली हर सिलैन्डर की टैस्टिंग उसके थ्रू कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा ऑयल आउटलैट पर कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम रहती है। गलत कैलिब्रेशन के करण आउटलैट पर पेट्रोल और डीजल कम मात्रा में दिया जाता है। कंज्यूमर के पास ऐसा कोई इक्युपमैन्ट नहीं है कि वह इसे मैजर कर सके। जो मीटर में आता है, उसे वही रिसीव करना होती है। इसलिए बड़ी मात्रा में जटरोफा को पूरे देश में लगाया जा रहा है। सरकार जटरोफा का पौधा लगाने के लिये लोगों को प्रोत्साहन दे रही है। जब यह पौधा 3-4 साल में बड़ा होगा तो उसमें बीज आने लगेंगे, फिर उस में से डीजल निकालने की बात होने लगेगी। मेरा सवाल है कि इन सारी बातों के लिये रेगुलेशन हो सकता है, प्लानिंग हो सकती है कि वह किस के कंट्रोल में रहेगा? अनुज्ञप्ति का वितरण कैसे होगा, इस पर सरकार की चिन्ता होनी चाहिये क्योंकि यह सीधे तौर पर किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। वह अपनी परती भूमि, वेस्टलैंड और उपजाऊ भूमि पर उस पौधे को उगाये, इस प्रकार की अधिक अपेक्षायें उससे रखी हैं। यह भी मानना होगा कि उस से उसे लाभ भी मिले। इन सारी चीजों के लिये सरकार को प्रयत्न करना होगा लेकिन जो इकौनोमिक्स है, उसके अनुसार उसे घाटा होने की संभावना हो सकती है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मंत्री जी मेरे द्वारा कही गई बातों पर ध्यान दें और रेगुलेटरी बोर्ड को अधिकारों से परिपूर्ण किया जाये तथा सारी व्यवस्थायें ठीक ढंग से की जायें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : सभापति महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। ऊर्जा देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है और यह लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा भी है। यद्यपि, मैं इस विधेयक के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा।

यह विधेयक पिछली राजग सरकार के शासन के दौरान पुर:स्थापित किया गया था और यह स्थायी समिति के विचारार्थ रहा। स्थायी समिति ने 49 सिफारिशें की थीं और इनमें से 47, करीब सभी स्वीकार की गयीं और विधेयक में शामिल कर ली गयीं।

मेरी पहली बात प्रस्तावित किए जा रहे इस विनियामक निकाय के बोर्ड के गठन के बारे में है। मैंने यह देखा है कि बोर्ड में ऐसे सदस्यों को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है जो सभी नौकरशाह हैं। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि बोर्ड में बतौर सदस्य सभी नौकरशाहों को रखने के बजाय सरकार बोर्ड में एक या दो ऐसे सांसदों को शामिल कर सकती है जो वाणिज्य और प्रबंधन में विशेषज्ञता रखते हों। कई संसद सदस्यों को वाणिज्य और प्रबंधन में भी ऐसी विशेषज्ञता हासिल है। मैं ऐसा प्रस्ताव इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारा देश एक अरब से अधिक जनसंख्या वाला देश है और यहां 30 से 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रहे हैं। इसलिए यदि हम जनप्रतिनिधियों को बोर्ड में जगह देंगे तो जनता की वर्तमान हालत की जानकारी बोर्ड के समक्ष उचित प्रकार से रखी जा सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें केवल नौकरशाहों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं नौकरशाहों के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन यदि माननीय मंत्री बोर्ड में संसद सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर विचार करें और उसमें ऐसे सदस्यों, जनप्रतिनिधियों को शामिल करें जो वाणिज्य और प्रबंधन के क्षेत्र में ख्यातिलब्ध हैं तो यह अच्छा होगा।

मेरा दूसरा मुद्दा मिलावट के बारे में है। यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अब भी हम मिलावट पर नियंत्रण करने में समर्थ नहीं हो सके हैं। इस बोर्ड का गठन मिलावट पर नियंत्रण करने में किस प्रकार मदद करेगा इस प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी को देना होगा। किरासन का आबंटन राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किया जाता है। हालिया रिपार्टों के अनुसार, राज्यों को आबंटित कुल किरासन का केवल 30 से 40 प्रतिशत भाग ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया जा रहा है और आबंटित किरासन के शेष भाग की या तो कालाबाजारी की जाती है या उसे पेट्रोल और डीजल के साथ मिला दिया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बेचे जा रहे किरासन की कीमत प्रति लीटर 9 रु० है और पेट्रोल और डीजल की कीमत करीब क्रमश: 50 रु० और 40 रु० है। कुछ राज्यों में किरासन की बहुत मांग है। आंध्र प्रदेश राज्य में किरासन की बहुत मांग है। और माननीय मुख्यमंत्री ने इसके बारे में केन्द्र सरकार को लिखा भी था। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ अन्य राज्यों में भी किरासन की जरूरत है। लेकिन यदि उन्हें उनके कोटे का 100 प्रतिशत भी उपलब्ध करा दिया जाए तो भी कुल आबंटन का केवल 30 से 40 प्रतिशत भाग ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित किया जाता है और शेष को कालेबाजार में बेच दिया जाता है। इसी कारण मिलावट हो रही है यह भी एक कारण है कि कई राज्य चल प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाये जाने की मांग कर रहे हैं ताकि मौके पर मिलावट की जांच की जा सके और दोषी को तत्काल दंड दिया जा सके।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : आपने यह बात उस दिन प्रश्न के माध्यम से उठायी थी।

श्री किन्जरपु येरननायडु : हां। लेकिन सभा की कार्यवाही स्थगित हो जाने के कारण उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सका।

महोदया, यह विधेयक तीन क्षेत्रों में परिसीमित है अर्थात् – इसका आशय तेलशोधन कारखानों, परिवहन, वितरण और विपणन को विनियमित करना है, दूसरा इसका आशय उपभोक्ताओं और इस क्षेत्र में लगी एजेंसियों के हितों की रक्षा करना है और इसका तीसरा आशय पेट्रोलियम की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

आप विनियमन में अन्वेषण और उत्पादन को शामिल नहीं कर रहे हैं। उन्हें भी यहां विनियमित किया जाना चाहिए। कीमत का करीब 50 प्रतिशत अन्वेषण और उत्पादन में खर्च हो जाता है। अन्वेषण और उत्पादन को शामिल किए बिना हम 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। अन्वेषण, उत्पादन, शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण को भी बोर्ड के नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। तभी हम समाज और निर्धनतम लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि अन्वेषण और उत्पादन को भी विनियमित किया जाना चाहिए।

मैं आंध्र प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर बात करूंगा। आंध्र प्रदेश में विद्युत उपयोगिताओं के लिए गैस की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जी०ए०आई०एल० ने आठ विद्युत परियोजनाओं के संबंध में समझौता किया है। हमें करीब 11.55 एम०सी०एम०डी० (10.2 एम०सी०एम०डी० फर्म और 1.35 एम०सी०एम०डी० फॉलबैक) की आवश्यकता है। 7 एम०सी०एम०डी० गैस पहले ही उपलब्ध है। यदि 5 एम०सी० एम०डी० गैस उपलब्ध करायी जाती है तो विद्युत परियोजनाएं पूरी

[श्री किन्जरपु येरननायडु]

कर ली जाएंगी। इस 5 एम०सी०एम०डी० के अलावा विद्युत परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं और वे विद्युत उत्पादन करने के लिए तैयार हैं। यदि आप मंत्रालय और जी०ए०आई०एल० के बीच हुए समझौते के अनुसार विद्युत परियोजनाओं के लिए गैस उपलब्ध नहीं कराते हैं तो हमें विद्युत कंपनियों को निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा। विद्युत बोर्ड लाभ नहीं अर्जित कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में, विद्युत बोर्डों को और ज्यादा घाटा होगा और अन्ततः बोझ जनता पर पड़ेगा। इसी कारण हमें दृढ़ कदम उठाना है और जी०ए०आई०एल० को और अधिक गैस के अन्वेषण के लिए निर्देश देना होगा। आपको और अधिक गैस के अन्वेषण हेतु योजना बनानी है।

हमारा अनुरोध है कि कृष्णपतनम पत्तन पर भारतीय तेल निगम द्वारा एल०एन०जी० टर्मिनल स्थापित किया जाये। पूर्व मुख्यमंत्री श्री चन्द्र बाबू नायडू और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री राजेशखर रेड्डी द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद यह कार्य काफी समय से लंबित पड़ा है। उन्होंने भारत सरकार को कम से कम पांच या छह अर्द्ध-शासकीय पत्र लिखा है। मामला अभी भी लंबित है।

एक अन्य परियोजना काकीनाड़ा टर्मिनल के पास लंबित है। मैं इस मुद्दे पर अपने कांग्रेसी सदस्यों से भी अनुरोध कर रहा हूं। आज के अखबारों में भी इससे संबंधित खबरें छपी हैं। सरकार काकीनाड़ा में टर्मिनल स्थापित करने के लिए तैयार है लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध कि 6000 से 7000 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी जाए ताकि वे टर्मिनल स्थापित करने के लिए तैयार हो जाएं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहीत करने के लिए मुख्य मंत्री पर प्रभाव डालें।

मैं आंध्र प्रदेश में एल०पी०जी० की कमी के विषय पर लौटते हुए कहता हूं कि प्रतीक्षा सूची एक माह से घटकर करीब 14 दिन पर आ गयी है जो सबको मालूम है। हमने 25 लाख लोगों को गैस कनेक्शन दिये हैं। पिछली सरकार ने भी ऐसा करना जारी रखा। हमने कमजोर वर्गों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों को 25 लाख गैस कनेक्शन दिए हैं। इसी कारण प्रतीक्षा सूची एक माह से घटकर 14 दिन हो गयी है। स्वतंत्रता के बाद हमने करीब 30 लाख गैस कनेक्शन दिए हैं और केवल पिछले नौ वर्षों में हमने इस कार्यक्रम के तहत 35 लाख गैस कनेक्शन दिये हैं। इस परिदृश्य में आप देख सकते हैं कि मांग अधिक है और आपूर्ति कम है। अब भी, गैस उपलब्ध नहीं है। पहले, जब कोई व्यक्ति गैस कनेक्शन हेतु आवेदन करता था तो उसे कनेक्शन तुरंत मिल जाया करता था और गैस कंपनियां चरों के दरवाजों पर इसका वितरण किया करती थीं। माननीय मंत्री जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे गरीब लोगों के लिए पर्याप्त गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करें ताकि उन्हें उनके घरों पर ही गैस की आपूर्ति हो जाये।

*श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा) : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। भारत और विश्वभर में ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं – पेट्रोलियम और गैस। चूंकि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और गैस के उत्पादन के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी कार्यरत हैं अतः कहा जाता है कि सरकारी और निजी क्षेत्रों में कामकाज ठीक से चलता रहे इसके लिए एक स्वतंत्र विनियामक बोर्ड होना चाहिए। मैं इस तर्क से सहमत हूं, किन्तु ऐसे बोर्ड के गठन को लेकर मेरी कुछ आशंकाएं हैं।

यद्यपि ऐसा बोर्ड स्वतंत्र निकाय वाला है, तथापि वह सरकारी नियंत्रण में और उसे उसकी अधीन ही काम करना चाहिए जब भी सरकार पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और गैस की कीमतें बढ़ाना चाहती है वह विनियामक बोर्ड पर ही सारी जिम्मेदारी डाल देती है जैसा कि उसका उस पर कोई नियंत्रण ही न हो। जब भी बिजली की कीमतें बढ़ानी होती हैं, विद्युत विनियामक प्राधिकरण की स्वायत्तता के नाम पर अब तक ऐसे ही किया जाता रहा है। अब भी रंगराजन समिति की सिफारिशानुसार मंत्रालय बिजली की कीमतें बढ़ाने के फेर में है। कृपया इसके लिए प्रतिस्पर्धी बाजार को दोष मत दीजिए।

मूल्य का आधे से ज्यादा हिस्सा तो तरह-तरह के करों के कारण होता है। मेरे विचार से भारत पेट्रोलियम काफी घाटे में जा रहा है। दूसरी कंपनियों का भी यही हाल है। पर ये कृत्रिम घाटा है। करों को युक्तिसंगत बनाया जाए और पेट्रोल, डीजल, खासकर मिट्टी के तेल व रसोई गैस की कीमतों को युक्तिसंगत बनाया जाये।

ओ०एन०जी०सी० पेट्रोल और गैस के अन्वेषण और अनुसंधान में करोड़ों-अरबों रुपये खर्च कर रहा है किन्तु पता लगाए गए कई तेल-क्षेत्रों को बाद में निजी कम्पनियों को दे दिए जाता है। कृष्णा और गोदावरी नदियों के तटीय क्षेत्रों में ऐसा किया गया है। आगे ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

आंध्र प्रदेश के विद्युत संयंत्रों को गैस-आपूर्ति ओ०एन०जी०सी० के जरिए होती है पर वह अब इससे पलट रहा है। नये विद्युत-उत्पादन संयंत्रों को अनुमति देने किन्तु अपर्याप्त गैस-आपूर्ति को लेकर हमने अपनी चिंताओं से आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग को अवगत कराया, लेकिन हमारी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया गया। ओ०एन०जी०सी० अपना वायदा पूरा करे और लघु संयंत्रों की गैस की आपूर्ति करे। विनियामक बोर्ड बने तो उसमें तकनीकी विशेषज्ञ के साथ-साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी हो जिसमें लोक सभा के दो सदस्यों और राज्य सभा के एक सदस्य को शामिल किया जाये।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय राजमुंदरी में खोला जाए क्योंकि वहां कृष्णा और गोदावरी नदियों की घाटी में काफी गैस भंडार है।

इसके अलावा पेट्रोल, डीजल मिट्टी के तेल और गैस की बिक्री और शोधन आदि की प्रक्रिया में सरकारी क्षेत्र आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहे।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर) : सभापति महोदया, पेट्रोलियम नियामक बोर्ड के संबंध में 13वीं लोक सभा में 6 मई, 2002 को एक विधेयक लाया गया था जिसे 17 मई, 2002 को संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। कतिपय कारणों से इस विधेयक को एन०डी०ए० सरकार ने पास नहीं किया। इस विधेयक को पास न करके आइल कंपनियों को मनमाने ढंग से कार्य करने का मौका दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी को इस बोर्ड के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जो आइल कंपनियों का स्वतंत्र सैलेक्शन बोर्ड बनाया गया है, वह रद्द करके सैलेक्शन की प्रक्रिया इस बोर्ड के अधीन करनी चाहिए। आयल कम्पनियों द्वारा मनमाने स्थान चयनित किए जाते हैं और मनमाने ढंग से काम किए जा रहे हैं। आज हालत यह है कि सभी आयल कम्पनियों के बीच में गलाकाट प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक पेट्रोल पम्प और दूसरे पेट्रोल पम्प के बीच में दो सौ मीटर या तीन सौ मीटर से ज्यादा की दूरी नहीं है। एक कम्पनी दूसरी कम्पनी के साथ प्रतिस्पर्धा में काम कर रही है, जिससे विशेष तौर पर रूरल क्षेत्र के डीलरों में काफी निराशा पैदा हो रही है। ऐसा कानून बनाया जाए कि एक पेट्रोल पंप और दूसरे पेट्रोल पंप के बीच में कम से कम पांच किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, जिससे कि रूरल क्षेत्र में उपभोक्ताओं और तेल कम्पनियों को फायदा हो सके, क्योंकि बहुत कम दूरी होने की वजह से डीलरों की परेशानी बढ़ रही है।

अनुसूचित जाति के लोगों को जो पेट्रोल पम्प अलाट किए जाते हैं, उसका सारा व्यय सरकार वहन करती है, लेकिन स्थान के चयन में ऐसा देखा जाता है कि कम्पनियों द्वारा जहां कम बिक्री की संभावना रहती है, ऐसे स्थान का चयन किया जाता है। इस कारण सरकार जिसे पेट्रोल पम्प पर पैसा निवेश करती है, वह घाटे में चलता है और ऐसे तमाम पेट्रोल पम्प बंद करने की कगार पर हैं। ऐसे कई पेट्रोल पम्प लोगों ने वापिस भी कर दिए हैं। इसके पहले कम्पनियों द्वारा एक लैंड स्कीम शुरू की गई, जिसके तहत पेट्रोल पम्प आबंटित किए जा रहे थे।

सभापति महोदया : आप संक्षेप में बताइए।

श्री तूफानी सरोज : तमाम लोगों में इस स्कीम के तहत आवेदन किया था, लेकिन बीच में ही इस स्कीम को बंद कर दिया गया। मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं कि इस योजना के तहत वहां जो पेट्रोल पम्प अलाट किए गए, उसमें एस०सी०, एस०टी० के कोई कोटे का ध्यान नहीं दिया गया, खास कर हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने दो परसेंट भी एस०सी०, एस०टी० का कोटा पूरा नहीं किया। जो बोर्ड में पद सृजित किया गया है, मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगा कि वह एस०सी०, एस०टी० का पद सृजित किया जाए।

सभापति महोदया : संविधान के हिसाब से पद आरक्षित किए जाते हैं।

श्री तूफानी सरोज : डिपो के बारे में डीलरों की एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। टैंकरों द्वारा तेल की चोरी तो की जाती थी, लेकिन अब डीलरों की शिकायत है कि डिपो में भी तेल की चोरी की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि डिपों में तेल की चोरी न हो और टैंकरों में ऐसी व्यवस्था की जाए कि रास्ते में तेल की जो चोरी हो रही है, उससे बचा जा सके और उपभोक्ताओं और डीलरों को सुविधा हो सके।

[अनुवाद]

डा० के०एस० मनोज (अलेप्पी) : सभापति महोदया, मुझे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड विधेयक, 2006 पर चर्चा में भाग लेने का यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन मुझे कुछ शंकाएं हैं। इन सभी विनियामक प्राधिकरणों, चाहे वह टी०आर०ए०आई० हो या विद्युत विनियामक आयोग या आई०आर०डी०ए०; का गठन इन सभी क्षेत्रों में निजी उद्यमियों के प्रवेश करने के कारण हुआ है। इससे पहले इन क्षेत्रों पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों या सरकार का एकाधिकार हुआ करता था। सरकार ने जनता को किसी प्रकार की सेवा का आश्वासन दिया था। जहां तक सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की बात है, तो केवल लाभ अर्जन करने से ही उनका सरोकार नहीं था। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का एकमात्र इरादा सेवा उपलब्ध कराना था। लेकिन इन क्षेत्रों में आ रही निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए लाभ अर्जित करना प्रमुख सरोकार है। इसलिए इन प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये कंपनियां विशेषकर सेवा की गुणवत्ता, कीमतों और रसोई गैस तथा मिट्टी के तेल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों को दी गई राजसहायता के संबंध में अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करें। इसलिए, उन्हें अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करना चाहिए।

[डा० के०एस० मनोज]

इस विधान के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य इस क्षेत्र पर सरकार की शक्ति और नियंत्रण को कम से कम करना है। वहां स्वायत्तता होनी चाहिए लेकिन जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जवाबदेही के वगैर स्वायत्तता प्रदान करने से अव्यवस्था हो सकती है। इसलिए, इन विनियामक एजेंसियों को जवाबदेह बनाने के लिए एक समुचित तंत्र लाने की आवश्यकता है। विनियामक जवाबदेही संबंधी वर्तमान प्रावधान बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन मैं यह जानकर प्रसन्न हूं कि इस विधेयक में बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट को संसद की सभा में प्रस्तुत करने का प्रावधान है। महोदया, मेरा मत है कि इस रिपोर्ट को स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए और इस पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

महोदया, एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हमारे देश में पेट्रोलियम उत्पादों में बिक्री केन्द्र (आउटलेट) कुकुरमुत्ते की तरह फैल रहे हैं। इनमें से अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादों के बिक्री केन्द्रों में युवतियों को 'सेल्सगर्ल्स के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन उन्हें पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। यहां तक कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि साझेदारों और उपभोक्ताओं के हितों पर विचार करते समय उनहें पेट्रोलियम उत्पादों के विभिन्न बिक्री केन्द्रों में काम कर रही इन गरीब लड़कियों के कल्याण का भी ध्यान रखना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदया, सबसे पहले इस कार्य से मुझे मुक्त करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। न सिर्फ यही बल्कि मैं यह भी आशा करता हूं कि आप कितना समय वहां रहेंगी, इस मामले का निर्णय सिर्फ भविष्य ही कर सकता है।

सभापति महोदया : आपका स्वागत है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : इसका कारण है कि आपके पूर्ववर्ती जो हमारे साथ थे, उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिल गया और चले गए। मैं आशा करता हूं कि आप को भी वही काम मिल जाये और आप भी चली जाएं। इस मामले का निर्णय भी भविष्य ही करेगा।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, पर इसमें काफी विलंब हुआ है। अब वर्तमान मंत्री जी को इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का अवसर मिला है। उनके पूर्ववर्ती ऐसा नहीं कर सके। इसलिए, पिछले मंत्री यह परिवर्तन लाये और अपने पद से हाथ धो बैठे, उसका कारण मैं नहीं जानता। शायद, वह जानते हों। अचानक, अब देश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रत्येक फर्लांग पर बिक्री केन्द्र खोलने की प्रवृत्ति आ गयी है। यह प्रयास कितना सफल होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन इन बिक्री केन्द्रों को खोलने पर लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। कुछ समय पहले तक केवल जंक्शनों और महत्वपूर्ण केन्द्रों पर बिक्री केन्द उपलब्ध थे। लेकिन अब तो सुदूर कोनों में भी, जहां पेट्रोल लेने के लिए कोई गाड़ी नहीं है, सैंकड़ों नए बिक्री केन्द्र खोले जा रहे हैं। इसकी मंजूरी कैसे दी गयी, मैं नहीं जानता। मुझे बताया गया कि एक समिति है। मैं इस संबंध में विस्तार में नहीं जाऊंगा कि वहां क्या हुआ। लेकिन मेरे विद्वान मित्र, वर्तमान मंत्री महोदय शायद जानते हों। वे प्रक्रिया के मामले में काफी कुछ जानते हैं। मैं एक बार फिर सुझाव दूंगा कि हमारा देश कच्चे तेल की खपत का 70 प्रतिशत भाग आयात करता है। इसलिए, यदि हमारे पास मूल्य निर्धारण के मामले में नियंत्रक शक्ति नहीं रहती है तो जब भी सरकार मुश्किल में होगी, जब भी विदेशी मुद्रा भंडार प्रतिकूल स्थिति में होगा, सरकार जब-तब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए बाध्य होगी। आम आदमी परेशानी में पड़ जाएगा। और ऐसा आज भी हो रहा है।

अब, मैं उनके समक्ष यह प्रश्न रखना चाहूंगा कि समूचे देश में पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट की जा रही है।

अपराह्न 4.00 बजे

प्रत्येक बिक्री केन्द्र में मिट्टी का तेल या कोई अन्य तेल पेट्रोलियम उत्पादों में मिला दिया जाता है और उपभोक्ताओं को उसकी आपूर्ति की जाती है। यह हमारा कटु अनुभव है। प्रत्येक राज्य में, जहां तक मैं समझता हूं, कोई नियंत्रक प्राधिकरण नहीं है। कुछ नियंत्रणकारी प्राधिकरण अवश्य हैं पर वे अपना कार्य समुचित ढंग से नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पादों के लिए कोई निर्धारित स्तर भी नहीं है।

हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में मिलावट आम बात हो गई है। खाद्य पदार्थों में मिलावट है। इस प्रकार, हर जगह मिलावट है। स्वाभाविक है कि पेट्रोलियम उत्पादों में भी मिलावट होगी। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि इस पर नियंत्रण किया जाये।

यह विधेयक विनियामक बोर्ड गठित करने के सामान्य उद्देश्य से लाया गया है। इस प्रयोजनार्थ विधेयक की योजना ऐसी है कि इसे बोर्ड का गठन करना है। बोर्ड का उद्देश्य उपभोक्ताओं की सहायता करना है। लेकिन उपभोक्ता प्रत्येक बिक्री केन्द्र में हर समय अपमिश्रित पेट्रोल ले रहे हैं।

विधेयक के खंड 2 में निकाय को परिभाषित किया गया है। इसलिए ये सभी निकाय इस विधेयक में परिभाषित किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए उन्हें विनियमित करने के लिए कुछ नियंत्रण प्रणाली अवश्य लानी चाहिए। *(व्यवधान)*

इस विधेयक की योजना के संबंध में मुझे एक दो बातें कहनी हैं। इस विधेयक के खंड 30 के अनुसार विद्युत अधिनियम की धारा 110 के तहत गठित अपीलीय प्राधिकरण इसके लिए भी वही होगा। इसलिए हमारे यहां बोर्ड में तकनीकी सदस्य सहित विद्युत और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए एक साझा अपीलीय प्राधिकरण है। इस विधान में यह एक प्रावधान है। मुश्किल यह है कि इससे जब कभी इससे कोई विवाद पैदा होगा और यदि पीड़ित पक्ष को अपील करनी है तो उसे केवल उच्चतम न्यायालय जाना होगा। उच्च न्यायालय को इस विधेयक के प्रावधानों से पूरी तरह बाहर रखा गया है। इससे बहुत मुश्किल स्थिति पैदा हो जाएगी *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : धन्यवाद, श्री राधाकृष्णन जी। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यदि आप को मेरा बोलना अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं बोलना बंद कर दूंगा।

सभापति महोदया : आपने हरेक बात कह दी है। अभी एक और सदस्य को बोलना है। अभी, अनुपूरक कार्यसूची भी है। श्री पवन कुमार बंसल द्वारा सभा पटल पर पत्र भी रखे जाने हैं।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : जहां तक अपीलीय प्राधिकरण का संबंध है, तो मुझे एक टिप्पणी करनी है। *(व्यवधान)* हाल ही में हमने सूचना अधिनियम पारित किया। उसमें हमने केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के लिए प्राधिकरण बनाया है। मेरे विचार में, इसे सेवानिवृत्त नौकरशाहों के लिए शरणस्थल बनाने के लिए ऐसा किया गया। यहां भी, यह बोर्ड सेवानिवृत्त नौकरशाहों के लिए शरणस्थल बन जाएगा। वे 65 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं *(व्यवधान)* इनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। अधिकतम आयु 65 वर्ष है या जो भी पहले हो।

सभापति महोदया : अब अनुपूरक कार्य सूची पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : इसलिए, मैं कहूंगा कि यह एक ऐसा विधान है जो प्रमुखत: उपभोक्ताओं की संरक्षा के लिए बनाया गया है। इसलिए, इस बोर्ड को सेवानिवृत्त नौकरशाहों से मत भरें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

अपराह्न 4.03 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र — *जारी*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदया, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री पी० चिदम्बरम की ओर से "अग्रणीय कार्यक्रमों के वर्ष 2006-07 के परिणाम बजट" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल०टी० 4096/2006]

अपराह्न 4.04 बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड विधेयक, 2006 — *जारी*

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : सभापति महोदया, इसमें बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता, हमारे बहुत से सम्माननीय साथी इस पर बोल चुके हैं। जैसा अभी पूर्व में कहा गया था कि एन०डी०ए० की सरकार ने जो बिल था, उसमें अधिकांश बातें स्टैंडिंग कमेटी ने मान ली थी। अब जानकारी में आया है कि 10 से अधिक आपने उसमें नये क्लाज़ और जोड़ दिये हैं। उचित रहता कि स्टैंडिंग कमेटी इसके ऊपर भी चर्चा कर लेती, विचार कर लेती। पर अब चूंकि राज्य सभा में यह बिल पारित हो चुका है और यहां पर मैं समझता हूं कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा।

हमारे साथियों ने कुछ बातें बताईं। मैं संक्षेप में 2-3 बातें बताऊंगा। एडल्ट्रेशन एक मुख्य मुद्दा है और जैसा हमारे एक साथी ने कहा था कि इसके कारण विवाद भी होता है। उत्तर प्रदेश में आपके एक अधिकारी की हत्या भी हो गई, आप उससे परिचित हैं। यदि मिलावट के ऊपर आपने गम्भीरता नहीं अपनायी तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी समस्या बनी रहेगी। इससे जुड़ी हुई ही एक बात है कि एन०एच० पर इतने आर०ओ० बन गए हैं कि इनकी वायबीलिटी पर ही संदेह खड़ा हो गया है कि ये वायबल हो पाएंगे या नहीं। हमारा आग्रह है कि एन०डी०ए० की सरकार में प्रस्तुत विज़न 2025 पर आप विचार करें कि हमारी आवश्यकता क्या होगी?

[श्री संतोष गंगवार]

आज गैस की मांग बढ़ती जा रही है। आज यह 150 एम०एम० सी०एम०डी० है तो 2025 में 400 एम०एम० सी०एम०डी० होगी। इसकी पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे। आपने रेगूलेटरी बिल के अंदर कुछ परिवर्तन कर दिए हैं, जिनके बारे में माननीय सदस्यों ने आपको बताया। निश्चित रूप से कैबिनेट सैक्रटरी को इसका इंचार्ज होना चाहिए। लेकिन आपने इसको बदल दिया है। योजना आयोग में राजनीतिक आधार पर नियुक्तियां होती हैं। इस बारे में मैं ज्यादा उल्लेख नहीं करना चाहूंगा।

हमारे मित्र कह रहे थे कि आपको बहुत ज्ञान है। आप तेल की नीति जानते हैं, आप तेल के खेल को जानते हैं। मेरा अनुरोध है कि आप फॉसिल फ्यूल पर भी विचार करें। कॉमन कैरियर की सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। नई पाइपलाइन एक्सेस कोड के बारे में भी आप विचार करें। यह बिल पास होने के बाद भी यदि कोई समस्या आती है तो हम उस पर विचार कर सकते हैं।

अंत में, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप इसकी एकाउंटीबिलीटी किसके साथ जोड़ेंगे? हम चाहते हैं कि प्रति वर्ष इसकी रिपोर्ट पर सदन में विचार होना चाहिए। यदि इसकी कोई रिपोर्ट आए तो लोक सभा की उसके प्रति एक जिम्मेदारी हो कि हां, यह निश्चित रूप से लोक सभा में आएगी। इसकी एकाउंटिबिलीटी फिक्स होनी चाहिए। एन०डी०ए० की सरकार ने डिसमेन्टलिंग के बाद काफी कुछ शुरू किया था, लेकिन अब सिनैरियों बदल गया है। उसके हिसाब से हम लोग सही दिशा में काम करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। करीब 28 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और मैं इतनी अधिक दिलचस्पी लेने के लिए उन सभी का बहुत आभारी हूं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर गौर करेंगे और मैं अब उनमें से अधिकांश का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यदि मैं उनमें से कुछ का उत्तर नहीं दे सका तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हम एक सप्ताह में उनका लिखित उत्तर आपको दे दें।

अपराह्न 4.08 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

हाल ही में तेल और गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और तेल आयात पर हमारी निर्भरता को मद्देनजर रखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में तेल और गैस क्षेत्र एक व्यावसायिक निकाय द्वारा विनियमित किया जाये। जो देश ऊर्जा संबंधी अपनी जरूरतों का व्यावसायिक तरीके से प्रबंध नहीं करते, उन्हें आर्थिक विकास में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 7 मार्च को इस सदन में अमेरिका के साथ असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग पर हुई चर्चा के दौरान दिए गए वक्तव्य को उद्धृत करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसे मैं उद्धृत करता हूं :

> "सदन इस बात से सहमत होगा कि विभिन्न स्रोतों से उपयुक्त मात्रा में ऊर्जा आपूर्ति की एक नीति तैयार करना हमारे व्यापक आर्थिक अथवा सामाजिक उद्देश्यों को हासिल करने पर केन्द्रित है। ऊर्जा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवनशक्ति है। पर्याप्त मात्रा में और जरूरत के मुताबिक ऊर्जा की उपलब्धता के बिना सामाजिक क्षेत्र में हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो सकती।"

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसी महीने घोषित की गई नई अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एन०ई०एल०पी०) के अन्तर्गत घरेलू उत्पादन को बढ़ाने सहित देश के तेल और गैस भंडारों में वृद्धि करने के लिए किए गए प्रयासों की विदेशों में भी सराहना की गई है। हमें वियतनाम, सूडान और रूस जैसे देशों में चार-पांच ठेके प्राप्त हुए हैं और वहां काम ठीक प्रकार से चल रहा है और वहां हमने जो भी निवेश किया है, उससे हमें लाभ मिलना पहले ही शुरू हो चुका है।

तीसरा विकल्प है ट्रांजिशनल पाइपलाइनों द्वारा एल०एन०जी० का आयात करना। अंतिम विकल्प, जिसका सुझाव कई सदस्यों ने दिया है, वह है ईरान पाइपलाइन की तरह ट्रांजिशनल पाइपलाइन द्वारा हमारे देश में गैस की आपूर्ति करना। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि मंत्रालय के सचिव इसी सप्ताह इस पाइपलाइन के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए तेहरान गए हैं। पाकिस्तान के तेल मंत्री पिछले माह ही दिल्ली आए और इस पाइपलाइन के बारे में विचार-विमर्श जारी है। लेकिन एक अन्य पाइपलाइन भी हमारे पास विचाराधीन है, वह है – तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान – भारत पाइपलाइन। हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और हम इसे एशियाई विकास बैंक की सहायता से कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी पाइपलाइन की योजना जो हम बना रहे हैं वह है – म्यांमार से भारत तक। इसमें कुछ समस्याएं हैं क्योंकि हमें इसे बांग्लादेश से होकर लाना होगा और हम अन्य स्रोतों की तलाश कर रहे हैं ताकि हम अपने देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के माध्यम से इस पाइपलाइन को ला सकें।

पिछले माह घोषित नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के छठे दौर में निवेश प्राप्त करने संबंधी आश्वासन दिए गए थे जो अत्यंत पारदर्शी

और यथार्थपरक हैं। यह बहुत संतोष का विषय है कि पिछले कुछ वर्षों में तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में अत्यधिक वृद्धि के बावजूद, सरकार घरेलू ईंधनों जैसे पी०डी०एस० मिट्टी का तेल और घरेलू रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि न करके उपभोक्ताओं का न केवल संरक्षण करने में समर्थ रही है बल्कि हम मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने में भी समर्थ रहे हैं जिससे पूरी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा है। हमने रसोई गैस की कीमत शायद ही बढ़ाई हैं या बहुत कम बढ़ाई है और मिट्टी के तेल की कीमत में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। मिट्टी के तेल की कीमत पिछले काफी समय से 9 रु० प्रति लीटर ही है। विश्व में कहीं भी मिट्टी के तेल की इतनी कम कीमत नहीं है। उदाहरण के लिए अप्रैल 2002 में ए०पी०एम० के विघटन के बाद से तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में करीब तीन गुणा वृद्धि हो चुकी है जबकि गैस और मिट्टी के तेल की कीमतों में और यहां तक कि घरेलू रसोई गैस की कीमत में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

प्रस्तावित विनियामक बोर्ड तीन कार्य अवश्य करेगा। यह उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करेगा, इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करेगा और प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करेगा। प्रतिस्पर्द्धा बढ़ने से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा जैसा कि अन्य क्षेत्रों में अनुभव रहा है। उदाहरण के लिए, दूरसंचार क्षेत्र में बढ़ी प्रतिस्पर्द्धा के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को पहले ही अत्यधिक लाभ मिल चुका है। इसी तरह जब नागरिक उड्डयन क्षेत्र में केवल इंडियन एयरलायंस ही थी तो हम सबको याद है कि कैसे हम लोगों को मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से वापस मुंबई यात्रा करने के लिए प्रभावित किया करते थे लेकिन अब दिल्ली और मुंबई के बीच 32 उड़ानें हैं। दूरसंचार क्षेत्र में करीब 15-20 वर्ष पूर्व, यदि हमें मुंबई के पास महाबालेश्वर नामक एक छोटे से पहाड़ी स्थान पर जाना होता था तो एक टेलीफोन कॉल करने में पूरा एक दिन लग जाया करता था। तब कॉल दर क्या थी? वह 47 रु० प्रति मिनट थी और अब यह एक रुपये प्रति मिनट भी नहीं है। इसलिए, जब प्रतिस्पर्द्धा रहती है तब दरें सस्ती होंगी और गुणवत्ता भी बेहतर रहेगी।

श्री किन्जरपु येरननायडु : अब विश्व में सबसे सस्ती टेलीफोन शुल्क दर हमारे देश में है।

श्री मुरली देवरा : धन्यवाद। आप ठीक कह रहे हैं। इसलिए, प्रतिस्पर्द्धा होने से तेल क्षेत्र में भी कीमत घटाने में मदद मिलेगी। यदि प्रतिस्पर्द्धा न होती और यदि निजी उद्यमी न होते तो कल्पना कीजिए कि क्या हो गया होता।

महोदय, माननीय सदस्य श्री विजयेन्द्र पाल सिंह ने विद्युत, कोयला तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित पूरे ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक सुपर विनियामक तंत्र का गठन किए जाने का सुझाव दिया था। यद्यपि इन सभी क्षेत्रों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है, फिर भी सुपर विनियामक तंत्र के गठन का सुझाव दो आधारों पर आवश्यक रूप से कार्यशील नहीं है। पहला कारण यह है कि कोयला तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संघ सूची में हैं विद्युत संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में है। दूसरा, यह है कि इनमें से प्रत्येक क्षेत्र की अपनी-अपनी जटिलताएं हैं और यदि एक ही विनियामक इन सभी क्षेत्रों को संभाले तो एक ही विनियामक के पास बहुत ज्यादा अधिकार केन्द्रित होने के साथ-साथ उसकी भूमिका काफी बोझिल हो जाएगी और इसलिए यह व्यवहार्य भी नहीं है।

माननीय श्री सुरेश प्रभु, जो अभी सदन में उपस्थित नहीं हैं, ने यह बात उठायी है कि इस विधेयक के अंतर्गत अन्वेषण और उत्पाद को शामिल क्यों नहीं किया गया है। कई अन्य माननीय सदस्यों ने भी यह मुद्दा उठाया है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे पास तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 नामक एक सुस्थापित विधान पहले से ही है और इसके अन्तर्गत देश में हाइड्रोकार्बन संसाधनों का विनियमन और विकास करने के लिए नियम बनाए गए हैं। सरकार ने हाइड्रोकार्बन के विनियमन और विकास के लिए नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति नामक एक पारदर्शी अन्वेषण नीति बनायी है।

इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, देशी और विदेशी कंपनियों को समान अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। यह नीति बहुत सफल रही है और हाइड्रोकार्बन की खोज द्वारा अच्छा-खासा लाभांश भी दे रही है। इसके सभी तकनीकी कार्यों को हाइड्रोकार्बन के महानिदेशक देखते हैं।

सभा को यह सूचित करते हुए मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है कि राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में तेल के बड़े भंडार पाये गए हैं।

[हिन्दी]

मैं खासकर रावत जी को कहना चाहता हूं कि बाड़मेर, राजस्थान में जहां बहुत बड़ा ऑयल का भंडार निकल रहा है, वहां एक दूसरी 'शैल' कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उन्होंने खरीदा था और उन्होंने ड्रिल किया लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। बाद में यूरोप की 'केन' नामक एक दूसरी कंपनी को बेच बहुत ही सस्ते भाव में बेच दिया और आज कितना ऑयल निकलेगा कि आप समझ नहीं सकते। यह सारा हिसाब, वह कहते हैं भगवान का लिखा हुआ है। कुछ मालूम नहीं पड़ता कि किसमें से कितना ऑयल निकलने वाला है।

[श्री मुरली देवरा]

[अनुवाद]

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में भी हमें तेल के बड़े भंडार मिले हैं। ये सब इसके अच्छे उदाहरण हैं।

मेरे युवा सहयोगी माननीय श्री तथागत सत्पथी जी, कहीं अन्यत्र व्यस्त होंगे। वह यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : मैं यहां उपस्थित हूं।

श्री मुरली देवरा : उन्होंने अपना कुर्ता बदल लिया, इसलिए मैं उन्हें पहचान नहीं सका। लेकिन मैं आशा करता हूं कि वह यह नहीं कहते कि वे किस पार्टी के हैं। वह यह जानना चाहते थे कि प्रस्तावित विनियामक बोर्ड को बोर्ड ही क्यों कहा जाता है, आयोग या प्राधिकरण क्यों नहीं। हमें 'बोर्ड' शब्द से कोई लगाव नहीं है। इन तीन शब्दों यथा प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग में से किसी एक को चुना जाना है।

जहां विद्युत और दूरसंचार के लिए बने विनियामक निकाय का नाम क्रमशः आयोग और प्राधिकरण रखा गया वहीं हमने इसे इस आधार पर, बोर्ड कहना पसंद किया। क्योंकि अधिकांश जनोपयोगी सेवायें आमतौर पर बोर्ड कहलाती हैं। नाम चाहे कुछ भी हो, विनियामक बोर्ड के गठन का उद्देश्य वही रहता है। इसके उद्देश्य और सिद्धांत वही हैं।

कई माननीय सदस्यों ने बोर्ड के गठन के संबंध में विचार व्यक्त किए। श्री जय प्रकाश, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री राम कृपाल यादव, श्री सुरेश प्रभु सहित कई माननीय सदस्यों ने बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए समुचित चयन प्रक्रिया की आवश्यकता और इसके हितों का ध्यान रखने के लिए एक गैर-सरकारी सदस्य को शामिल करने पर बल दिया।

खंड 4 में स्पष्ट रूप से अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के लिए योग्यता निर्धारित की गयी है जिनका चयन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग, प्रबंधन, वित्त, कानून, प्रशासन, उपभोक्ता आदि के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्तियों में से किया जाना है। मेरी इच्छा है कि राजनीतिक व्यक्ति भी इसमें शामिल हों। राजनीतिकों पर कोई रोक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : इनको इंक्लूड कर दीजिए।

श्री मुरली देवरा : हम पोलिटिशियन्स में बहुत रिटायर हो रहे हैं। कल राज्य सभा से बहुत लोग रिटायर हुए जो अभी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं सही बात कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : सर, सबको इंक्लूड कर दीजिए।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा : उपाध्यक्ष महोदय, राजनीतिज्ञ बहुत अधिक योगदान कर सकते हैं। इसलिए यह हमारे विचाराधीन है।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ क्षेत्रों में, वे बेहतर तरीके से योगदान कर सकते हैं।

श्री मुरली देवरा : महोदय, अन्वेषण समिति का प्रमुख सदस्य (ऊर्जा), योजना आयोग को बनाया जाना है जो ऊर्जा क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा ऐसा माना जा सकता है। इसलिए, आशा है कि केवल प्रख्यात और अपेक्षित योग्यता संपन्न व्यक्ति ही बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। उपभोक्ता मामलों के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति भी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पहले से ही योग्य हैं।

श्री जय प्रकाश, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री राम कृपाल यादव और श्री तथागत सत्पथी समेत कई माननीय सदस्यों ने अपमिश्रण, उत्पादों की कम मात्रा देना आदि मुद्दे उठाए हैं। मैं अपमिश्रण पर तीन-चार मिनट बोलना चाहूंगा क्योंकि समितियों में भी अपमिश्रण पर कुछ सवाल उठाए गए थे।

अपमिश्रण का मुख्य मुद्दा है दो उत्पादों के बीच मूल्यों में अन्तर पर आधारित लाभ कमाने का उद्देश्य। श्री येरननायडु आपने ठीक ही कहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डीजल की कीमत 37.57 रु० है जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी के तेल की कीमत है 9.05 रू०। इसलिए डीजल की कीमत, मिट्टी के तेल की कीमत की चौगुनी है। पेट्रोल की कीमत 49.16 रु० है जबकि नेप्था की कीमत केवल 25 रु० है, इसलिए पेट्रोल की कीमत नेप्था की कीमत की दोगुनी है। अपमिश्रण करने से लोगों को मौद्रिक लाभ अधिक होता है। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि हम अपमिश्रण रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। परसों यानी गत रविवार को मैंने पेट्रोलियम कंपनियों के सभी अध्यक्षों की मुंबई में बैठक बुलाई और हम उस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हमने उन्हें और राशि अधिकृत की है। हमने उनके सतर्कता विभागों पर शिकंजा कसने के लिए कहा है और वे ऐसा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज : अगर डीलरों का कमीशन बढ़ा दिया जाए तो मिलावट में कमी आ सकती है।

श्री मुरली देवरा : हां, यह सवाल पहले ही आया था कि अगर उनको इन्सेंटिव नहीं मिलेगा और उनकी कमाई नहीं होगी तो वे काम कैसे करेंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बाधा उत्पन्न नहीं करें।

[हिन्दी]

श्री मुरली देवरा : श्री नायडू जी ने एक प्रश्न उठाया था। उस दिन सभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी थी। हमने वर्ष 2005 एक नयी मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन्स बनाई हैं, जिसके तहत यह प्रावधान है कि जो लोग बदमाशी करते हैं या गलत करते हैं तो पहली इंसिडेंट पकड़ में आने पर ही उनकी डीलरशिप को टर्मिनेट किया जाएगा। यहां पर यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या नया सिस्टम पुराने सिस्टम की तुलना में लूज है। जी, नहीं यह नया सिस्टम बहुत कठोर है, इसमें काफी सुधार हुआ है और आने वाले समय में और अधिक सुधार होगा।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसके अंतर्गत पारित किए गए नियंत्रण आदेश के तहत राज्य सरकारों को कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गयी हैं। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्यों का वितरण विभाग आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रयोग करे और उनपर नजर रखे, सभी राज्य सरकारों को पत्र लिख रहा हूं। हम एक और काम – प्रौद्योगिकीय प्रयास – भी कर रहे हैं। ट्रकों में टैम्पर प्रूफ टैंक ट्रक लॉकिंग सिस्टम और जी०पी०एस० प्रारंभ किया गया है। यह पाया गया है कि जब ट्रक चलना शुरू होता है तब यह पूरा भरा रहता है पर जब गंतव्य तक पहुंचता है तो कुछ मात्रा कम हो जाती है। हम नया लॉकिंग उपकरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो गंतव्य तक पहुंचने के बाद ही खोला जा सके।

अंतत: गांवों, ग्राम पंचायतों में प्रारंभ की जा रही जन किरासन परियोजना के तहत जनता और गैर-सरकारी संगठन आदि किरासन सीधे प्राप्त कर सकते हैं। मेरे एक मित्र ने इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के उस बिक्री अधिकारी का मुद्दा उठाया सि कुछ बेईमान पेट्रोल डीलरों ने गोली मार दी थी। हमने उनके परिवार को पर्याप्त सहायता उपलब्ध करायी है और हम यह भी देखेंगे कि दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाये। जहां तक अपमिश्रण की बात है तो इतना ही मुझे कहना है।

माननीय सदस्यों ने अन्य जो भी सुझाव दिए हैं हम देखेंगे कि उन्हें लागू किया जाये।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : आपकी मिनिस्ट्री में पहले एंटी-एडल्ट्रेशन सेल थी, उसे आपने बन्द कर दिया। स्टैण्डिंग कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि रेगुलेटरी बोर्ड को एडल्ट्रेशन रोकने के लिए अधिकार दिए जाए, आपने वह सिफारिश भी नहीं मानी है। आप एडल्ट्रेशन को गंभीर समस्या मान रहे हैं, लेकिन इस पर नजर कौन रखेगा?

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुदृढ़ है तो कुछ में यह सुदृढ़ नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जो भी आबंटन हम कर रहे हैं उनमें से केवल 30 प्रतिशत का उपयोग वे कर रहे हैं और शेष 70 प्रतिशत की काला बाजारी की जा रही है। इन सभी चीजों से बचने के लिए जहां आवश्यकता हो वहां आपूर्ति की जाये और जहां नहीं है वहां नियंत्रण किया जाये।

श्री मुरली देवरा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक उपमिश्रण पर नियंत्रण करने में विनियामक की भूमिका की बात है तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड विधेयक के खंड II (च) (पांच) के अनुसार बोर्ड पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में खुदरा बिक्री केन्द्र के लिए खुदरा सेवा दायित्वों को विनियमनों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और उन्हें लागू कराया जाएगा। खंड 2(य, ट) के तहत "खुदरा सेवा दायित्वों की परिभाषा में उत्पादों की निर्धारित गुणवत्ता मात्रा की आपूर्ति करने के लिए डीलरों का दायित्व भी शामिल है।

इसलिए यह इस पर नजर रखेगा। चाहे जो हो आपका सुझाव ग्रहण कर लिया गया है और हम इस पर विचार कर बहुत प्रसन्न होंगे कि *(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : महोदय, एक सुझाव यह भी था कि मिट्टी के तेल को रंगा जा सकता है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आपको क्यों तकलीफ हो रही है *(व्यवधान)*

[श्री विजयेन्द्र पाल सिंह]

[अनुवाद]

मंत्री जी इसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुरली देवरा : सिंह साहब, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने अपने जवाब की शुरूआत ही आपकी बात से की थी। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विजयेन्द्र पाल सिंह, यह तरीका नहीं है। पहले आपको अध्यक्षपीठ से पूछना चाहिए और अनुमति लेनी चाहिए। यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री मुरली देवरा : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने सभा का ध्यान अपने क्षेत्रों में एल०पी०जी० की कमी की ओर आकृष्ट किया। वर्तमान में, तेल का विपणन करने वाली कंपनियां देशभर में 9,011 एल०पी०जी० वितरकों के नेटवर्क द्वारा करीब 8.76 करोड़ उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान कर रही हैं। एल०पी०जी० की आवश्यकता का 50 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां उत्पादित कर रही हैं, 25 प्रतिशत भाग गैर-सरकारी तेलशोधक केन्द्रों द्वारा उत्पादित किया जा रहा है और कुल आवश्यकता का 25 प्रतिशत भाग आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है।

मैं रसोई गैस की कमी का कारण बताऊंगा। देश में अक्तूबर-दिसम्बर, 2005 के महीनों के दौरान रसोई गैस की कमी हुई जिसका कारण था आर०आई०एल० तेलशोधन कारखाने का बंद होना और मुंबई हाई में आग लगना। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह ठीक है। मैं जानता हूं कि अभी भी तमिलनाडु के कुछ लोगों ने मुझसे शिकायत की और वे उनकी मरम्मत कर रहे हैं। रिलायंस तेलशोधन कारखाने ने 1 दिसम्बर, 2005 से उत्पादन शुरू कर दिया है और रसोई गैस की आपूर्ति सामान्य स्तर पर पहुंच गयी है। यही सूचना हमें दी गयी है। मैं इस बात से सहमत हूं कि अभी भी शिकायतें आ रही हैं और हम यह कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी शिकायतें फिर नहीं आएं।

तेल विपणन कंपनियों से 15 फरवरी, 2006 तक की तिथि तक करीब 2.8 लाख उपभोक्ताओं की प्रतीक्षा सूची की रिपोर्ट मिल रही हैं और 15 मार्च, 2006 से पहले प्रतीक्षा सूची को निपटाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। उपभोक्ताओं को किसी भी असुविधा से बचाने के लिए मंत्रालय तेल कंपनियों से परामर्श करके वितरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

महोदय, मैंने अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है और मैं उन सदस्यों को, जिनके प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे पाया हूं, आश्वस्त करता हूं कि उन्हें एक सप्ताह के भीतर लिखित उत्तर दे दूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सभा से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : धन्यवाद उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी से मेरा केवल एक प्रश्न है कि ईरान-इंडिया गैस पाइपलाइन का समझौता आप करने जा रहे हैं, आपके अधिकारी वहां जा रहे हैं, उस पाइपलाइन की सुरक्षा की जवाबदेही आपने पाकिस्तान को दी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसका संबंध इस विधेयक से नहीं है।

श्री लक्ष्मण सिंह : महोदय, मैं बहत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसका संबंध इस विधेयक से नहीं है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : पाकिस्तान में 45 प्रतिशत गैस स्वी गैस फील्ड से आती है, जिसकी पाइपलाइन को ब्लूचिस्तान में तोड़ दिया गया है। जब पाकिस्तान अपनी पाइपलाइन की सुरक्षा नहीं कर सकता तो हमारी गैस पाइपलाइन की सुरक्षा कैसे करेगा? अगर आप म्यांमार से गैस पाइपलाइन बिछाते हैं और नार्थ-ईस्ट होते हुए आती है, तो वह क्षेत्र काफी विकसित होगा, वह ठीक रहेगा। इसके अलावा ईरान में 20 प्रतिशत रेट भी बढ़ा दिया है, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र से लाने में कम खर्चा भी आएगा *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसका संबंध इस विधेयक से नहीं है। कृपया बैठ जाइए। और बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं करें।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मुरली देवरा : महोदय, यह कार्रवाई हेतु सुझाव है। हम इस पर विचार करेंगे।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : महोदय, मेरे पास मंत्री जी के लिए विशेष प्रश्न हैं और यह महज एक सुझाव है। मैं आलोचना करने या इस प्रकार की बात करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आपके पास रंगीन किरासन क्यों नहीं है जैसा कि आपके पास लाल रंग का किरासन है ताकि जब भी किरासन में मिलावट होगी, हम जान पाएंगे? इसमें रंग मिलाना मुश्किल नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब भी कुछ भी मिलावट करेगा तो हम उसे जान पाएंगे। इसलिए ऐसा करने का यह बहुत आसान तरीका है। अधिकारी ही ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि वे भी मिलावट में शामिल रहते हैं, यह बात है।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : उपाध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से डिबेट में यह सवाल जानना चाहा था कि जो टेलीफोन रैगुलेटरी बिल था वह वर्ष 2002 में पेश हुआ था उसमें फंडामेंटल बदलाव कर दिये गये, वह क्यों कर दिये?

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : उन्होंने पहले ही इस मुद्दे को उठाया है। यह दुहराव है। यह क्या है? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। अब, श्री रामदास आठवले बोलेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले के भाषण के अलावा और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष जी, पेट्रोल और डीजल के जो रेट दिये गये हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर नहीं हैं। कृपया अपने निर्धारित स्थान पर जाइए।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

आपको पता होना चाहिए कि आठवले जी को तब बुलाते हैं जब डिबेट समाप्त करनी होती है।

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष जी, मेरी सीट आगे थी पीछे कर दी गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप पहले रिक्वैस्ट करते तो मैं अगली सीट से ही बोलने देता।

श्री रामदास आठवले : आप मुझे अब आगे बुला लीजिए। सर, डीजल और पेट्रोल के रेट अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं और इनके रेट मुम्बई में बहुत ज्यादा हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट हर स्टेट में एक होने चाहिए, इस पर आप कोई पॉलिसी बनाइये।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे छोटा सा स्पष्टीकरण चाहिए। मेरा स्पष्टीकरण विषय इस प्रकार है। मैं माननीय मंत्री जी से राजसहायता से संबंधित नीति के बारे में जानना चाहूंगा। राजसहायता संबंधी नीति क्या है? राजसहायता बड़ा मामला है। क्या वे इसे जारी रखेंगे? या वापस ले लेंगे? इसका कारण है कि किरासन पर बहुत राजसहायता दी जाती है। इसलिए इसे जारी रखा जाना चाहिए ताकि गरीब लोग इससे लाभान्वित हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका सुझाव प्राप्त हुआ है।

प्रश्न यह है :

"कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक गैस से संबंधित विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगे हुए उपभोक्ताओं और अस्तित्वों के हितों का संरक्षण करने, देश के सभी भागों में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक गैस का अबाधित और पर्याप्त प्रदाय सुनिश्चित करने, प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों का संप्रवर्तन करने के लिए अपरिष्कृत तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक गैस के परिष्करण, संसाधन, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और विक्रय को विनियमित करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 63 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री मुरली देवरा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.35 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

जम्मू-कश्मीर में शांति को बढ़ावा देने के लिए 25.2.2006 को प्रधानमंत्री, विभिन्न राजनीतिक दलों और कश्मीरी नेताओं के बीच हुए गोलमेज सम्मेलन के निष्कर्ष के बारे में

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में मद संख्या 35 – नियम 193 के अधीन चर्चा ली जाएगी। कार्य मंत्रणा समिति द्वारा आबंटित समय दो घंटे है।

मैं चौधरी लाल सिंह से अनुरोध करता हूं कि वह चर्चा आरंभ करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप की इजाजत से डिस्कशन अंडर रूल 193 पर मुझे चर्चा करने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं और यह कहना चाहूंगा कि यह मसला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी, जिनकी मेहरबानी से हमारी यू०पी०ए० सरकार ने आज जो डिसीजन लिया और जम्मू-कश्मीर में पीस प्रासेज का दौर शुरू किया है। रियासत में शांति बहाली की बातें चल रही हैं। मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ा सर्वप्रिय और मुबारक का काम है। मं होम मिनिस्टर साहब को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राउंड टेबल कांफ्रेंस में जिस तरह से रियासत जम्मू-कश्मीर के संबंध में ध्यान दिया।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा में पूरी शांति चाहता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : वजीरे-दाखिला ने पेन और तकलीफ इस मसले को ठीक करने के लिए उठायी है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 1947 से ही यह शुरू नहीं हुआ। मुझे इस बात का फक्र है कि मेरे स्टेट जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरी सिंह को जब सन् 1931 में गोलमेज कांफ्रेस में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बुलाया था। उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं हिन्दुस्तानी हूं, एक इंडियन हूं, उसके बाद महाराजा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि उस बात से, उस दिन से हिन्दुस्तानी बनने की सजा जो उस महाराजा ने काटी, उसके बाद रियासत जम्मू-कश्मीर में भी अंग्रेजों ने उसी दिन डिवाइड एंड रूल की पालिसी के मुताबिक सन् 1931 में कुछ लीडर्स बनाए। जिन्होंने कम्युनलवाद, इंबैलेंस और उस स्टेट में जो भाईचारा था, उसको डिस्टर्ब किया। यह बड़ी दुखदायी बात है। जो आज तक जारी है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस स्टेट को पहले हमें समझना है कि यह सन् 1947 के पहले क्या था? कौन सी चीजें कौन से एरिया के कारण यूनाइटिड थी और उसकी आइडैंट्टी क्या थी? इस स्टेट में गिलगिट, ब्लूचिस्तान, हूंडा, असगरतू, मुजफ्फराबाद, कश्मीर वैली, लद्दाख, जम्मू रीजन्स इमोशनली यूनाइटिड थे। 1846 में गुलाब सिंह के साथ अमृतसर ट्रीटी हुई थी। ईस्ट इंडिया कम्पनी और महाराजा गुलाब सिंह के बीच जो ट्रीटी हुई, उसके मुताबिक जम्मू-कश्मीर स्टेट जिस तरीके से बनायी गई, मैं उसे बता रहा था कि यह स्टेट डिफरेंट लैंग्वेजेस की है। यहां पहाड़ी, गुर्जरी, डोगरी, कश्मीरी, बालती लद्दाखी स्पीकिंग के लोग हैं। बहुत सी लैंग्वेंजेस होने के कारण इसे इमोशनली युनाइट किया गया। महाराजा गुलाब सिंह ने कश्मीर वैली अंग्रेजों से 75 लाख रुपए में खरीदी थी। वह आज भी उनके नाम से चल रही है। 1931 के बाद क्या हुआ? मौकापरस्त लोगों ने मुस्लिम और इस्लामिक तरीके से लड़ाने की कोशिश की। उन्होंने हिन्दू, मुसलमान, सिख लोगों के बीच फसाद कराने की कोशिश की, जिस का रिजल्ट 1947 में देखने को मिला। यह बहुत दुख की बात है कि दो कंट्रीज बन गई। उसके

बीच में तीसरा बीज बोया गया। पाकिस्तान ने हमलावर भेजे और हमला करवाया जिससे कश्मीर, जम्मू का कुछ एरिया यानी वन थर्ड जम्मू-कश्मीर का एरिया कैप्चर कर लिया गया। 20 अक्तूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने हिन्दुस्तान के साथ इन्स्ट्रूमैंट ऐक्सेशन किया। हिन्दुस्तान की फौजे जम्मू-कश्मीर में गईं। जब जम्मू-कश्मीर में फौजें आगे बढ़ रही थीं। इसके आगे फिर देखने की बात है। अफसोस की बात है कि उस जमाने की गवर्नमैंट को मिसलीड किया गया। हमारी फौजें कहीं दूसरी जगह जाकर रुकवा दीं। उसे रुकवाने का कारण यह था कि वे कुछ लोगों का डौमिनेशन चाहते थे। वह इलाका निकलाने से कुछ नहीं हो सकता था। हम इसका आज भी खामियाजा भुगत रहे हैं। जो पहाड़ी स्पीकिंग एरियाज हैं, जिसे मैक्सिमम एरिया को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, हम उसे गुलाम कश्मीर कहते हैं, वह आज भी पाक ऑक्यूपाइड है। वे 24 सीटें आज भी हमारी असैम्बली में खाली पड़ी हैं। बाहर के लोग माइग्रेट होकर जम्मू-कश्मीर आए। आपको हैरानगी होगी कि सारे सो-कॉल्ड पॉलिटिशियन्स ने रातों-रात ट्रकों में बैठा और उठा करके सिखों और कुछ दूसरे लोगों को कश्मीर से बाहर निकाल कर जम्मू भेज दिया। वे जम्मू-कश्मीर के होते हुए भी आज भी माइग्रेंट्स हैं, रिफ्यूजी हैं लेकिन उनको रिफ्यूजियों का भी अधिकार नहीं मिल पाया है। अफसोस की बात है कि जो रिफ्यूजी पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आए, उनको पूरी फैसिलिटीज मिलीं। उनको एजुकेशन मिली, जमीन मिली, दुकानें मिलीं, बिजनेस मिला लेकिन जो लोग वैस्ट पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में आए, उनको न हक मिला, न रिसपैक्ट मिली, न घर मिला। वे आज भी हवा में लटके पड़े हैं। 80 हजार के करीब तीन जैनरेशन हो गई। उन्हें न तो जम्मू-कश्मीर के राशन डिपो से राशन मिलता है, न आई०एम०आई० का मकान मिलता है, न उन्हें असैम्बली में वोट डालने का अधिकार है और न ही पंचायत के वोट डालने का अधिकार है। वे सिर्फ पार्लियामेंट के लिए वोट डालते हैं। हम पचास-साठ सालों से उनसे वोट लेते हैं और उन्हें बेवकूफ बनाते हैं और कहते हैं कि वोट डालो, हम आपकी बात करेंगे लेकिन मसले का कुछ नहीं हुआ है। वर्ष 1948 को श्री नेहरू जी और शेख साहब ने क्या किया था, जब लोग पाकिस्तान से आए तब उन्होंने कहा — आप जम्मू ठहर जाओ, जैसे जम्मू के लोग रह रहे हैं, जैसे जम्मू-कश्मीर के लोग रह रहे हैं, आपको वैसे ही अधिकार देंगे। उनकी श्योरिटी और गारंटी के साथ वे वहां टिक गए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक उन लोगों का कुछ नहीं हो पाया है। आज भी उनके बच्चे अनपढ़ मिलेंगे, वे लोग बगैर नौकरी के मिलेंगे, उनके परिवार का एक भी आदमी नौकर नहीं है।

[अनुवाद]

80,000 लोगों में से एक भी व्यक्ति नौकर नहीं है।

[हिन्दी]

इसी प्रकार से आधे मिलियन लोग पी०ओ०के० से आए। अफसोस की बात है कि उन बेचारे गरीबों का कुसूर यह था कि वे जम्मू-कश्मीर के ही लोग थे क्योंकि आज भी मुज्जफराबाद को जम्मू-कश्मीर में ही गिना जा रहा है। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि आज भी पी०ओ०के० के लोग, जो वहां रह रहे हैं, अपने आपको आज भी पाकिस्तानी कंसीडर नहीं करते हैं। आप पूछ कर देख लें वे कंसीडर नहीं करते हैं। जब मैं वहां मिनिस्टर था, ये भी मिनिस्टर थे, हमारे साथी जो वहां फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनहें एक चिट्ठी आई, उसमें कहा गया था कि हमारे जंगल काटे जा रहे हैं क्योंकि वे आज भी नहीं मानते कि वे जम्मू-कश्मीर के ही मिनिस्टर हैं इसलिए वे कुचले गए। यह बहुत बड़ी बात है कि बहुत से मौकापरस्त लीडर्स हैं। मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी ने हमेशा जम्मू-कश्मीर के साथ रियायत करने की कोशिश की है। लेकिन हमें दु:ख है कि हमारे सौ-कॉल्ड लीडर्स, कुर्सी पर ऐसे पॉलिटिशिएन्स आए, चाहे वे जिस भी पार्टी के थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज वहां की पिक्चर साफ रखने का सवाल है। मेरा मकसद है कि जम्मू-कश्मीर की पिक्चर धुंधली न दिखे। कुछ लीडर्स, जो प्राइम मिनिस्टर, जम्मू-कश्मीर का वजीर-ए-आजम बनना चाहते थे, जब वे कुर्सी पर आए, उस समय हिन्दुस्तान जिंदाबाद हो गया और जब वे कुर्सी से चले गए तो ऑटोनोमी हो गया। उसके बाद फिर लीडर्स के पास कुर्सी आ गई। हिन्दुस्तान के होम मिनिस्टर, हिन्दुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर और हिन्दुस्तान के प्रेजीडैंट बनने वाले थे, वहां जाकर जहर घोलते हैं।

[अनुवाद]

यह बात हम भली-भांति जानते हैं।

[हिन्दी]

यह वहां का मुस्लिम जानता है, वहां का कश्मीरी जानता है, वहां का हिन्दू जानता है और वहां का सिख जानता है।

[अनुवाद]

ये तो हद हो गई है।

[हिन्दी]

आज वे कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर को डिमिलिट्राइज कर दो। जम्मू-कश्मीर में कहा गया कि आर्मी हिन्दुस्तान की होगी, खुद लिखकर दिया। जब वहां हिन्दुस्तान की आर्मी और एन०एस०जी० के कमाण्डो, ब्लैक बैल्ट कमांडो घूम रहे हैं, उनके साए में रह रहे हैं, वे लोग कह रहे हैं कि लोगों को मिलिट्री न मिले हमें मिले, हमें चैम्बर भी

[चौधरी लाल सिंह]

मिले, हमें पूरी फैसिलिटी मिले, हमारे घर में भी गार्ड दो और बाहर भी गार्ड दो ताकि जगह-जगह हमारी बातें चलें। लेकिन जब इन लोगों की बारी आती तब डिमिलिट्राइज करने की बात कहते हैं।

[अनुवाद]

वे केवल आतंकवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

[हिन्दी]

उन्हें खुश करने की बात कहते हैं। आप परसों की होम मिनिस्टर की स्पीच उठा कर देखें, मैं इसे नॉलेज में लाना चाहता हूं, 16 तारीख की स्पीच मंगवाइए। एक लीडर यहां बैठते हैं, वे स्पीच कर रहे है कि हिन्दुस्तान ने दिया तिरंगा, हिन्दुस्तान ने दिया जन-गण-मन, हिन्दुस्तान ने दी आर्मी और हिन्दुस्तान ने छीना पानी और दिया पाकिस्तान को। अगर आपको कोई बचा सकता है तो सिर्फ सैल्फ रूल बचा सकता है।

[अनुवाद]

ये तो हद हो गई है।

[हिन्दी]

आप किन लोगों के साथ बैठते हैं? कौन लोग हैं जो मरवाना चाहते हैं?

[अनुवाद]

वे शोषक हैं।

[हिन्दी]

70 हजार कश्मीरी, हिन्दू, मुस्लिम, सिख मरवा दिए, लेकिन अब तक उनको * नहीं आई, क्या और मरवाना चाहते हैं? मेरी रिक्वेस्ट है कि वर्ष 1931 का जो सीन हुआ, जो हमारी बातें आगे आईं, जो इस देश में हुआ, 20 अक्टूबर, 1947 को ऐसी बातों के बारे में कोशिश की गई *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस लफ्ज को डिलीट कर दें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : चौधरी लाल सिंह, मुझे मालूम है कि किसे कार्यवाही वृत्तांत से निकालना है और किसे नहीं निकालना है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

चौधरी लाल सिंह : महोदय, आप मेरे द्वारा कहे गए शब्दों के भी संरक्षा हैं।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : महोदय, कृपया माननीय सदस्य को गोलमेज सम्मेलन के मुद्दे के बारे में बात करने के लिए कहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : चौधरी लाल सिंह, कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : सर, मैं कंक्लूड तभी करूंगा, जब थोड़ा रह जायेगा। आप यह देखें कि पाकिस्तान ने कुछ लीडर्स से मिलकर, जिसे वह आजाद कश्मीर कहता है और हम गुलाम कश्मीर कहते हैं, वह वाकई गुलाम है, उसने उस कश्मीर में बेस कैम्प बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि वह दुनिया को बता सके कि ये कश्मीरी लोग हैं, देखों ये खुद तैयारी कर रहे हैं और जम्मू-कश्मीर तथा हिन्दुस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। वे बेस कैम्प जम्मू-कश्मीर और हिन्दुस्तान को कंफ्यूज करने के लिए नहीं चल रहे हैं। अब वह आगे बढ़ना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि वह जम्मू-कश्मीर को कैप्चर करे।

महोदय, कल जो सरकार में थे, आज उन्होंने कहना शुरू किया है। परवेज मुशर्रफ ने सैल्फ रूल कहा तो जम्मू-कश्मीर में एक पार्टी उठी और उसने भी सैल्फ रूल कहा। यह क्या हुआ? आपने भी सैल्फ रूल कहा। आप पी०ओ०के० में पूछो कि क्या वहां सैल्फ रूल है? उन पहाड़ी लोगों से और जम्मू-कश्मीर के मुसलमानों से पूछो, जो वहां रह रहे हैं। आप उनकी पोजीशन देखें।

[अनुवाद]

वे जम्मू-कश्मीर के लोगों से भी अधिक कुंठित हैं।

[हिन्दी]

वे कहते हैं सैल्फ रूल और हमारे वाले भी उनकी नकल करके सैल्फ रूल कहते हैं। ये बातें सोचने की है। हिन्दुस्तान की बहुत सी स्टेट्स में 45 परसैन्ट वोट्स पड़ते हैं। जम्मू-कश्मीर में भी 45 परसैन्ट वोट्स पड़े। फिर ऐसी कौन सी बात है कि वहां सैल्फ रूल नहीं है। कौन सी ऐसी बात है कि वहां वोट्स नहीं पड़ रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है कि वहां लोगों की पूछ नहीं जा रहा है। मैं कहता हूं कि जितना डेमोक्रेटिक राइट्स जम्मू-कश्मीर को दिये गये, उन्हें चंद लोगों ने बर्बाद कर दिया। वहां जितना पैसा जाता है और वहां कुछ

लोगों ने खाने का इतना मुंह खोल रखा है। मैं समझता हूं कि उन्हें सीना पड़ेगा। *(व्यवधान)*

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : कांग्रेस के लोग अब जान गये हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया सभा में साथ-साथ न बोलें।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : आप देखें कि जो हमारे पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, जो एल०ओ०सी० पर राजौरी से उरी, पुंछ, करनाल और कुपवाड़ा एक टोटल बैल्ट है, इसमें जो एरिया पड़ता है, वह कश्मीरी नहीं है। पहले आप अपना कंफ्यूजन दूर करें।

[अनुवाद]

सर्वप्रथम आप इस विषय के बारे में अपना भ्रम दूर कीजिए। जम्मू-कश्मीर में 1947 से पूर्व और 1947 के बाद भी केवल 20 प्रतिशत लोग कश्मीरी बोलते हैं।

[हिन्दी]

यह बात कंफ्यूज करने की है। यह बात किसी को फंडामैन्टल टीका लगाने की और किसी को जहर भरने वाली है। मैं आपको बतात हूं कि अभी वहां जो झंडा फहराया गया। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, डा० मनमोहन सिंह वहां गये थे। जब उन्होंने वह रास्ता खोला और प्रधान मंत्री जी ने श्रीनगर में इनऑगुरेशन किया, जहां ब्रिज बना है। उस ब्रिज के पार पाकिस्तान के झंडे लगे थे। वहां पाकिस्तान झंडे नहीं लगा सकता।

[अनुवाद]

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में आता है और वह क्षेत्र भारत सरकार का है।

[हिन्दी]

लेकिन हिन्दुस्तान की तरफ क्या लगा था। अफसोस की बात है कि इधर परवेज मुशर्रफ का बहुत बड़ा होर्डिंग लगा था, उसके साथ सी०एम० का होर्डिंग लगा था और उसके बाद हमारे प्रधान मंत्री जी का होर्डिंग लगा था। लेकिन वहां हमारा तिरंगा झंडा नहीं लगा था। यही सब चीजें हैं, जो वहां कंफ्यूज कर रही हैं। यही वे सब क्रिएट कर रहे हैं। आप देखें कि वहां जो होर्डिंग लगते हैं, जैसे आए वहां जाते हैं तो पहले पी०एम० या होम मिनिस्टर का शुरूआती पोस्टर लगा होगा। लेकिन जब आप जाओगे तो इनका किसी का पोस्टर नहीं होगा। ये सब बातें सोचने की है।

इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि लोगों की विचार-धारा कैसे बदली जा रही है। यहां तक कहा गया कि मदरसे चलाने से एजुकेशन मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर और हिन्दुस्तान के दूसरे मदरसों में कोई फर्क है?

[अनुवाद]

आपको उसे देखनी चाहिए और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहिए क्योंकि वे भारत विरोधी और जम्मू-कश्मीर की जनता-विरोधी हैं।

[हिन्दी]

उसे कंट्रोल करिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए क्योंकि मेरे पास वक्ताओं की लम्बी सूची है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : मैं कनकलूड कर रहा हूं। यह बहुत बड़ी बात है कि उस समय के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री चन्द्रशेखर जी, गूजरों की आबादी में गये थे, गदियों के पास गये, उन्हें शेडयूल्ड ट्राइब्ज़ का दर्जा दिया। यह बहुत ही बढ़िया बात हुई थी। उन लोगों को लगा कि उन्हें पूछा गया है। वे बड़े ही मिकदार लोग हैं लेकिन उस समय एक झटका लगा कि जो पहाड़ी बोलने वाले लोग थे, उन्हें इग्नोर कर दिया गया। उनके लिये रिकमैंडेशन्स लगातार आती रही हैं लेकिन न जाने कहां रुक जाती है? उनमें हिन्दू-मुसलमान-सिख सभी हैं जो पहाड़ी लैंग्वेज़ बोलने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि पहाड़ी बोलने वाले लोगों को स्पेशल स्टेट देते तो यह बात लिखकर ले लो कि आजाद कश्मीर वाले लोग समझते कि हम उनके रिश्तेदार हैं। इससे एक बेहतर हवा जायेगी। वे हमारी तरफ देख रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही मुबारक बात है। सरकार ने 8वीं शेड्यूल में डोगरी भाषा को रखा है, इससे गूजरी और पहाड़ी लैंग्वेज की स्ट्रैंथ बढ़ी है। आपकी फिज़ा में बहुत ही फर्क आया है।

उपाध्यक्ष जी, 1947 से लेकर 1965, 1971, 1989 तथा जब 1999 में कारगिल हुआ, उस समय भी माइग्रेंट्स अउये। हमारे कई

[चौधरी लाल सिंह]

लोग माइग्रेट हुये हैं। जम्मू-कश्मीर में, छम्ब और बटाला के अंदर माइग्रेंट्स हुये हैं। जब क्रॉस फायरिंग होती है या शैलिंग होती है, तो उस से लोग मरते हैं। हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि वे सैटल हुये थे। मैं यही कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके, उनके लिये करिये। हम लोगों ने यह भी कहा था कि उन्हें सेफर प्लेस पर 5-5 मरले जमीन दीजिये और मेरा विश्वास है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस मुतलिक फैसला करके देनी चाहिये। इस काम को जल्दी करा देने से उनके हक की बात पूरी हो जायेगी।

उपाध्यक्ष जी, आज जम्मू-कश्मीर में दो कैपिटल बने हुये 150 साल हो गये हैं। एक जम्मू और दूसरी श्रीनगर। आपको जानकर हैरानी होगी कि कश्मीर का अपना अलग रेडियो स्टेशन और टी०वी० सैंटर है। वह अपने रेडियो स्टेशन से अपना नाम कहता है लेकिन जम्मू का रेडिया स्टेशन अलग है, वह कभी अपना नाम अलग से नहीं कहता है। जब महाराजा जम्मू से वहां गये थे तो वह कैपिटल बनी थी। मेरे कहना है कि इस तरह का कनफ्यूज़न बाहर निकालिये। जो देशभक्त लोग हैं, उन्हें स्ट्रैंथ दें। आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। आप इन 'सो काल्ड' लोगों को प्यार से दबका कर, जो काम कराना चाहें, वह हो सकता है यह सरकार की पौलिसी भी है।

उपाध्यक्ष जी, कश्मीर का तीन हिस्सों का पहाड़ी इलाका है। जम्मू का पहाड़ी इलाका टोटली बाहर है। वहां की सरकार ने एक वज़ीर कमीशन बनाया था। कश्मीर को तीन हिस्सों बांटने के वक्त जब इंसाफ की बारी आई तो उसने जम्मू के लिये तीन जिले और एक जिला वैली के लिये रिकमैंड किया। मैंने इस बात को बार-बार कहा है। केवल डोडा-कठुआ जिला 1000 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। जितना लद्दाख का एरिया है, उतना हिमाचल प्रदेश है।

अपराह्न 5.00 बजे

जितना बड़ा हिमाचल प्रदेश है, उतना ही लद्दाख का क्षेत्र है। आप हैरान होंगे कि तीन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कहा, लेकिन नहीं बनाए क्योंकि उनका एक बनता है। आप पॉपुलेशन देखिये, एरिया देखिये, माइग्रेशन देखिये, सब जम्मू में सैटल हुए हैं। इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। आप कंप्रीहैन्सिव सैटलमैंट करिये, चाहे पी०ओ०के० के लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जो भी माइग्रेट होकर आए हैं, उनका कंप्रीहैन्सिव सैटलमैंट करना पड़ेगा। राजौरी, पुंछ और भदरवाह के जो पहाड़ी बोलने वाले लोग हैं, उनको स्टेटस देना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि 1971 में मरहूम श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ एक अकार्ड किया था जिसका आज तक पता नहीं चला। उस समय पाकिस्तान की 92000 फौज हमारे कब्जे में थी और मैडम ने सब कुछ कर लिया था। फिर 1975 में इंदिरा शेख अकार्ड हुआ, जिसमें स्टेट और सैन्टर के रिलेशंस तय किये गये। मेरे कहने का मकसद है कि स्टेट और सैन्टर के रिलेशंस को कायम रखने के लिए जो इंदिरा-शेख अकार्ड हुआ, उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अंत में दो तीन बातें और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। आपने आधे घंटे से भी अधिक समय ले लिया है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : मैं खत्म कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको सब कुछ याद है। हिन्दुस्तान में चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, कभी किसी सरकार ने पाकिस्तान या जिस किसी देश से भी हमारी लड़ाई हुई, तो एक इंच ज़मीन भी नहीं जाने दी। कारगिल के एक पत्थर के लिए कितने लोग शहीद करवा दिये। क्या हम ग्लोरियस कश्मीर ऐसे ही बरबाद हो जाने दें – आपको इसे समझना पड़ेगा। आज वहां आग लगाकर, पुल उड़ाकर, बिल्डिंग्ज़ जलाकर, एजुकेशन को डिसटर्ब करके, जम्मू कश्मीर के शरीफ कश्मीरी चेहरे, जो हमेशा हंसते रहते थे, आज वे बुझे रहते हैं। वहां सबसे ज्यादा डैफ एंड डंब बच्चे पैदा हुए हैं। कहीं ब्लास्ट हो रहा है, कहीं गोलियां चल रही हैं। आज जो बच्चे 18-20 साल के हो गए हैं, उनको पता नहीं कि उन्होंने अपनी जिन्दगी में क्या देखा – यह सबसे महत्वपूर्ण इश्यू है। आप देखें कि जब वे बच्चे सड़क पार करते हैं तो ऐसे देखते हैं कि कहीं से कोई गाड़ी न आ जाए।

[अनुवाद]

उन्हें आतंकवाद के कारण भ्रम है।

[हिन्दी]

वहां कोई मिलिटैन्सी को सपोर्ट नहीं करता, लोग सिर्फ दबाव में हैं। कुछ लोग पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर, एक बड़ा ग्रुप बनाकर आए। उन गुंडों का मन करता है कि जब हम किसी को लीडर बनाते हैं तो क्यों न खुद ही बन जाएं। वे लोग कौन हैं? वे हुर्रियत कान्फ्रैन्स के लोग हैं। डाउनटाउन कश्मीर के ही गुंडों ने इकट्ठे होकर हुर्रियत कॉनफ्रैन्स बना दी। वे कहते हैं कि उनका ही ठेका है। जम्मू के लोग उनको नहीं जानते, लद्दाख के लोग नहीं जानते, कश्मीर के

लोग भी नहीं जानते। वे कहते हैं कि हमें इस्लामिक कंट्री बना दीजिए, वहां सैक्यूलरिज़्म खत्म कर दो, इसकी तबाही कर दो और इसीलिए वे मीटिंग अटैन्ड करने की कोशिश करते हैं। मुझे खुशी है कि जो कोशिशें माननीय प्रधान मंत्री जी और मैडम सोनिया गांधी जी के द्वारा हो रही हैं और जिसका क्रियान्वयन होम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, मैं यकीन से कहता हूं कि कोई किसी की परवाह किये बिना कितनी बड़ी स्पीच करता है, कितनी अंग्रेजी बोलता है, कितना विदेश में पढ़ा है, सारे मिलिटैन्ट्स के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और वहां वाले इन्होंने मार दिये हैं। सबकी शादियां विदेशों में जाकर करते हैं और हम इनको शादी की मुबारकबाद देते हैं कि आपने पाकिस्तान के फलां बंदे के साथ शादी करवा दी, अगर हम इसे डिसकरेज नहीं करेंगे तो उनका हौसला बढ़ता रहेगा।

[अनुवाद]

कट्टरवादियों का दमन किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

इमें इस देश को यूनाइट करना है। इसके लिए कोई कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए लिए कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी, कभी भी उठकर कुछ भी लिख देता है – कभी लिख दिया जाता है कि महाराणा प्रताप सिंह नहीं थे, राजा रामचंद्र नहीं थे, कृष्ण भगवान नहीं थे, कोई कहता है कि श्री राजीव गांधी ने यह कर दिया – लेकिन किसी की भी आज तक चमड़ी नहीं उधेड़ी गई है। जब भी किसी का मन करता है, कुछ भी लिख देता है। जो मर्जी खबरनामा बन जाता है। लेकिन आज भी वहां के लोगों का विश्वास है तो सिर्फ लोकतंत्र पर है। मैं कह सकता हूं कि हमारे सांसद, एम०एल०एज० या सरपंच से आज भी लोग अपने काम करवाने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि आप लोगों ने वहां जो नुमाइंदे भेजे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या दूसरे विभाग में हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। लोगों का एक्सप्लाएटेशन बढ़ा है। महोदय, बात कहां की कहां चली जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

चौधरी लाल सिंह : आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि हमें जम्मू-कश्मीर को यूनाइट करना पड़ेगा। पी०ओ०के० के लोग हमारे भाई हैं। वे तकलीफ में हैं। यह तकलीफ चौधरी लाल सिंह के दिल में है, जम्मू-कश्मीर के हर वाशिंदे, हर बच्चे को तकलीफ है। पी०ओ०के० के लोग मर रहे हैं। हमारे भाइयों को आजाद कराइए। कोई एग्जाइल में है, मेहरबानी करके इन्हें बचाइए। पाकिस्तान किस बाग की मूली है, जो हमसे बात कर सके और हमारी स्टेट को कुचलने की कोशिश कर सके। हमारी जो मिल्ट्री है, पेरामिल्टरी फोर्सिस हैं, आर्मी है, आप उन्हें एन्करेज कीजिए, डिस्करेज नहीं। आप उन्हें कहते हैं कि कुछ मत करो। फौज ने सारी फेंसिंग तोड़ कर दीवारें बना दी हैं। आजकल बड़ी-बड़ी दीवारों के अंदर फौज रहती है। अगर फौज दीवारों में रहेगी, तो अवाम का क्या होगा? इसलिए यह बात सोचिए कि फौज क्यों दीवारों के अंदर है। इसका भी एक कारण है। वे बातें आपको सुननी पड़ेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

चौधरी लाल सिंह : मेरी एक प्रार्थना है और मुझे इस बात की खुशी है कि यू०पी०ए० सरकार के नेतृत्व में हमारी तीनों शक्तियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं क्योंकि पहली बार जम्मू-कश्मीर के लोगों को लगा कि हमारे पास हिन्दुस्तानी चीफ मिनिस्टर है। लोग कहते हैं कि शुक्र है कि हिन्दुस्तानी चीफ मिनिस्टर है। लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी ही सारा मसला ठीक हो जाएगा। आप किसी बात की परवाह मत कीजिए। होम मिनिस्टर साहब, सारे जम्मू-कश्मीर के लोग आपके साथ हैं, लेकिन हमारे जिन लोगों ने जम्मू-कश्मीर के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं करते हैं। जो एस०पी०ओज़० है, बी०डी०सी० हैं, उन्हें कुछ नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चे मरवा दिए, एस०पी०ओज़०, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दीं, एस०पी०ओ० पुलिस वाला होता है, जिसे कांस्टेबल कहते हैं, उसे सिर्फ 1500 रुपए तनख्वाह मिलती है, कभी मिलती है और कभी नहीं भी मिलती। बी०डी०सी० जो बंदूक उठाकर आतंकवादियों से लड़ता है, आज उसके बच्चे मर रहे हैं। उनके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाना चाहिए। आप कृषि पर भी ध्यान करें। पाकिस्तान क्या करेगा, अगर हम अपने पानी का इस्तेमाल अपनी मर्जी से करें। पाकिस्तान कौन है? हमारा पानी है, हिन्दुस्तान का पानी है। पाकिस्तान बीच में कहां से आ गया? पहाड़ हमारे हैं, पानी हमारा है। वह कहता है कि वक्त गुजर गया। पहले कहते थे कि हमें बिजली बनानी नहीं आती। अब बिजली बनानी आती है। हम अपना पानी लेंगे और पूरे हिन्दुस्तान में पानी देंगे। बाद में पानी पाकिस्तान जाएगा।

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का मुझे मौका दिया है। मैं चौधरी लाल सिंह को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने बड़े जोर-शोर से और बढ़िया ढंग से कश्मीर की बेसिक समस्या को, कश्मीर के आम लोगों की समस्या को, जम्मू-कश्मीर प्रदेश की समस्या को सदन में रखने का काम किया है। आप जानते हैं कि पंजाब और कश्मीर का सम्बन्ध क्या

[श्री अविनाश राय खन्ना]

है। हम दोनों पड़ोसी राज्य हैं। कश्मीर में अगर कोई घटना होती है, तो पंजाब सबसे पहले उसके बारे में जानता है। इनकी नब्ज, पहनावा, बोली, भाषा, रहन-सहन सब पंजाब से मिलते हैं, इसलिए हम जम्मू-कश्मीर को अच्छी तरह से जानते हैं।

महोदय, आज जब मुझे अपनी पार्टी की ओर से सबसे पहले बोलने के लिए कहा गया, तभी मैं समझ गया कि मुझे सबसे पहले बोलने का मौका क्यों दिया जा रहा है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जब कश्मीर के लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, जब उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया जा रहा था, तो कश्मीर के लोगों ने कहा कि पंजाब में जाकर गुरू तेग बहादुर सिंह जी से इस बारे में कहा जाए और उनसे मदद प्राप्त की जाए। तब कश्मीर के लोग, पंजाब में हमारे नौवें गुरू तेग बहादुर जी के पास आए और उनके सामने अपनी समस्या रखी कि कश्मीर में हमारा जबर्दस्ती धर्म-परिवर्तन किया जा रहा है तथा निवेदन किया कि हमारी मदद की जाए, उन्होंने कहा कि आज इस देश को किसी महान् व्यक्ति की शहादत की जरूरत है। उनके एक नौ वर्षीय पुत्र गुरू गोविन्द सिंह थे, जिनका बचपन का नाम गुरू गोविन्द राय था। जब उन्हें यह बात पता लगी, तो उन्होंने कहा कि पिताजी आपसे अच्छा और महान् व्यक्ति इस जगत में और कौन हो सकता है। उसके बाद, हम सब जानते हैं कि गुरू तेग बहादुर जी ने कश्मीरियों के लिए, दिल्ली के चान्दनी चौक में अपना बलिदान दिया था।

महोदय, पंजाब में एक कहावत है कि कुटुम कुपत्त भले हो जाए, लेकिन ग्वांडी कुपत्त नहीं होना चाहिए। हम दोनों पड़ोसी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। कश्मीर में भूचाल आया, तो मैं खुद पंजाब से राहत-सामग्री लेकर मदद करने के लिए कश्मीर गया, लेकिन हमें बॉर्डर पर रोक दिया गया। हमसे कहा गया कि हमारी सरकार ने मदद के लिए सामग्री लाने पर रोक लगाई है, इसलिए हम इसे बिना टैक्स के बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देंगे। टैक्स चुकाओ और ले जाओ। हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने जब बात की, तब कहीं जाकर हमें राहत सामग्री के साथ बॉर्डर क्रॉस करने दिया गया। हमारे मन में था कि हम कश्मीर के लोगों की इस विपत्ति के समय में सहायता करें, इसीलिए हम वहां गए।

महोदय, अगर हम हिन्दुस्तान को पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो दुनिया में जितनी भी इंटरनल और एक्सटर्नल टैरिज्म में एक्सपोर्ट लोग हैं या सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उनके अनुसार जो मोस्ट अफैक्टेड कंट्री है, वह इंडिया है। हिन्दुस्तान में 1994 से लेकर 2005 तक, कम से कम 50 हजार लोगों की जानें टैरिज्म ने ली हैं। मैं साउथ एशिया टैरिज्म पोर्टल पर सर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि की इसी प्रकार का सर्वेक्षण करने वाली एक संस्था एस०ए०टी०पी० है। उसने एक सर्वे कर के बताया है कि हिन्दुस्तान में 1994 से लेकर जून, 2005 तक टैरिज्म की घटनाओं में 23955 टैररिस्ट्स, 19662 सिविलियन और 7320 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं। बहुत से अन्य देशों में भी यह समस्या है, जिनमें यू०एस०ए०, यू०के०, इजरायल और श्रीलंका आदि शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टैरिज्म की समस्या भारत में है और भारत में भी जम्मू-कश्मीर में है। हमारे सिक्योरिटी एनैलिस्ट, श्री उदय भास्कर ने पाइंट आउट किया है कि टैररिस्ट्स इंसीडेंट्स दुनिया में सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान में हुए हैं। लंदन की इंटरनैशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ने रिसर्च स्टडी कर के बताया है कि 18 हजार के करीब पोटेंशयल टैररिस्ट्स हैं, जिनकी टैरिज्म फैलाने में कमांड है और वे दुनिया के 60 देशों में टैरिज्म एक्टीविटीज बढ़ाने में लगे हुए हैं। वे भारत में कितने हैं, हम सब यह जानते हैं।

अभी लाल सिंह जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कश्मीर के बारे में उठाया। मैंने इनसे भी बात की थी, इनके साथ मदन लाल जी बैठे हैं, उनसे भी बात की थी। उनको मैंने पत्र भी लिखे थे और वह मैटर मैंने नियम 377 में भी उठाया और उसका जवाब भी आया। माननीय होम मिनिस्टर यहां बैठे हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि जम्मू-कश्मीर के उन लोगों, जो जम्मू में अभी भी रिफ्यूजी बनकर बैठे हैं, आज देश के 59 साल आजादी के हो गये हैं, अभी भी वे लोग असेम्बली में वोट नहीं डाल सकते। अगर वे वोट नहीं डाल सकते, न वे पंच बन सकते हैं, न सरपंच बन सकते हैं, न ब्लाक समिति के मैंबर बन सकते हैं, न एम०एल०ए० बन सकते हैं, अगर वे नहीं बन सकते तो फिर उनको कौन पूछेगा? यहां तक कि जब मैं वहां उनकी कांफ्रेंस में गया तो लोगों ने बताया कि उनका जो अपना काम था, कई बार वे रेहड़ी लगाकर भी कर लेते थे, लेकिन आज सरकार ने उनसे पूछना शुरू कर दिया है कि अगर आपके पास स्टेट सबजैक्ट है, आपके पास राइट टू वोट है, आप जम्मू-कश्मीर के नागरिक हैं, तब तो आप रेहड़ी लगा सकते हैं, नहीं तो न तो आपके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमीशन मिलेगा, न गवर्नमेंट कालेज में एडमीशन मिलेगा तो वे सपना भी नहीं ले सकते कि वे मैडीकल कालेज में जायें या इंजीनियरिंग कालेज में जायें। लाल सिंह जी ने सच कहा है कि उनके एक लाख परिवार हैं, एक लाख परिवार का मतलब चौथी पीढ़ी आज आ चुकी है। 3-4 लाख लोगों के पास स्टेट सबजैक्ट नहीं है, आज वे जम्मू-कश्मीर में राइट टू वोट के लिए लड़ रहे हैं ताकि वे विधान सभा में वोट डाल सकें और अपने को रिप्रेजेण्ट कर सकें, उनको वोट का राइट नहीं है। इसलिए सारे हिन्दुस्तार के जितने पाकिस्तान से लोग आये थे, उनको राइट टू वोट है, क्या यह ह्यूमन वायलेशन नहीं है, क्या यह माइनोरिटी के खिलाफ एक वायलेशन नहीं है। क्या ये 10 लोग

बैठे हैं, उनके खिलाफ वायलेशन नहीं है? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन लोगों के मामले में आप इण्टरवीन करिये। लाल सिंह जी, वहां आपकी सरकार है, आप इण्टरवीन करिये और कम से कम उन लोगों को राइट टू वोट दीजिए, स्टेट सबजैक्ट बनाइये।

अफसोस की बात है कि 120 दिन से वे लोग जंतर-मंतर के ऊपर बैठकर धरना दे रहे हैं, लेकिन किसी भी नेता ने जाकर उनसे नहीं पूछा कि आपकी समस्या क्या है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। *(व्यवधान)* इसीलिए आपने यह मुद्दा उठाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कृपया उनकी बात को ध्यान में रखते हुए उनको राइट टू वोट जरूर दिया जाये।

मैं आपके नोटिस में एक और बात लाना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में हिन्दुओं के बहुत से धार्मिक स्थान हैं, उनमें से एक श्री अमरनाथ जी है। जब अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होती है, सिर्फ दो महीने की वह यात्रा है, वह जून में शुरू होगी और अगस्त में खत्म हो जायेगी, लेकिन यात्रियों के साथ कई बार जो व्यवहार होता है, वह निन्दनीय है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि पंजाब से बहुत सारे वहां लंगर लगाने जाते हैं तो क्या किया जाता है कि आप हर साल आओ और लंगर की परमीशन लो। एक आदमी मालेरकोटला से श्रीनगर जायेगा, वहां आफिसर नहीं मिलेगा तो वापस आयेगा। दूसरी बार फिर बुलाएंगे तो कृपया एक प्रबंध कीजिए कि जो परमानेण्ट सही मायने में लंगर लगाते हैं, उन लोगों को हर साल परमीशन लेने की जरूरत न पड़े, इससे एक बहुत बढ़िया मैसेज हिन्दू समाज में जायेगा, क्योंकि वे लोग भावना से जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं हर साल उस यात्रा में जाता हूं और एक आम यात्री बनकर जाता हूं तो मैं समझता हूं कि वहां यात्रा में जाते हुए लोग क्या-क्या डिफीकल्टीज़ फेस करते हैं। अभी सरकार ने फैसला किया है कि जो लंगर लगाने वाले लोग थे, वे अपने लंगरों में जो यात्री आते थे या जो डोनर्स थे, उनको वे रहने के लिए रात को स्थान दे देते थे, लेकिन वहां की सरकार ने स्ट्रिक्टली उनको कहा कि नहीं, आप लोगों को अपने इन टेंट्स में नहीं ठहराएंगे। ये टेंट्स में ठहरेंगे तो उन लोगों के टेंट्स में ठहरेंगे, जिन्होंने वहां बहुत से पैसे लेकर टेंट्स लगा रखे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक तो उनको लंगर की परमीशन कम से कम पांच वर्ष के लिए परमानेंट दी जाये। दूसरी बात, मैं खुद लंगर कमेटी का मैम्बर हूं। जब हम हिसाब लगाते हैं तो 4-4 लाख रुपया हमारा ट्रांसपोर्टेशन पर हर साल खर्च होता है, जो हम टेंट वगैरह लेकर जाते हैं। हम लोग 20-20, 25-25 ट्रक लेकर जाते हैं, इसलिए कृपया हमें श्रीनगर में कोई परमानेंट प्लेस दे दीजिए, जहां पर जो लोग सीरियसली सेवा करते हैं, वे अपना सामान वहां रख सकें। इससे भी एक बहुत बड़ा मैसेज सब लोगों में जायेगा।

दूसरी बात यह है कि कश्मीर से लगभग 55,476 कश्मीरी पंडित परिवार आतंकवाद के कारण पलायन कर गए, जिनमें से 20000 के करीब परिवार दिल्ली में आ गए हैं। कश्मीर पर जो भी शांति वार्ता होती है, उसमें आप उन लोगों को तो शामिल करते हैं, जिन्होंने बंदूक उठाई है, लेकिन उन लोगों को शामिल नहीं करते हैं, जिन्होंने गोली खाई है। उन लोगों को आप नजरअंदाज करते हैं। दर्द किनके मन में ज्यादा है – जिन्होंने गोली खाई है या जिन्होंने गोली मारी है। जम्मू-कश्मीर को तोड़ने के लिए हर रोज नई-नई बातें होती हैं। जम्मू-कश्मीर इस देश का सिर है। अगर वह सिर शान से ऊंचा रहेगा और किसी के आगे नहीं झुकेगा, तो पूरा देश शान से रह सकता है। आपके साथ सारा देश है। जम्मू-कश्मीर के साथ कोई भी समझौता गिरकर हमें नहीं होना चाहिए। आप सख्ती से स्टैंड लीजिए, सारा देश आपके साथ खड़ा है। यदि आपने एक बार कड़ा स्टैंड ले लिया कि हम जम्मू-कश्मीर को बचाएंगे और जो हमारे पास से चला गया है, उसे वापिस ले कर आएंगे, इसका आपको बहुत श्रेय जाएगा और दुनिया आपको याद रखेगी कि आपने ऐसा काम कर दिया जो 59 साल की आजादी के बाद कोई सरकार आज तक नहीं कर सकी। आप हौसला रखिए, मजबूती से यह काम कीजिए। यह काम हौसले से ही हो सकता है। जो यह कहते हैं कि यहां से मिलट्री हो हटा दो, उनसे आप बात मत कीजिए, यदि मिलट्री को हटाना ही है तो उन लोगों से पूछिए जो वहां बिना सिक्योरिटी के गांवों में रहते हैं। आप उनसे कहिए कि सिक्योरिटी फोर्सिस अपना काम करेगी और लोगों की रक्षा करेगी, लेकिन जिन लोगों को गलत मारा जाता है, उन्हें नहीं मारा जाए। जब कोई आतंकवादी मारा जाता है तो ह्यूमन राइट्स के लोग खड़े हो जाते हैं कि अन्याय हो रहा है, लेकिन जब आम आदमी मरता है तो उन लोगों के मुंह पर ताले लग जाते हैं। आपको उन लोगों से भी बात करनी होगी ताकि सिक्योरिटी फोर्सिस अपना काम ठीक से कर सकें। इस तरह के बयानों पर पाबंदी लगनी चाहिए, ताकि सिक्योरिटी फोर्सिस का मनोबल न गिरे।

मैं एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं एक समाचार पत्र पढ़ रहा था मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूं, दो आतंकवादी जिनके नाम अताउर्रहमान और सद्दाबक्श अली थे, वे दोनों पाकिस्तान से संबंधित थे, उन्होंने पैनिट्रेट करके नेशनल कांफ्रेस की युवा शाखा का आइडेंटिटी कार्ड लिया हुआ था। इसी तरह से श्रीनगर का भी मामला है, जहां एक आतंकवादी प्रकोष्ठ का सदस्य वहां की युवा कांग्रेस से जुड़ा हुआ था और वह सरकारी आवास में भी रह रहा था। उसके पास भी एक आइडेंटिटी कार्ड था। मेरा निवेदन है कि सभी पार्टीज़ को चाहिए कि ऐसे लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने से पहले उनकी पहचान कर लें, ताकि वह पार्टी और देश का नाम बदनाम न करने पाए। आतंकवादियों के पास आइडेंटिटी कार्ड होने

[श्री अविनाश राय खन्ना]

से लगता है कि कहीं इन्होंने अपनी नीति तो नहीं बदल ली है कि वे किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता बनकर, आपका संरक्षण ले कर, देश के खिलाफ काम करें। इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और मैं चाहूंगा कि आप इन बातों को ध्यान में रखें।

महोदय, मुझे लगभग हर साल वहां जाने का मौका मिलता है। लोग वहां की सिक्योरिटी फोर्सिस की ओर उनके व्यवहार की प्रशंसा करते हैं। जब लोग जम्मू-कश्मीर से आते हैं तो उनके मन में यह बात होती है कि अगर वहां सेना नहीं होती, तो जम्मू-कश्मीर का क्या हाल होता, यह परमात्मा ही जानता है। यह ठीक है कि घुसपैठ रोकने और आतंकवादियों को मारने का काम सेना कर रही है, लेकिन वहां के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम भी सेना कर रही है। लोगों से तालमेल करके उनके मन में देश के प्रति प्यार पैदा करने का काम भी सेना कर रही है। सेना जम्मू-कश्मीर में तीन तरह की नीति पर काम कर रही है। यदि इस तरह के कोई तीन प्वायंट प्लानिंग में हैं, तो इसे और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि पंजाब में हमने देखा है कि आतंकवाद तब खत्म हुआ था, जब पंजाब के लोगों ने चाहा था कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए। इसी तरह कश्मीर के लोगों को भी बताना होगा कि हम उनके सच्चे साथी हैं। सरहद पार बैठे हुए लोग उनके सच्चे साथी नहीं हैं। उसके लिए बहुत प्रचार की जरूरत है। सभी पोलिटिकल पार्टीज के लोगों को यह काम करने की जरूरत है। मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। अगर कश्मीर के बारे में देखा जाये तो वहां सब कुछ होने के बावजूद, नैशनल सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े आये हैं कि हिन्दुस्तान के शहरों में कश्मीरी लोगों के पास सबसे ज्यादा जमीन-जायदाद है। गांवों में वे लोग पंजाब, हरियाणा के बाद तीसरे नम्बर पर हैं। आप देखिए कि कश्मीर के पास कितना पोटेंशियल है। हिन्दुस्तान में अगर कोई भी टूरिस्ट आता है, तो वह अपनी यात्रा को तब तक सफल नहीं मानता जब तक वह कश्मीर में न जाये। अगर हम कश्मीर को इतना महान मानते हैं, उसके लिए वहां से आतंकवाद निकले, लोग शांति से रहें, सुख से रहें, इसके लिए हमें एक प्लानिंग करके कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाना होगा। साथ ही साथ भारत की एकता और अखंडता को हमें कायम रखना होगा ताकि कोई यह न सोचे, यह न कहे कि भारत की सरकार ने झुककर कम्प्रोमाइज किया है। हम कम्प्रोमाइज करेंगे, अगर हमें गोली का जवाब देना पड़ा, तो हम गोली से उसका जवाब देंगे, अगर हमें प्यार से कोई बात करनी है, तो हम प्यार से करेंगे लेकिन अगर हमने हथियार डाल दिये तो समझ लीजिए कि हमने कश्मीर को नष्ट कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि जब वे इस डिबेट का जवाब दें, तब धरने पर बैठे हुए लोगों के बारे में भी चंद शब्द कहें। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी लाल सिंह जी ने जो मुद्दा उठाया है, उसका विषय है–

[अनुवाद]

"जम्मू-कश्मीर में शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री, विभिन्न राजनैतिक दलां और कश्मीरी नेताओं के बीच 25.2.2006 को हुए मोलमेज सम्मेलन का परिणाम"।

मैं केवल चर्चा हेतु लिये गए विषय पर ही बात करूंगा। हम पूरी कश्मीर समस्या पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उस पर सभा में कई बार चर्चा की जा चुकी है और हम उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे जिनका उल्लेख मेरे कुछ सहयोगियों द्वारा पहले ही किया जा चुका है। मैं चर्चाधीन विषय तक ही स्वयं को सीमित रखूंगा।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री जी के राउंड टेबल डिसकशन में जो ओपनिंग रिमार्क्स थे, उसी से मैं अपनी बात शुरू करूंगा।

[अनुवाद]

यह गोलमेज विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए है।

[हिन्दी]

वैसे हम सब जानते हैं कि राउंड टेबल डिसकशन में कोई भाषण नहीं दिया जाता है। उसमें न ऑडिएंस होती है और न ही कोई स्पीच होती है। उसमें सभी लोग अपनी-अपनी बातों को शेयर करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

परंतु जैसा मैंने कहा, मैं गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण से उद्धरण देना चाहता हूं। "इस गोलमेज सम्मेलन के समाप्त होने ही प्रक्रिया शुरू करनी होगी।"

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह जी ने आज यही विषय चुना है कि उससे नतीजा क्या निकला? चूंकि हम समझते हैं और शुरू से हमारी पार्टी

यही बात कहती रही है कि कश्मीर का जो मामला है, वह गोली से नहीं बल्कि बोली से हल होगा – चाहे मिलिटेंटसी की गोली हो, सिक्योरिटी फोर्सेज की गोली हो या सीमा के आर-पार की गोलियां हों। वे कई राउंड चल चुकी हैं। उसमें हजारों मासूम लोगों की जानें गयी हैं। बहुत से लोगों ने मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियां दी हैं, शहादत दी हैं। वहां हमारी और दूसरी पोलिटिकल पार्टीज के नौजवान साथियों को भी इस हालत का शिकार होना पड़ा है। इसलिए हम समझते हैं कि जैसे गोली कई राउंड चली हैं, उसी तरह बोली भी कई राउंड चलेगी। ऐसा नहीं है कि एक राउंड टेबल पर डिसकशन हो गया और हम होम मिनिस्टर साहब से पूछें कि इसका क्या नतीजा निकला? इस राउंड टेबल डिसकशन का भी प्रौसेस चलना चाहिए। हमारी समझ है कि इस राउंड टेबल डिसकशन से पहले बहुत सा होम वर्क, ग्राउंड वर्क करने की जरूरत है। मुझे अफसोस है, मैं ताकीद करता हूं कि राउंड टेबल डिसकशन जो 25, फरवरी को नई दिल्ली में बुलायी गयी थी, उसकी कामयाबी के लिए जो होम वर्क, ग्राउंड वर्क हमें करना चाहिए था, उसमें कुछ हद तक खामी थी। जिसकी वजह से जो आइडियाज शेयर करने की बात है, हम जिनके साथ कर शेयर रहे हैं, चूंकि कश्मीर का मामला उलझा हुआ मामला है।

[अनुवाद]

यह जटिल है। यह समस्या भी बहुत गंभीर है। इसके समाधान के लिए बहुविध और बहु-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

एक रोज में एक बात नहीं होगी। इसलिए पहले तो हम आइडियाज शेयर करेंगे। मकसद यह था कि हमारी मेन स्ट्रीम में इलेक्टेड पोलिटिक्स है, उसके बाहर के जो लोग हैं, उनको साथ में किस तरह से बुलाएं? जो इलेक्टेड असैम्बली है, अगर मेनस्ट्रीम पोलिटिकल प्रोसैस की बात है।

[अनुवाद]

वहां एक निर्वाचित विधान सभा है।

[हिन्दी]

इलेक्टेड असैम्बली में ऑटोनॉमी रिजोल्यूशन पास हुआ। खुद एन०डी०ए० के हिस्सेदार जिनकी वहां हुकूमत थी, आपके घटक थे लेकिन वे उस समय बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। कश्मीर के लोग यह देखें। यह तो राउंड टेबल है, मेनस्ट्रीम में जो पोलिटिकल प्रोसैस है कि जो उनके साथ नहीं हैं और जो उनके साथ हैं उनको भी हम साथ में लाना चाहते हैं, उनकी बात भी हम शेयर करना चाहते हैं। चूंकि यह बात सदन में हो गई है, हम केवल यह कह दें कि बाकी सब लोग बेकार हैं, हुर्रियत बेकार है, ऐसे नहीं होगा।

हमारी यह समझ है कि जो सेपरेटिस्ट भी हैं, जो मिलिटेंट्स भी हैं, हम शुरू से यह बात कहते आए हैं कि वामपंथी लोगों के अंदर भी अलग-अलग लेयर है। हम एक ब्रश में पेंट नहीं कर सकते। उनके अंदर भी कुछ हार्ड आइडियाज के विचार के हैं और कुछ मॉडरेट्स हैं। हम पहले यह कहते थे तो मजाक समझा जाता था लेकिन आज हकीकत में देख रहे हैं। लेकिन हमें उन्हें इस बातचीत में शामिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम उनको भी इन्वाइट करते हैं क्योंकि दुनिया के कभी इस्लामाबाद में, कभी लंदन में, कभी अमेरिका में एक के बाद एक डॉयलॉग होते हैं तो वे उनमें हिस्सेदारी करते हैं और जब नई दिल्ली में यह मौका मिला तो वे कहते हैं कि हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। लाल सिंह जी कश्मीरियों को कहते हैं कि भारत सरकार हमारी बात नहीं सुनती। जब प्रधान मंत्री जी ने यह दावत दी तो उन्हें हिस्सेदारी करनी चाहिए थी। उनके लिए यह अच्छा मौका था जो उन्होंने छोड़ा। लेकिन यह प्रोसैस कभी खत्म नहीं होती।

[अनुवाद]

यह दीर्घकालिक प्रक्रिया है। संवाद की यह दीर्घकालिक प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए।

[हिन्दी]

उसमें उन पर भी दबाव होना चाहिए और उसके लिए वहां जम्मू-कश्मीर में मूवमेंट होना चाहिए।

[अनुवाद]

इसमें मात्र व्याख्यान या नाटकीयता का ही प्रश्न नहीं है। यह गंभीर राजनीतिक प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

चूंकि हम मिलिटेंसी का मुकाबला करते हैं और बंदूक और औजार लेकर जो लोग आते हैं चाहे सीमा के उस पार से लेकर आएं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज उनका मुकाबला कर सकती हैं लेकिन

[अनुवाद]

मशीन और गोला-बारूद के पीछे जिनका हाथ है।

[मोहम्मद सलीम]

[हिन्दी]

उनका कौन मुकाबला करेगा? हम चाहे धर्म की मिलावट साथ में लेकर बातचीत करें लेकिन वहां के नौजवानों के अंदर कुछ ऐसे विचार पैदा किये जाएं जिससे कि वे यह समझें कि पोलिटिकल प्रोसैस के जरिए ही यह लड़ाई लड़ी जा सकती है।

[अनुवाद]

उन्हें इसका समर्थन करना चाहिए।

[हिन्दी]

दोनों को हम कम नहीं कर रहे हैं लेकिन यहां पर हमारा कंफ्यूजन यह है कि हम पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ब्यूरोक्रेट्स, एडवाइजर्स और जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, उनके ऊपर लेबर करके कश्मीर के मामले का हल करते हैं तो हमें बार-बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है और यदि ऐसा ही रहा तो आगे भी करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

यह एक राजनैतिक प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

वहां इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हमारे यहां पहले कैबिनेट के मिनिस्टर श्री गुलाम नबी आजाद साहब थे।

[अनुवाद]

मैं श्री गुलाम नबी आज़ाद द्वारा कही बात उद्धृत कर सकता हूं। उन्होंने कहा था : "इस गोलमेज बैठक में सभी शमिल हो सकते हैं।"

[हिन्दी]

इस मुल्क में जो भी लोग हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, नई दिल्ली के साथ बात करने के लिए तैयार है, हमें उन्हें दावत देनी चाहिए। सिर्फ दावत देने से नहीं कि एक जूनियर लैवल के आई०बी० ऑफिसर से हिंट मिला और उन्होंने कहा कि आप आ जाओ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं पोलिटिकल प्रोसैस कह रहा हूं। मैं खासकर माननीय गृह मंत्री जी से कह रहा हूं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी दावत दे रहे हैं और उससे वे इंकार करते हैं तो सीरियसनैस से दावत होनी चाहिए थी। उस तरह से उस प्रोसैस को फोलो करना चाहिए था।

[अनुवाद]

आप उन्हें अपने पक्ष में कैसे करते हैं? उन्हें आमंत्रित कीजिए। उन्हें अपने साथ लेकर चाहिए। हम नहीं चाहते कि वे अपने आप इसमें शामिल हो जायें।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटील) : कैसे? किस तरह से करनी चाहिए? *(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम : मैं इसी विषय पर बोल रहा हूं, आप बाद में जवाब दें। *(व्यवधान)* पोलिटिकल प्रोसैस का मतलब है कि आप इसमें पोलिटिकल पर्सनैलिटीज को शामिल करें। पिछली सरकार ने भी यही किया था। उन्होंने इसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऊपर नहीं छोड़ा था और यू०पी०ए० सरकार भी इसे सिक्योरिटी एडवाइजर के ऊपर नहीं छोड़ सकती है। *(व्यवधान)* चूंकि आप डिटेल्स मांग रहे हैं, उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब वहां गए हैं, कई बार गए हैं, यह एक अच्छी बात है, यह अच्छा संकेत है कि वह वहां गए और उन्होंने 2400 करोड़ रुपए का इकोनोमिक पैकेज घोषित किया था। यह कोई भाषणबाजी नहीं थी। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने भी यह बात कही कि उनको मॉनीटर किया गया, उनको वहां तक ले जाया गया। इसका स्वागत है। इससे वहां के लोगों को एक संदेश जाता है, इससे परेशानी तो हल नहीं होती है, लेकिन माहौल क्लियर होता है। जब आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन और मानीटरिंग के लिए पी०एम०ओ० में एक काउंसिल – इकोनोमिक एडवाइजरी काउंसिल फार जम्मू एण्ड कश्मीर – बना सकते हैं, तो क्या आप पोलिटिकल डायलॉग प्रोसैस को अनलीश करने के लिए, उसे खींच कर आगे ले जाने के लिए, चूंकि प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि

[अनुवाद]

यह प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। यह गोल मेज़ बैठक के साथ ही समाप्त नहीं हो जानी चाहिए।

[हिन्दी]

तो आप अपने लोगों को लेकर, एक्सपर्ट्स को लेकर एक काउंसिल क्यों नहीं बना सकते हैं? अगर फारूक अब्दुल्ला साहब, जम्मू-कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वहां नहीं आते हैं, तो देखना पड़ेगा कि वह क्यों नहीं आते हैं। हुर्रियत के लोग, जो अलग से आकर मिलते हैं, फॉर्मर मिलिटैंट्स आकर मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, लेकिन जब राउण्ड टेबल डिस्कशन हो रहा है, तो वे नहीं आए? ऐसा क्यों

है, मैं इसका कोई रेडीमेड जवाब तो नहीं दे सकता हूं। मंत्री जी को इसका जवाब स्वयं ढूंढना होगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि वे लोग जनवरी में आकर अकेले में मिलते हैं, लेकिन राउण्ड टेबल डिस्कसन में क्यों नहीं आते हैं? ऐसे लोगों को बातचीत में लेना पड़ेगा। मैं लाल सिंह जी की बात पर ही कह रहा हूं जो कह रहे थे कि जो लोग नहीं आए, उनको छोड़िए। हमारे यहां भी हार्ड लाइनर्स हैं, जो कहते हैं कि हम अपने तरीके से कर लेंगे। ऐसे नहीं होता है। यह जो काम्पलेक्स्ड प्राब्लम है, उसे हल करने के लिए हमें उनकी फीलिंग्स को एस्वेज करना होगा। प्राइम मिनिस्टर खुद वहां गए हैं। मैंने यह बात तफसील से इसलिए कही है क्योंकि राउण्ड टेबल की कामयाबी के लिए यह आवश्यक है। हालांकि कामयाबी शब्द को मैं उस तरह से प्रयोग नहीं कर सकता हूं, जिस तरह से उम्मीद थी। कश्मीर के सम्बन्ध में जब कोई इस तरह का कदम उठाया जाता है, तो उससे एक उम्मीद तो पैदा होती है, लेकिन अन्ततः वह मायूसी में तब्दील हो जाती है, जो खतरनाक है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह प्रासैस चलनी चाहिए। इसके लिए हम पहले भी कहते रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि

[अनुवाद]

हमें इस वार्ता प्रक्रिया को व्यापक बनाना होगा।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा था और यही राउण्ड टेबल का मकसद भी है।

कश्मीर के लोगों को हिन्दुस्तान की ओर से, इकोनोमिक पैकेज के साथ ही, पोलिटिकल मैसेज भी यही है। अगर सेकुलर, मजबूत, अमन वाली इण्डिया है, जहां हर धर्म, मजहब और सूबे के लोग एक साथ रहना पसन्द करते हैं और तरक्की की राह पर चल रहे हैं तो कश्मीर में कश्मीरी मिलिटेंट्स का और उनके मददगारों का कैम्पेन ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर यहां पर तनाव होता है, लोग कहते हैं कि यहां सभी लोग एक ही रंग के हों, बाकी नहीं होंगे, तो उसका गलत मैसेज जाता है। सेकुलर इण्डिया, डेमोक्रेटिक इण्डिया, इकोनोमिकली प्रोग्रेसिंग इण्डिया ही हमारा यू०एस०पी० है। हमारा जैसा फेडरल स्ट्रक्चर है, हम जैसे डिसेन्ट्रलाइजेशन कर रहे हैं, उसमें उनको जिस तरह से अथारिटी मिलती है, उसका एक अच्छा संदेश जाता है। हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में हंगामा हो जाता है। जब कोई पोलिटिकल पार्टी सरकार में होती है तो एक तरह से बात करती है और जब वे सरकार से निकल जाते हैं तो अलग तरह की बात करने लगते हैं। जब हम पाकिस्तान से बात कर सकते हैं, तो क्या हम अपने कश्मीरियों से बात नहीं कर सकते हैं? हमने उस वक्त भी यह बात कही थी जब आपकी सरकार थी और आज भी हम वही बात कह रहे हैं कि केवल थिएट्रिक बयान देने से काम नहीं होता है। हमें उनके साथ बात-चीत जारी रखनी होगी। आपको खुश होना चाहिए कि यह प्रोसैस एन०डी०ए० के समय में शुरू हुई थी और हमने भी उसे सीमित नहीं किया है। यह काम एक दिन में नहीं होता है। यह एक लम्बा सफर है और हमें उसे तय करना है। मैं समझता हूं कि आज यू०पी०ए० सरकार के आने से मुल्क में बड़ा साजगार माहौल बना है, लोगों में भरोसा आया है। कश्मीर के लोगों को प्रधानमंत्री जी ने और यू०पी०ए० सरकार ने जो मैसेज दिया है, उससे एक अच्छा माहौल बना है और कश्मीर में जो हार्डलाइनर्स हैं, जो हिन्दुस्तान से एकता नहीं चाहते हैं, उनको आइसोलेट करने की प्रोसैस भी चलनी चाहिए, जो हिन्दुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। इसके साथ ही आटोनॉमी, आर्टिकल 370 आदि बातें आ रही हैं। आपका कहना है कि हम आटोनॉमी देना चाहते हैं।

[अनुवाद]

मुझे इसकी रूपरेखा तैयार करनी होगी। हमें सबको यह बात समझनी होगी।

[हिन्दी]

जब हम डायलाग में जाते हैं,

[अनुवाद]

तो आपको तैयारी करनी होगी। यह मत कहो कि हम प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं।

[हिन्दी]

इससे वे क्या समझ रहे हैं, सबकी अंडरस्टैंडिंग होती है। भारत सरकार चाहे एन०डी०ए० सरकार हो या यू०पी०ए० सरकार, यह देखा जाना चाहिए कि हम कितनी आटोनॉमी देना चाहते हैं, यह साफ होना चाहिए और डायलाग प्रोसेस के अंदर होना चाहिए कि वे कितनी चाहते हैं। इस तरह से अगर हम एक जगह पर जाते हैं, जहां दो कदम तुम चलो और दो कदम हम चलें वाली बात होती है, तब एक मीटिंग पाइंट होता है। यह एक डैमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसे जारी रहना चाहिए। यह एक पोलिटिकल प्रोसेस है।

[अनुवाद]

इसमें राजनीतिज्ञों, राजनैतिक सोच और राजनैतिक इच्छाशक्ति की सहभागिता अवश्य होनी चाहिए।

[मोहम्मद सलीम]

[हिन्दी]

यह होना चाहिए। सिर्फ आप इसे सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दा समझेंगे, तो सही नहीं होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रोसेस आगे बढ़ेगा और यू०पी०ए० सरकार इसे आगे बढ़ाएगी। लेकिन हमारी मांग है कि आप इसे आगे बढ़ाते हुए मेजर पोलिटिकल इनीशियएटिव्स समझें, और इसके बीच-बीच में गैप नहीं होना चाहिए, कंटीन्यूअस रहना चाहिए। प्रधान मंत्री जी खुद करें, जरूरत पड़े तो श्रीनगर में होना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो इस्लामाबाद में हो, वहां होना चाहिए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वार्ता का अगला दौर जरूर होगा और कहीं भी हो, वह होना चाहिए। इसके अलावा जो बाकी लोग छूट गए हैं, उन्हें भी साथ लेकर, सबको साथ लेकर आगे बढ़ें।

[अनुवाद]

इसमें सभी शामिल होने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं चौधरी लाल सिंह जी द्वारा नियम 193 के अंतर्गत शुरू की गई चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। जम्मू-कश्मीर में शांति को बढ़ावा देने के लिए 25 फरवरी, 2006 को माननीय प्रधान मंत्री जी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ दिल्ली में गोलमेज बैठक बुलाई थी। हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं भाई लाल सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान अपने की बात कही, जो दिल में दर्द था जम्मू-कश्मीर के बारे में और उसके प्रति वह कितने चिंतित हैं, यह उन्होंने विस्तार से यहां रखा।

अपराह्न 5.42 बजे

[डा० सत्यनारायण जटिया *पीठासीन हुए*]

उस सम्मेलन में करीब 40 या 50 समूहों के लोग थे, जिसमें बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध लोग भी थे और जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, कारगिल के प्रतिनिधि भी थे। इसके साथ ही उस सम्मेलन में कश्मीरी पंडित, गुर्जर और कुछ पहाड़ी लोग भी थे। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ अलगाववादी नेता इस सम्मेलन में नहीं आए। उस बारे में सलीम साहब ने बड़े विस्तार से कहा। मैं सुझाव के तौर पर यही कहूंगा कि अगर प्रधान मंत्री जी के सम्मेलन में वे नहीं आए, तो कम से कम गृह मंत्री जी या गृह राज्य मंत्री जी वहां जाकर उनसे वार्ता करें। प्रधान मंत्री जी वहां कई बार गए हैं इसलिए वार्ता का सिलसिला जो शुरू हुआ था किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, बात को अंजाम देने के लिए, वार्ता की उस मुख्य धारा में उन्हें जोड़ने के लिए हमें उनसे भी बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तब जाकर सफलता मिलेगी। अचानक विभिन्न समूहों या दलों को बुला लिया, तो कई बातें ऐसी होती हैं जो अलगाववादी जानते हैं, लेकिन उनके नेता कह नहीं पाते। वे इसलिए कह नहीं पाते कि पता नहीं क्या होगा, लोक क्या सोचेंगे। इसलिए उनके दिल में क्या है, वे इस तरह से कह नहीं पाते। अत: उनको धीरे-धीरे वार्ता की मुख्य धारा में लाना चाहिए।

जहां तक जम्मू-कश्मीर की समस्या है, यह कोई छोटी समस्या नहीं है। यह एक बड़ी और राष्ट्रीय समस्या है। यह राष्ट्र का विषय भी है। कश्मीर भारतवर्ष का अभिन्न अंग रहा है। हमारे पूर्वजों ने इसे अपने खून से सींचा है और इतनी जल्दी कश्मीर को नहीं छोड़ सकते। लेकिन हमें पहचान बनानी पड़ेगी कि कौन खून से सींचा है और इतनी जल्दी कश्मीर को नहीं छोड़ सकते। लेकिन हमें पहचान बनानी पड़ेगी कि कौन से वे लोग हैं, जो हिन्दुस्तान की मुख्य धारा में हैं और कश्मीर के विकास के लिए या उसकी समस्या के लिए चिंतित हैं। उनकी ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा।

इस सम्मेलन में विभिन्न नेताओं के विचारों और सुझावों को प्रधान मंत्री ने बड़ी उत्सुकता और बेसब्री से इंतजार करके सुना और चाहा कि वे अपनी समस्या बताएं। उसी तरह से यू०पी०ए० सरकार के एजेंडे में भी जम्मू-कश्मीर समस्या का समाधान पहले स्थान पर है और सरकार उसके लिए चिंतित भी है। वहां सामाजिक सौहार्द बनाने की जरूरत है। वहां बहुत से अलगाववादी नेता हैं जो देश की मुख्यधारा से अलग हटे हुए हैं, उन्हें भी मुख्यधारा में लाने की बात है। हमारे प्रधान मंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी बधाई के पात्र हैं, उन्होंने कई बार वहां का दौरा किया है और वहां के विकास के लिए करोड़ों रुपये का पैकेज भी दिया है। वहां का प्राथमिक विकास और उत्थान की बात की गयी है और आर्थिक सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है।

कश्मीर में भूकम्प आया तो उनके पुनर्वास और राहत की बात को हमारे प्रधान मंत्री जी गंभीरता से ले रहे हैं। माननीय लाल सिंह जी चिंतित रहते हैं कि यू०पी०ए० सरकार ने एक लाख मकान बनाने की बात कही है तो कुछ मकान तो जरूर दें, ताकि जो लोग भूकम्प-पीड़ित हैं, जिनके सिर पर छत नहीं है उनको आवास मिले और वे महसूस कर सकें कि हिन्दुस्तान की सरकार ने उनके लिए कुछ किया है।

वहां पर कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी घटी हैं। हमारे 4 नवयुवक सुरक्षा-बलों के हाथों मारे गये। वहां प्रदर्शन हुआ। ऐसा न जाने कितनी

घटनाएं घटी हैं जिनमें हजारों लोग मारे गये हैं। जब मुख्य-धारा से जुड़े हुए लोग मारे जाते हैं तो सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए और इस बात की भी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

जम्मू-कश्मीर में हमें एकता और संपन्नता का माहौल बनाना चाहिए। कश्मीर की अपनी सभ्यता और संस्कृति है जो हिन्दुस्तान से मिली-जुली है। उनको घावों पर मलहम लगाने की आज जरूरत है।

हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी श्रीनगर भी गये थे और उन्होंने वहां के विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ भी वार्ता की और उनको भी मुख्यधारा में लाने का काम किया। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में शांति, संपन्नता और खुशहाली आये और वहां के युवकों की ताकत से कश्मीर का निर्माण हो, जिससे लगे कि कश्मीर भी अपनी एकता से शांति के माहौल को निर्मित करने के लिए कुछ कर रहा है।

कई बार देखा गया है कि लेह-कारगिल-कठुआ और सौपोर के विचार अलग-अलग हैं और वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो घुसपैठ करते हैं। जैसे माननीय लाल सिंह जी ने कहा कि कुछ लोग इधर से उधर और उधर से इधर की जय-जयकार करते हैं। लखनपुर से कारगिल और कठुआ तक के सभी लोग एक हैं। जम्मू-कश्मीर में आजादी के समय तमाम लोग हिन्दुस्तान से पाकिस्तान गये और पाकिस्तान से यहां आये। वहां उन्हें पाकिस्तान की सरकार ने रहने की जगह दे दी, मालिकाना हक दे दिया, लेकिन वहां से जो लोग इधर आये, आज आजादी के 58 सालों के बाद भी वे जिन इमारतों में रह रहे हैं उन पर उन्हें मालिकाना हक नहीं दे पाये हैं।

जब भी पश्चिमी देशों से राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो घाटी में अशांति की घटनाएं घटती हैं। ऐसा लगता है कि उनके जरिए विश्व को यह संदेश देने की कोशिश की जाती है, कि कश्मीर में सामान्य स्थिति नहीं है। इस ओर भी हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। खासकर इस सदन में जब यह चर्चा हो रही है, तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें कश्मीर की समस्याओं की तरफ, हर दल के लोगों को सोचना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा कि किस तरह से वहां अमन, चैन और शांति हो और कश्मीर को हम एक शांत कश्मीर बना सकें।

इन शब्दों के साथ, महोदय मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं भाई लाल सिंह चौधरी जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज सदन के सामने, आजादी से लेकर आज तक जिस तरह कश्मीर समस्या हमारे सामने आई है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां शांति, अमन और विकास के लिए गोलमेज कांफ्रेंस आयोजित की, इस संबंध में उत्पन्न स्थिति के बारे नियम 193 के तहत चर्चा की इन्होंने शुरूआत की, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। हम लोग बाहर से सुनते हैं और देखते हैं, लेकिन भाई लाल सिंह और उनके साथ जो वहां के निवासी हैं, उस इलाके के रहने वाले हैं, उन्हें इन समस्याओं को झेलना पड़ता है, इसलिए उन्होंने अपने दिल के दर्द को बखूबी इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का काम किया है।

जब देश आजाद हुआ था, देश के पांच सौ से अधिक राजे-रजवाड़े इंडियन यूनियन में अपना विलय कर रहे थे और उसी समय कश्मीर का भी हिन्दुस्तान में परिस्थितिवश विलय हुआ। विलय होने के बाद इस देश ने, संसद ने और देश के रहनुमाओं ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस बारे में कोई चर्चा हम नहीं कर सकते। इसके ऊपर अगर कोई सवाल उठेगा, तो हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। हां, जो कश्मीर पाकिस्तानियों के कब्जे में है, उसके बारे में आज चर्चा होनी चाहिए। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आज देश की आजादी से लेकर 58 सालों तक, क्या देश ने इस दिशा में कोशिश नहीं की? सभी सरकारों ने अपने-अपने स्तर से कश्मीर के साथ अच्छा संबंध बने, वहां मिलिटेंसी खत्म हो, विकास की दौड़ में वह आगे आये, इसके लिए इन्होंने प्रयास किए, लेकिन आज जो कश्मीर में अलगाववादी लोग हैं, क्या वे अपने मन से इस चीज को कर रहे हैं? क्या हम वास्तविकता से इन्कार करके, देश के इस सबसे बड़े सदन में उसकी चर्चा कर रहे हैं? वास्तविकता तो यह है कि पाकिस्तान के इशारे पर और पाकिस्तान के उकसावे पर ये सारी घटनाएं कश्मीर में हो रही हैं। इसके लिए अगर आप सिर्फ बात करना चाहते हैं, तो आप बात करिए। हर समय बातें होती रही हैं। हम बात के प्रोसेस के खिलाफ नहीं हैं। हमारे साथी ने भी इस प्रश्न को उठाया, हम लोग लेफ्ट पार्टी के लोगों को भी जानते हैं और जिस वार्ता को प्रधानमंत्री जी इनीशिएट करें, उसमें अलगाववादी शक्ति प्रधानमंत्री जी के बुलावे पर नहीं आए, और पाकिस्तान में जाकर बात करें – क्या यह संभव है? मुझे अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी की गोलमेज कांफ्रेंस में सेल्फ रूल या स्वायत्तता का प्रश्न उठा। किन लोगों ने इसे उठाया – जो कभी हमारे साथ बैठकर सरकार के हिस्सेदार थे, और कभी आपकी कृपा पर, आपके समर्थन पर वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर वे केन्द्र में मंत्री रहते हैं, तो उनकी बोली दूसरी रहती है और जब वे यहां नहीं होते, तो उनकी बोली दूसरी हो जाती है। इस तरह की बातें मुनासिब नहीं हैं और कश्मीर समस्या का हल इससे नहीं निकलेगा। बहुत मार्मिक ढंग से उन्होंने इसकी चर्चा की। क्या कसूर है सिख भाइयों का, जो 50-55 साल पहले इस देश में आए, सन् 1947 के बाद इस देश में आए? क्या कसूर है कि 14 वर्षों से कश्मीरी पंडित जम्मू-कश्मीर में पड़े हुए हैं। उन्हें न नागरिकता

[श्री रघुनाथ झा]

मिल रही है, न रहने के लिए घर मिल रहा है, न नौकरी मिल रही है, न शिक्षा मिल रही है। हम यहां उपदेश दे रहे हैं। हम वहां वैष्णों माता के दर्शन करने जाते हैं, तो बहुत से लोगों के साथ मुलाकात और वार्ता होती है। वे किस परिस्थिति में गुजर रहे हैं – इसका हमें और देश की सरकार को अन्दाज लगाना चाहिए। वे बाहर के लोग नहीं हैं, बल्कि कश्मीर वैली से आए हैं। किसी कारण से उनकी सारी जमीन ले ली गई, उनके खेत-खलिहानों और घरों पर कब्जा कर लिया। आज वे जम्मू में पड़े हैं। क्या आप उन्हें सुविधाएं नहीं दे सकते, उनके बाल-बच्चों को नौकरी नहीं दे सकते? आप किस बात के लिए डर रहे हैं, हम यह बात जानना चाहते हैं, यह मुनासिब बात है कि उन्हें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सरकार ने उन्हें ऐसी परिस्थिति से गुजरने को मजबूर किया, हम इसके लिए केन्द्र सरकार को दोषी मानते हैं। आजादी के बाद भी इतने दिनों से ये लोग मारे-मारे फिर रहे हैं। उनको ताकत नहीं मिली है, नागरिकता नहीं मिली है, घर नहीं मिला है, उनके बाल-बच्चों को नौकरी नहीं मिली है, तो सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए – चाहे वे कश्मीरी पंडित हों या दूसरे लोग हों। आज वे बहुत खराब स्थिति से गुजर रहे हैं।

मैं कुछ दिन पहले वैष्णों माता के दर्शन करने गया था ओर जब वहां से लौट रहा था तो मुझे अपने इलाके का मिलिट्री का बड़ा अफसर, जो छुट्टी में घर जा रहा था, मिला। मेरा उसके साथ परिचय हुआ। इधर-उधर की बात होने के बाद, कश्मीर के ऊपर बात शुरू हो गई। वह कहने लगा कि स्वायत्तता की बात सुन रहे हैं, बॉर्डर खोले जा रहे हैं और रोड चालू हो रही है जो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन वह कहने लगा कि वहां लोग किस तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन पर क्या गुजर रही हैं, क्या इसका अन्दाजा है? क्या हजारों-लाखों लोगों ने इसीलिए कुर्बानी दी थी, क्या 55 वर्ष तक हमें मरवाएंगे, कटवाएंगे और अब हम उन्हीं लोगों के साथ समझौता कर रहे हैं।

हमारे मित्र शैलेन्द्र जी यहां भाषण कर रहे थे। अगर सिक्योरटी फोर्सिज की गोली से कोई निर्दोष व्यक्ति मारा जाता है या कोई आतंकवादी मारा जाता है, तो सिक्योरटी फोर्स का जवान सस्पैंड हो जाता है, फिर उसका डिसमिसल हो जाता है, उसके ऊपर धारा 302 का मुकदमा भी चलता है, लेकिन आतंकवादियों की गोली से कोई मारा जाता है तो उनको किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती है। अगर दो तरह की नीति हमारी सरकार चलाएगी तो क्या हमारे देश की एकता और अखंडता रह सकती है?

मैं अधिक समय न लेते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमें कश्मीर की हकीकत और स्थिति को समझने का काम करना चाहिए। वार्ता हो, कोई हर्ज नहीं, समझौता हो, कोई हर्ज नहीं, हम भी चाहते हैं, मैं राजनीतिक चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं कि किसी परिस्थिति के कारण कश्मीर में ऐसी स्थिति बनी है?

हमारे साथी ने ठीक कहा कि जिस समय बंगलादेश की लड़ाई हुई थी तो एक लाख के आसपास पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे। यदि उस समय दृढ़ता दिखायी गई होती तो शायद गुलाम कश्मीर हमारे यहां होता और यह विवाद सदा के लिए समाप्त हो जाता। मैं दुराग्रह की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। जब तक गुलाम कश्मीर का मामला तय नहीं होगा तब तक भारत में अमन-चैन नहीं आने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री मदन लाल शर्मा अब अपनी चर्चा आधे मिनट के लिए शुरू करें। वह कल उसे जारी रख सकते हैं।

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इसके साथ, जैसा आपने फरमाया है, लेकिन मुझे कम से कम दस मिनट तो चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

श्री मदन लाल शर्मा : अभी छः बज गए हैं।

सभापति महोदय : अभी एक मिनट बाकी है।

श्री मदन लाल शर्मा : चौधरी लाल सिंह जी, मेरे कुलीग है

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

अब सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 22.03.06 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 22 मार्च, 2006/1 चैत्र, 1928 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।